खण्ड-164, अंक-1
सोमवार, 19 पौष, शक संवत् 1877
(9 जनवरी, 1956 ई0)

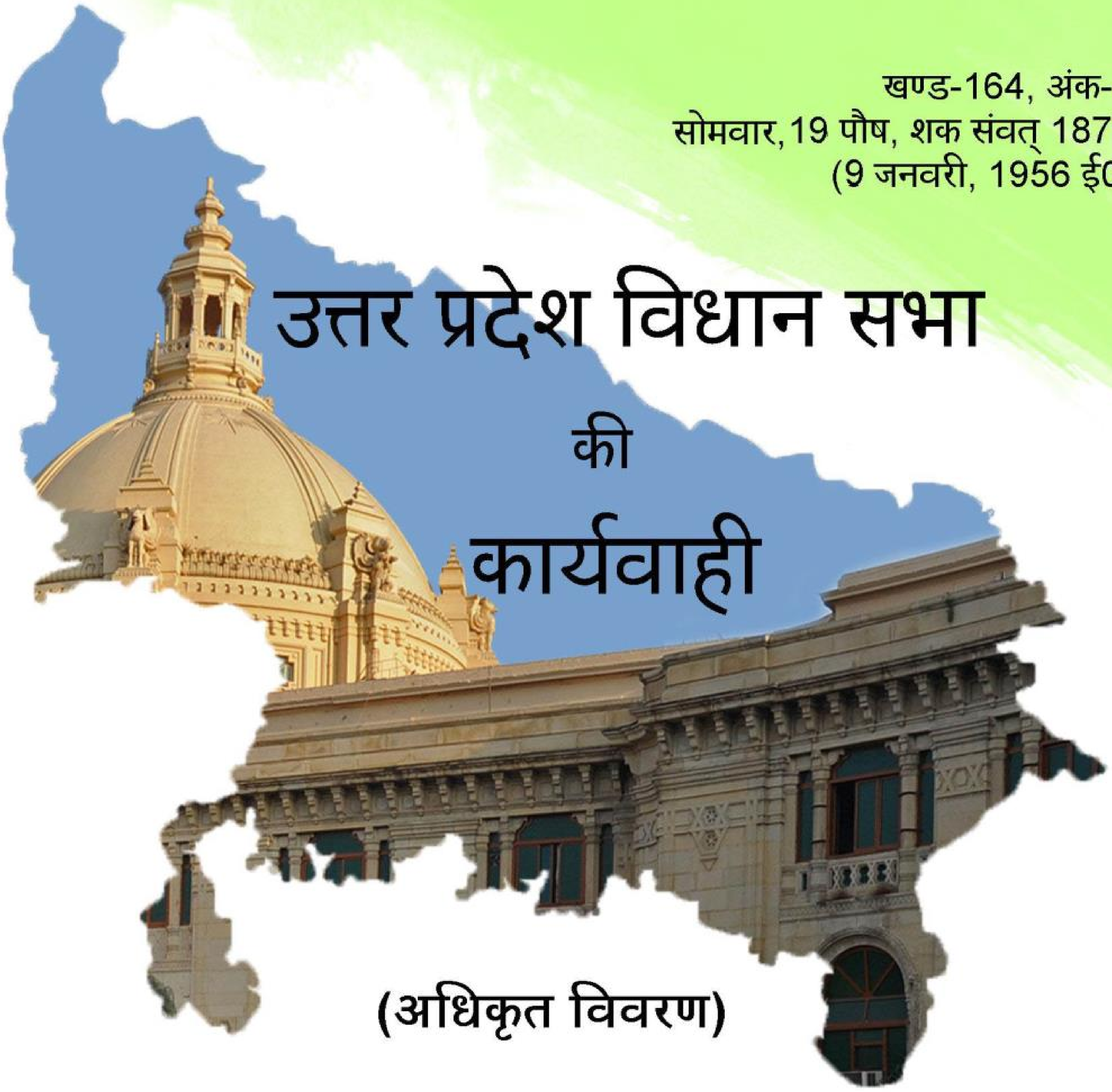

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
7 MAY 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१७)

अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम 'छन्नगुरु', श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती , श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
राम चरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राजवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री

वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ जनवरी, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

चन्दौसी म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ शिकायतें

**१—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद को निलम्बित करने की सिफारिश जिला अधिकारियों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उनका सुझाव किस तिथि को सचिवालय में प्राप्त हुआ ?

स्वशासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—इस प्रकार की कोई सिफारिश या सुझाव सरकार को नहीं मिला है ।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सुझाव जिलाधीश ने भेजा था वह पुनः जिलाधीश के पास रिपोर्ट के लिये भेज दी गयी है जिसकी वजह से जवाब नहीं दिया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिलाधीश के यहां से कोई इस तरीके की सिफारिश नहीं आयी है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश मुरादाबाद ने चन्दौसी म्यूनिसिपल बोर्ड की निस्बत किसी प्रकार की रिपोर्ट की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—चन्दौसी म्यूनिसिपल बोर्ड के विषय में शिकायतें आती रहती हैं उनके संबंध में जिलाधीश अपनी रिपोर्ट जांच करके भेजता रहता है लेकिन वहां से कोई ऐसा सुझाव या उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी कि चन्दौसी म्यूनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय ।

बुलन्दशहर-देहली मार्ग पर सरकारी बसें चलाने का विचार

**२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर-देहली लाइन पर वह सरकारी रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो कब से ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां। फरवरी, १९५६ के अन्त तक आशा की जाती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देहली-बुलन्दशहर रोड पर चलाने वाले मोटरमालिकान ने पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऐक्ट को चैलेंज किया था ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी हां। सुना यह है कि उस लाइन पर वह बस चलाते थे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इस सड़क पर चलाने वाले मोटर मालिकान को गवर्नमेंट की ओर से नई सड़कें दी गई हैं, जहां पर वे अपनी गाड़ियां चला सकेंगे ?

श्री चरणसिंह—सड़कें दी नहीं गई हैं। अभी सड़कों को देने का प्रस्ताव है और इन्हीं को नहीं, सबके लिये है ।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इन सड़कों पर चलाने वाले मोटरमालिकान ने सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र इस प्रकार का दिया है कि वे अब अदालत में नहीं जाने वाले हैं और उनको देहली-सहारनपुर-शाहदरा वाली रोड उनको दे दी जाय ?

श्री चरणसिंह—जी, उन्होंने प्रार्थना-पत्र जरूर दिया है लेकिन मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है कारण यह है कि उनको कौन सी रोड मिलेगी यह बोर्ड मुकर्रर करता है उसका काम है। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने कहा कि दूसरी रोड देने की कोशिश करेंगे और यही नहीं, जो सड़क वह लोग चाहते हैं उसको दूसरे भी चाहते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस सड़क पर वह लोग जा रहे हैं या उनको भेजा जायगा यदि वे उस सड़क के लिये तैयार नहीं हुये तो उस सड़क को जब तक ये उसके लिये तैयार हो जायं क्या सरकार उस पर विचार करेगी कि उनको उस पर रहने दिया जायगा जहां कि वह लोग आज चल रहे हैं या दूसरी सड़क दी जायगी जब तक वे तैयार न हो जायं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं और आपकी इजाजत से मैं दूसरे का जवाब जो देना भूल गया था वह यह है कि उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया हुआ कि वह अदालत में नहीं जाना चाहते हैं इस धमकी या लालच में शायद गवर्नमेंट आ जाय, लेकिन वह हरगिज नहीं है। मुझे यह मालूम हुआ है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में गये हुये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार जो उनकी दरख्वास्त आई है उनको पढ़ने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, नहीं पढ़ेगी, वह बोर्ड का काम है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या गवर्नमेंट इस बात पर विचार करेगी कि प्रांत में जितने ऐसे मोटर मालिकान हैं जिनको कच्ची सड़कें दी गई हैं उनको पक्की सड़कें दी जायं जिससे उनकी रोजी चलती रहे ?

श्री चरण सिंह—सड़कें पक्की खाली न हों तो कच्ची देनी पड़ती हैं और उन पर वह न चलाना चाहें तो जो मुआविजा ऐक्ट में दिया हुआ है वह ले सकते हैं।

अमरोहे में श्री साहू जगदीश सरन द्वारा गर्ल्स स्कूल के लिए दी गयी जमीन

**३—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमरोहे में श्री साहू जगदीश सरन ने गर्ल्स हाई स्कूल के लिये जो जमीन दी है उस पर वह कब तक स्कूल की इमारत बनाना शुरू करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अभी यह विषय विचाराधीन है।

एल-एल० बी० में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति देने का विचार

**४—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एल-एल० बी० में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग तथा हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्र-वृत्ति नहीं दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हरिजन छात्रों को एल-एल० बी० कोर्स के लिये छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। पिछड़े वर्ग के छात्रों को इसके लिये कोई छात्र-वृत्ति नहीं दी जाती।

**५—श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)—यदि ऐसा है, तो क्यों ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ श्री मुश्ताकअली खां ने तथा ४-५ श्री झारखंडेराय ने पूछे।

श्री हरगोविन्द सिंह—छात्रवृत्ति देने के लिये कानून का विषय टेक्निकल शिक्षा में गिना जाता है। टेक्निकल शिक्षा के लिये पिछड़े वर्ग के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि विषयों में छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं जो कानून से अधिक महत्वपूर्ण हैं। दूसरे जो योग्य छात्र होते हैं उन्हें भारत सरकार से छात्र-वृत्ति मिल जाती हैं। इन्हीं कारणों से प्रदेशीय सरकार ने कानून के लिये पिछड़े वर्ग के छात्रों को अभी तक कोई वजीफा नहीं दिया। आगामी वित्तीय वर्ष से देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्रीनगर टाउन एरिया, जिला गढ़वाल के सदस्यों तथा चेयरमैन के त्यागपत्र

**६—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्रीनगर (गढ़वाल) टाउन एरिया के चेयरमैन और सभी सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब?

स्वशासन मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट (सन् १९१४ की ऐक्ट संख्या २) के अधीन टाउन एरिया के चेयरमैन व सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार करने का अधिकार जिलाधीश को है जिनसे इस विषय में पूछताछ की जा रही है।

आजमगढ़ जिला जेल में भारतीय दण्ड विधान की धारा १०९ के हवालाती कैदियों के मुकदमों में विलम्ब

**७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला जेल में जून सन् ५५ से १० नवम्बर, सन् ५५ तक कितने हवालाती कैदी भारतीय दन्ड विधान की धारा १०९ के अनुसार अलग-अलग कब से बन्द थे?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—इस काल में इस जेल के अन्दर ३१ हवालाती कैदी रहे। इनमें से अधिकतर सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के महीने के ही हैं। कुछ जून और जुलाई, १९५५ से भी हैं। विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर)

**८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दफा के हवालाती कैदियों के मुकदमों में इतनी देर करने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—देर होने के विविध कारण हैं। पहली वजह जिले में बाढ़ आ जाने की है। अधिकतर मजिस्ट्रेट लोग बहिया रोकने के काम पर लगे रहे और कचहरी बन्द रही। इसके अतिरिक्त पुलिस अफसरों को भी अवकाश न रहा। कुछ मुकदमों में गवाहों के न आने व न पेश हो सकने के कारण पेशियां बढ़ानी पड़ीं। १५ मुकदमों में अब फैसला हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कचहरियां आजमगढ़ की बाढ़ के कारण कितने दिन बन्द रहीं?

श्री मुजफ्फर हसन—ठीक तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन काफी दिनों तक आजमगढ़ की कचहरियां बन्द करनी पड़ीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि हवालाती कैदी अदालतों के सामने नहीं लाये जाते हैं और उनकी बाहर से ही तारीख छोड़ दी जाती है?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछा।

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसा तो नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ मुकदमे जिनका निर्णय हो चुका है वे मुकदमे किन-किन २ महीनों के थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—आपके पास जो तालिका है उसमें जो नीचे नाम हैं उनमें फैसला हो चुका है। मैं नाम पढ़कर सुनाये देता हूं —

१—कैदी झंझट १-७-५५ को आया और १३-१२-५५ को उसका फैसला हुआ।

२—कैदी हम्माद इसका ३०-११-५५ को फैसला हुआ।

३—वंशराज १८-७-५५ को आया और फैसला २१-११-५५ को।

४—ऐनुल १३-१२-५५ को फैसला हुआ।

५—रामसेवक १३-१२-५५ को फैसला हुआ।

६—छांगुर १२-११-५५ ।

७—जगन्नाथ १९-१२-५५।

८—बशीर १८-११-५५।

९—जगन्नाथ १८-११-५५ ।

१०—लुटावन ३०-११-५५ ।

११—सत्यनारायण १९-१२-५५।

१२—शिव प्रसाद १९-१२-५५।

१३—मुरली २१-१२-५५ ।

१४—महेश १८-११-५५।

१५—बाबूलाल २४-११-५५।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन मुकदमों का फैसला हुआ उसमें कितनों को सजा हुई और कितने छोड़ दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह मैं इस वक्त नहीं बता सकता इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि पुलिस को इन मुकदमों के संबंध में गवाह न मिलने के कारण देरी हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो मैं जवाब दे चुका। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वजह थी वह मैं आपको बता चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जिला अदालतों को कोई इस प्रकार का आदेश देंगे कि इस प्रकार के हवालाती कैदियों को छः-छः महीने तक हवालात में न रखकर उनके मुकदमें जल्दी से जल्दी फैसल कर दिये जायं ?

श्री मुजफ्फर हसन—खास हालत को छोड़कर आमतौर से तो इतनी देरी तक रखे जाते ही नहीं।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२३ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बुन्देलखंड में गहरे पानी में होने वाले धान की उपज की खोज के लिए योजना

*३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत बुन्देलखंड (हमीरपुर), झांसी, जालौन, बांदा के जिलों में गहरे पानी में होने वाले धान की उपज कराई जा सके ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गहरे पानी में होने वाले बांध की उपज की खोज करने के लिये एक स्कीम पर विचार हो रहा है। इसके कार्य-क्षेत्र सुराताल (जिला बलिया) और बेलाताल (जिला हमीरपुर) बुन्देलखंड हैं। इस स्कीम की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१-७३ पर)

*४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इस संबंध में बुन्देलखंड में कोई रिसर्च स्टेशन भी स्थापित करने की योजना है ? यदि हां, तो कहां और कब से ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साधारणतया जितनी पैदावार होती है उससे अधिक पैदावार इस योजना के लागू होने से हो जायगी ? यदि हां, तो उसका औसत क्या होगा ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अभी तजुरबा किया जा रहा है। जब तक तजुरबे में कोई नतीजा बरामद न हो यह कहना नामुमकिन है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव कृषि अधिकारी द्वारा ऐसा आया है कि हमीरपुर में रिसर्च स्टेशन खोला जाय ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये इस वक्त मुझे कोई याददाश्त नहीं है।

सरकारी गोसदनों में जानवरों का रख-रखाव

*५—श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गतवर्ष सरकारी गोसदनों में कितने पशु प्रविष्ट किये गये और कितने मरे ?

श्री हुकुमसिंह—१,४१५ पशु प्रविष्ट हुये और १,३९९ मरे।

*६—श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)—सरकारी गोसदनों में जीवित पशुओं के लिये चारे दाने और चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है और मृत पशुओं के चाम-हाड़ आदि का क्या उपयोग किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह—गोसदन के पशुओं को दाना नहीं दिया जाता है और वे केवल चराई पर ही निर्भर रहते हैं। चराई के लिये काफी घास न मिलने पर पास के वनों से सूखी घास का प्रबन्ध किया जाता है। उन की चिकित्सा के लिये गोसदनों में शिक्षित स्टाकमैन नियुक्त हैं तथा आवश्यक औषधियों का प्रबन्ध कर दिया गया है।

मृत पशुओं की हड्डी तथा चमड़े को एकत्रित करके नीलाम कर दिया जाता है।

*७—श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार अन्य वन क्षेत्रों में और अधिक गोसदन स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न ५-७ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे।

खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत भूमि-वितरण

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार १९-९-५५ के प्रश्न संख्या ९ और १० के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी में भूमि देने के लिये कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र आये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी— खीरी उपनिवेश योजना में अब तक १,५६४ भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों में से कितनों को अब तक जमीन दी जा चुकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—२१२ भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र मंजूर किये गये हैं और २३ एजुकेटेड अनएम्प्लायड के सलिसिले के।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक भूमिहीन व प्रत्येक ग्रेजुएट को कितनी-कितनी जमीन दी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—भूमिहीनों को दस एकड़ जमीन दी जाती है और जो एजुकेटेड अनएम्प्लायड हैं उनको २० एकड़ ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन दरख्वास्तों में कितनी दरख्वास्तें भूमिहीनों की, कितनी राजनैतिक पीड़ितों की और बाकी कितने लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रकार में शामिल हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इस डिटेल के लिये तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि लखीमपुर-खीरी की इस भूमि को जिसका माननीय मंत्री ने जिक्र किया है, भारत सरकार ने कोई बड़ा फार्म बनाने के लिये मांगा है ?

श्री हुकुमसिंह—न मांगा है, न मुझे देने की गुंजायश है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के अलावा कितने व्यक्तियों को जिनको जमीन दी जा रही है और कितनी-कितनी सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—भूमि के अलावा उनको एक हजार का मकान बनाकर दिया जाता है जिसमें पांच सौ रुपया तकावी का, और पांच सौ रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है और इसके अलावा पांच सौ रुपये की और तकावी दी जाती है बैल और दूसरे खेती के सामान खरीदने के लिये। खेती के बढ़ाने और डेवलपमेंट करने में जो खर्चा हुआ वह भी उनसे नहीं लिया जाता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह जो सुविधायें माननीय मंत्री महोदय ने बतलायीं ये लखीमपुर-खीरी में आबाद भूमिहीनों को ही दी जाती हैं या प्रांत के दूसरे भूमिहीनों को भी दी जाती हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह इसी स्कीम के लिये है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नौ तोड़ जमीन में भूमिहीनों को दिये जाने का कोई खास प्रतिशत दिया गया है कि अनिवार्य रूप से दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह—नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस उपनिवेश में किन किन जिलों के भूमिहीन बसाये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—कुछ गोरखपुर के तय हुये हैं और दूसरी जगह के तय नहीं हुये।

*९-१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१६ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*११—श्री व्रजविहारी मिश्र—[६ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[२३ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

सेण्ट्रल वर्कशाप रोडवेज, कानपुर का गैर-सरकारी काम के लिए बकाया

*१३—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या यह सही है कि सेंट्रल वर्कशाप रोडवेज, कानपुर गैर-सरकारी लोगों का काम भी मरम्मत के लिये लेता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सरकारी कार्य के अवहेलना हुये बिना संभव होता है तो गैर-सरकारी कार्य भी मरम्मत के लिये स्वीकार कर लिया जाता है।

*१४—श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही है कि इस मद में लोगों पर वर्कशाप का बकाया बहुत बड़ी तादाद में है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस मद में केवल ४,२५० रु० बाकी है।

*१५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार ऐसे गैर-सरकारी लोगों या फर्मों के नाम बताने की कृपा करेगी जिन पर वर्कशाप का रुपया बाकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वांछित सूचना संलग्न तालिका में वर्णित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न तालिका में दी हुई रकम कितने दिनों से बाकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५४ के करीब से बाकी है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५४ में गैर-सरकारी मरम्मत पर कुल कितना काम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनसे यह पैसा वसूल करना है उनसे किन कारणों से वसूल नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह—उन्होंने दिया नहीं है बावजूद मांगने के।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो रुपया मांगने पर भी नहीं दिया गया तो इस संबंध में कोई सरकारी कार्यवाही की गयी या मुकदमा दायर किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुकदमा तो अभी दायर नहीं किया गया, लेकिन कार्यवाही समय पर की जायगी। अभी तो हमने यह तय कर लिया है कि जो गैर-सरकारी लोगों की मरम्मत हो उनसे रुपया पहले जमा करा लिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों से पैसा अब तक वसूल नहीं हो पाया है उनमें जैपुरिया की जो बड़ी भारी कम्पनी है उससे भी रुपया वसूल करना बाकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, वह भी लिस्ट में है। उनसे जल्दी रुपया वसूल किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री जैपुरिया ने कुल कितने रुपये का काम कराया ?

श्री चरणसिंह—१,४७१ रुपये का।

प्रतापगढ़ जिले के कुछ गांवों में तहसीलदार के आदेश से पट्टों और बागों का इन्दराज

*१६—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सरसीखाम, धरौली, लखनामऊ, साल्हीपुर, कंजास दरछुट, कांपा, मधुपुर के १३५९ फसली के खसरों में तहसीलदार के आदेशों का हवाला देकर कुछ पट्टों एवं बागों का इन्दराज किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ग्राम सरसी खाम, धरौली, लखनामऊ और दरछुट के खसरा सन् १३५९ फ० में पट्टों एवं बागों के संबंध में तहसीलदार के हुक्म का हवाला देकर कोई इन्दराज नहीं पाया जाता है। ग्राम कांपा मधुपुर के खसरा सन् १३५९ फ० में तहसीलदार के हुक्म का हवाला देकर कुछ नामों के बढ़ाये जाने के बाबत दो इन्दराज हैं लेकिन बाग एवं पट्टों के बाबत कोई इन्दराज नहीं हैं।

ग्राम साल्हीपुर कन्जास के खसरा सन् १३५९ फ० में ५ इन्दराज बाबत पट्टा तहसीलदार के आदेश का हवाला देकर दर्ज हैं। ४ इन्दराजों में नम्बर मुकदमा व तारीख फैसला दर्ज नहीं है। केवल एक इन्दराज में तारीख फैसला तो दर्ज है लेकिन नम्बर मुकदमा दर्ज नहीं है।

*१७—श्री रामकिंकर—यदि हां, तो क्या ऐसे आदेश तहसील के मुहाफिज खाने की मिसिलों में हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपरोक्त आदेशों के संबंध में कोई इन्दराज रजिस्टर मिसिल बन्द में नहीं है और न किसी ऐसी मिसिल का पता अब तक चला है।

प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील में तीन लेखपालों का निलम्बन

*१८—श्री रामकिंकर—क्या यह सही है कि पट्टी तहसील के अन्तर्गत महुली सरकिल में तीन लेखपाल अभी हाल ही में निलम्बित किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इन लेखपालों के खिलाफ कृषि आयकर के नक्शे गलत बनाने तथा कर दाताओं की आमदनी छिपाने का आरोप था।

इलाहाबाद की नैनी इण्डस्ट्रियल कालोनी के लिए प्राप्त भूमि का उपयोग

*१९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी बनाने के लिये कितनी जमीन एक्वायर की गई थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस हेतु २०८ एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी।

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस जमीन में कितने कारखाने इस समय तक चल रहे हैं और कितनी जमीन खाली पड़ी है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस समय वहां १२ कारखाने चल रहे हैं और ८२ एकड़ भूमि अब भी उद्योगपतियों को देने को उपलब्ध है ।

*२१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या यह सही है कि वहां पर बहुत सी इन्डस्ट्रियल कम्पनियों को इन्डस्ट्री खोलने के लिये सरकार की ओर से लिखा गया था ? यदि हां, तो कितने कारखाने वालों ने वहां कारखाने खोलने का आश्वासन दिया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हां । कुछ उद्योगपतियों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया गया था । फलस्वरूप दो ने भूमि खरीद ली है और चार और कारखाने वालों ने वहां कारखाने खोलने का आश्वासन दिया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी थी उनको लिखित आश्वासन दिया गया था कि उनको जमीन दी जायगी लेकिन नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों नहीं दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह—मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया हो ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि इलाहाबाद के कुछ उद्योगपति जो वहां रोलिंग मिल खोलना चाहते हैं उनको सरकार सहायता देगी ? यदि हां, तो क्या सहायता देगी ?

श्री हुकुम सिंह—नये मिल खोलने के लिये जो हमारे यहां तय है वह इलाहाबाद वालों को भी सहायता दी जायगी उसमें कोई फर्क नहीं किया जायगा ।

तहसील बाह, जिला आगरा में ग्राम समाजों के सम्पत्ति रजिस्टरों की जांच

*२२—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बाह, जिला आगरा की कितनी पंचायतों के ग्राम सम्पत्ति रजिस्टरों की जांच किसी तहसील अधिकारी द्वारा हुई और कितने सही पाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील बाह, जिला आगरा में १०३ ग्राम समाजों के सम्पत्ति-रजिस्टरों की जांच तहसील अधिकारियों द्वारा की गई । ४६ ग्राम समाजों के सम्पत्ति-रजिस्टर सही पाए गए ।

*२३—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—कितने में ग्राम समाज की सम्पत्ति अक्षुण्य और कितने में अधिक्रमित पाई गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—४६ ग्राम समाजों में ग्राम समाज सम्पत्ति अक्षुण्य पाई गई और ५७ ग्राम समाजों में अधिक्रमित पाई गई ।

*२४—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—अधिक्रमित सम्पत्ति को मुक्त करने के लिये कितने केस चलाये गये और उसमें कितने सफल हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिक्रमित सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिये २६२ केस चलाए गए जिसमें १९९ अभी तक सफल हो चुके हैं ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में अधिक्रमण पाये गये उनकी रिपोर्ट जांच के पहले लेखपाल या भूमि प्रबंधक कमेटी ने तहसील में भेजी थी ?

श्री चरणसिंह—यह नहीं कहा जा सकता है कि रिपोर्ट किसने भेजी। नियमों के अनुसार भूमि प्रबन्धक कमेटी के मेम्बरों को भी अधिकार है, भूमि प्रबन्धक कमेटी को भी अधिकार है, लेखपालों को भी अधिकार है और एस० डी० ओ० भी नोटिस ले सकते हैं फिर आया रिपोर्ट कहां लेखपालों तथा मेम्बरों ने भेजी यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की जांच के परिणामस्वरूप एस० डी० ओ० द्वारा रिमूव्ड या सस्पेंडेड सभापति पुनः अध्यक्ष पद के लिये उम्मीदवार हो सकते हैं ?

श्री चरणसिंह—यह सवाल असली सवाल से संबंधित नहीं है। रहा सवाल यह कि कोई मेम्बर या प्रेसीडेन्ट किसी जुर्म की वजह से अलग किया जाता है और जुर्म साबित हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि वह खड़ा नहीं हो सकता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गावों में भूमि प्रबन्धक कमेटी या लेखपालों की कनायवेंस पाई गई है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई या किये जाने का विचार है ?

श्री चरणसिंह—अगर वाकई में लेखपाल की कोई गल्ती पाई गई तो उसको सजा दी जायगी। लेकिन मेरे दोस्त देखेंगे कि २६२ मुकद्दमे चले और १९९ सफल हुये तो इससे मालूम होता है कि कार्यवाही काफी हुई है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मेरे पूछने का मतलब यह था कि जांच के समय यदि यह अधिक्रमण पाये गये उसकी रिपोर्ट भूमि प्रबन्धक समिति या लेखपाल ने क्यों नहीं की ?

श्री चरणसिंह—इसकी वजह यह है कि एक तो भूमि प्रबन्धक समिति को इतनी जल्दी में अधिकार मिले हैं और दूसरे उसकी नातजुर्बेकारी है। अब उनको नये अधिकार मिले हैं इसलिये वह अब अपने अधिकारी के प्रति ज्यादा सजग हो जायंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बाकी गांवों में भी जांच कराने के लिये आदेश भेजेगी ?

श्री चरणसिंह—जाड़े के दौरे के सिलसिले में जो हिदायत जारी हुई है उसमें कलेक्टर और एस० डी० ओज० से कहा गया है कि और कामों के साथ-साथ वह भूमि प्रबन्धक कमेटी के रजिस्टर वगैरह की भी जांच करें और उसके काम को देखें लेकिन यह काम इतना बड़ा है कि गांव का मुआयना और रजिस्टरों का मुआयना नहीं किया जा सकता है। वैसा कहा जाता है कि जहां तक मुमकिन हो सके इनके काम को तथा रजिस्टरों को भी देखने की कोशिश करें।

जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के पास माल के मुकदमों की निर्धारित संख्या

*२५—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुडिशल मैजिस्ट्रेटों को रोज दस माल के मुकदमे लाजिमी तय करने पड़ते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। अब नये आदेशों के अनुसार उनको माल के केवल ७ मुकदमे तय करने पड़ते हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये आदेश से पहले जुडीशियल मैजिस्टेटस को कितने मुकद्दमे तय करने पड़ते थे और नये आर्डर्स कब जारी किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले २,५०० मुकद्दमे करने पड़ते थे लेकिन बाद को तजुर्बे से मालूम हुआ कि यह ज्यादा है, इसलिये यह कर दिया गया और साल भर के अन्दर ही ऐसे आर्डर्स जारी हुये हैं।

मैनपुरी जिले में सिरसा नदी की बाढ़ से हानि

*२६—**श्री महाराज सिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सिरसा नदी में जो तहसील जसराना-शिकोहाबाद में बहती है अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में जो बाढ़ आ गई थी उससे मैनपुरी जिले की तहसील जसराना तथा शिकोहाबाद में सिरसा नदी के निकटवर्ती ग्रामों की फसल को क्या हानि हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सिरसा नदी की बाढ़ से जिला मैनपुरी के २३ गांव प्रभावित हुये परन्तु फसल को हानि इनमें से केवल ४ ग्रामों में हुई जिसका विवरण इस प्रकार है।

ग्राम	हानिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल एकड़	हानि की मात्रा (रुपये में) आना
दियागंज	३	१
सिरसा	५	१
असवा	५.५	६
रिठेरा	७.५	१०

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बाढ़ से तहसील जसराना के कितने गांव प्रभावित हुए ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें अलग-अलग तो नहीं दिया हुआ है लेकिन मेरे खयाल में माननीय सदस्य जानते होंगे। यह थोड़े से गांव हैं।

श्री महाराज सिंह—क्या यह सही है कि वर्षा समाप्त होने के बाद इस नदी में बाढ़ आई ? यदि हां, तो यह पानी इस नदी में कहां से आया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, बाद में बाढ़ आई। लेकिन यह पानी वर्षा से ही आया होगा।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बाढ़ के कारण कुछ ऐसी जमीन भी हैं जो कि रबी में अभी तक बोई नहीं गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, ऐसी खबर मिली है कि कुछ जमीन बाद में बोई गई, जो बोने का वक्त था उसके बाद में और हो सकता है कि कुछ जमीन ऐसी भी हो कि जो बोई न जा सकी हो।

श्री महाराज सिंह—बाढ़ से जिन गांवों को हानि हुई है क्या सरकार उनका लगान माफ करेगी और तकावी माफी करन का प्रबन्ध करेगी ?

श्री चरणसिंह—कुल साढ़े सात एकड़ जमीन एक गांव में, १० आना फसल का नुकसान हुआ है तो उसके लिये कायदे के मुताबिक सहायता मिलेगी ?

श्री महाराज सिंह—श्रीमन, मैंने यह प्रश्न किया था कि वर्षा समाप्त होने के बाद इस नदी में बाढ़ आई ? यदि हां, तो वह पानी कहाँ से आया ?

श्री चरणसिंह—पानी तो ऊपर से ही हमेशा आता है।

श्री महाराज सिंह—क्या अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब पानी ऊपर से नहीं आया तब भी इस नदी में बाढ़ आ गई ?

श्री चरणसिंह—जिन इलाकों से नदी होकर गुजर रही है हो सकता है कि उन पर वर्षा अधिक हुई हो और उस वजह से बाढ़ आ गई हो। अगर वहां इन्द्र देवता ने पानी न बरसाया तो भी दूसरी जगहों से उसमें पानी आ सकता है।

*२७–२९—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—[३० जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०–३१—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)—[३० जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में लगान वसूल करने वाले हरिजन अमीन

*३२—**श्री बसन्त लाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में लगान वसूल करने वाले कुल कितने अमीन हैं, उनमें प्रत्येक तहसील में कितने-कितने हरिजन हैं और स्थायी अमीनों की तादाद क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला जालौन में मालगुजारी वसूल करने वाले अमीनों की कुल संख्या १६१ है। तहसीलवार हरिजन अमीनों की संख्या निम्नलिखित है:—

नाम तहसील	संख्या
उरई	१
जालौन	१
कालपी	२
कौंच	२
योग ..	६

मालगुजारी वसूली की योजना अभी स्थायी नहीं की गई है अतएव उसमें कोई स्थायी अमीन नहीं है। वर्षा भर के लिये (all the year rouud) जिला जालौन में अमीनों की संख्या ८१ है। शेष सीजनल (seasonal) हैं जो केवल रबी फसल में ही नियुक्त किये जाते हैं।

*३३—**श्री बसन्त लाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष जिला जालौन के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में उपर्युक्त अमीनों के चुनावों में कुल कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनमें हरिजनों के कितने कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गत वर्ष जिला जालौन में वर्ष भर के लिये अमीनों का चुनाव नहीं हुआ क्योंकि यह चुनाव सन् १९५३ में हुआ था जब कि तहसीलदार के पास निम्न-लिखित प्रार्थना-पत्र आये थे :—

नाम तहसील		अमीन पद के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या	कुल प्रार्थना-पत्रों में हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या
उरई	..	७८	४
जालौन	..	१५०	७
कालपी	..	७६	६
कौंच	..	६६	२
योग	..	३७०	१९

गत वर्ष (अर्थात रबी १३६२ फसली) में "वर्ष भर के लिये" अमीनों में से केवल १ स्थान हरिजन् अमीन के त्याग-पत्र देने से रिक्त हुआ था उसमें १ हरिजन ही नियुक्त किया गया।

श्री बसंत लाल—जिला जालौन में कुल १६१ अमीनों में से हरिजन अमीन सिर्फ ६ लिये गये। पूरे संरक्षण के हिसाब से नहीं लिये जा सके, इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—योग्यता जो चाहिये उसके करीब के लोग नहीं आ पाते और इसलिये उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है।

श्री बसन्त लाल—यह चुनाव किस योग्यता के आधार पर किया जाता है?

श्री चरणसिंह—एक योग्यता तो यह थी कि जिन लोगों को पुराना तजुर्बा था मालगुजारी या आबपाशी वसूल करने का और जो एक्सट्रा अमीन कहलाते थे उनको हर फसल में तीन महीने के लिये मुकर्रर किया जाता था और जो ५ साल से काम करते आ रहे थे तो उनको प्रिफरेन्स दिया जाता था और कुछ योग्यता उमर की भी थी और शिक्षा की भी थी उसकी वजह से लोग आ नहीं पाते थे। रही फीसदी की बात तो १८ फीसदी के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जा चुका है। यह ठीक है कि अमीनों में इनकी फीसदी कम है लेकिन बारबार उनसे कहा गया है कि जहां जगहें खाली हों तो आगे १८ फीसदी का कोटा पूरा करने के लिये शिड्यूल कास्ट के लोगों को ही लिया जाय।

श्री बसन्त लाल—गत वर्ष रबी की फसल के समय कितने सीजनल अमीन नियुक्त किये गये थे और उनमें हरिजनों की क्या संख्या थी।

श्री चरणसिंह—हरसाल ८० सीजनल अमीन भर्ती किये जाते हैं उनमें चार हरिजन थे।

आजमगढ़ जिले में खलियानों में आग लगने से हानि

*३४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में गत रबी की फसल में खलिहानों में आग लग जाने के कारण अलग-अलग कितने-कितने रुपये का नुकसान हुआ है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आजमगढ़ जिले में प्रत्येक तहसील में आग लगने से जो हानि रबी १३६२ फसलो में हुई है उसका विवरण इस प्रकार है :

नाम तहसील				हानि रु०
१—फूलपुर	..	..	..	१५,५३५
२—सदर	..	..	..	२,०००
३—मुहम्मदाबाद	..	..	..	२,८१०
४—लालगंज	..	..	..	२,०००
५—घोसी	..	..	..	५,७४८
६—सगड़ी	..	..	..	..
			योग ..	२८,०९३

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने रुपये की जो हानि हुयी है उसमें कितने रुपये की सरकार की ओर से मदद हुयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—२,५७० रुपये मुफ्त बांटे गये और २३ मन गल्ला मुफ्त बांटा गया और कुछ कपड़ा भी मुफ्त बांटा गया ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पैरा नम्बर ५ में जो रुपया नुकसान हुआ है यह कितने गांवों का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गांवों की संख्या तो इस वक्त मेरे पास नहीं है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के विचाराधीन इस तरह का कोई प्रश्न है कि जिनका खलिहान जल जाता है कि उनके खेतों की सारी मालगुजारी माफ कर दी जाय ?

श्री चरण सिंह—उसके लिये मेरे मित्र लैन्ड मैन्युअल को देखने की कोशिश करें। उसमें सब नियम दिये हुये हैं जो बहुत तजुर्बे के बाद बने हैं। उनमें कोई संशोधन करने का विचार नहीं है ।

देवरिया पंजाबी केन यूनियन में किसानों का रोड फण्ड में जमा धन

*३५—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया पंजाबी केन यूनियन में कितना पैसा रोड फंड के लिये किसानों से लिया गया जमा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—देवरिया पंजाबी केन यूनियन में किसानों से सन् १९५४–५५ में ५,४३५ रु० १४ आ० रोड फंड के लिये लिया गया है ।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि प्रश्न नं० ३५ में मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि देवरिया पंजाबी केन यूनियन में कितना पैसा रोडफंड के लिये किसानों से लिया गया जमा है और उसका जवाब यह दिया गया है कि देवरिया पंजाबी केन यूनियन में १९५४–५५ में ५,४३५ रुपया १४ आना रोड फंड के लिये लिया गया था। तो उनका यह जवाब गलत है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री हुकुम सिंह—माननीय मित्र जी की जो दिक्कत है उसको मैं समझा नहीं हूं।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न किया था कि रोडफंड में देवरिया पंजाबी केन यूनियन का कितना रुपया जमा है और जो उत्तर दिया गया है माननीय मंत्री जी की तरफ से वह यह है कि ५४–५५ में किसानों से जो रुपया लिया गया है वह बताया गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह जवाब गलत है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक रोड फंड का ताल्लुक है, उसका नियम यह है कि १/३ उसमें केन्द्रीय सरकार की तरफ से रुपया रहता है, १/३ प्रान्तीय सरकार की तरफ से और १/३ किसानों और मिलों का होता है जब से नैनीताल में फैसला हुआ है।

श्री हुकुमसिंह—शायद जवाब देने में मेरे मित्र को जो नुक्ते नजर था उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आयन्दा दूसरा जवाब देकर अपने मित्र के जवाब की पूर्ति करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामेश्वर लाल—तो श्रीमन्, क्या यह प्रश्न ३५ स्थगित समझा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—हां, यह प्रश्न स्थगित हो गया।

रोड फण्ड में किसानों का जमा रुपया

*३६—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार किसानों द्वारा प्रदत्त रोड फंड के कुल रुपये जो प्रान्त भर में जमा हैं कृपा कर बतायेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—किसानों द्वारा रोड फंड में कुल १४,१९,९६७ रु० १५ आ० १ पाई प्रान्त भर में जमा है।

*३७—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार उन पैसों का आडिट कराती है ? यदि हां, तो कब-कब आडिट हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हां, विभागीय लेखा निरीक्षकों द्वारा उन पैसों का आडिट प्रति मास तथा प्रति वर्ष होता रहता है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १४,१९, ९६७ रु० १५ आ० १ पा० जमा है वह कहां जमा है ?

श्री हुकुम सिंह—एक महफूज जगह पर है।

श्री रामेश्वर लाल—उस जगह का नाम क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—खजाने में।

श्री रामेश्वर लाल—वह रुपया खजाने में किसके नाम से और किस हैड में जमा है ?

श्री हुकुम सिंह—रोड के फंड का रुपया जिला मैजिस्ट्रेटों के नाम जमा है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरे इस प्रश्न को ही आधार मानकर पूरे प्रान्त में जो रोड फंड में पैसा जमा है उसका आडिट सरकारी तौर पर सरकारी आडिटर द्वारा करावेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—विभागीय आडिटरों के जरिये से ही आडिट हुआ करता है, वे सरकारी ही होते हैं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि इस प्रश्न के उत्तर में प्रान्त की कुछ मिलों ने माननीय मंत्री की सेवा में यह लिखा है कि उन्होंने ५०–५१ तक आडिट कराया है लेकिन आडिट की कोई रिपोर्ट या किसी भी तरह के कागजपत्र उनके पास नहीं हैं ?

नोट—अपूर्ण उत्तर देने के कारण प्रश्न ३५ स्थगित किया गया।

श्री हुकुम सिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १४,१९,९६७ रुपये १५ आने जमा हैं, उसमें से कुछ रोड निर्माण में खर्च भी हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह—आता भी रहता है, खर्च भी होता रहता है और जो नहीं खर्च होता है वह जमा रहता है।

फैजाबाद जिले में चकबन्दी विभाग में परिगणित जाति के कर्मचारी

*३८—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद में चकबंदी विभाग में कुल कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं, कितने कन्सालिडेटर, कितने क्लर्क तथा कितने चपरासी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला फैजाबाद में चकबंदी योजना के अन्तर्गत कुल ४७५ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से ६९ कन्सालिडेटर, ३२ क्लर्क तथा १०५ चपरासी हैं।

*३९—श्री रामदास रविदास—उसमें कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुल २३ कर्मचारी परिगणित जाति के हैं।

५० रुपये तक जमींदारी मुआवजा मिलने में सुविधा

*४०—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि २५० रु० (ढाई सौ रुपये) तक के भूतपूर्व जमींदारी के मुआविजे की अदायगी की किसी सरल योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, किन्तु ५० रु० तक नकद मुआवजा पाने वाले जमींदारों को मालगुजारी में अपने मुआवजे को मिनहा करने की बिना तहसील आये सुविधा दी जा चुकी है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधा ५० रुपये तक नकद मुआविजा पाने वालों को दी गयी है वह ढाई सौ रुपये तक पाने वालों को दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बाकी रुपया बान्डस में मिलता है और उसका हिसाब अलहदा होता है।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि मुआविजा लेने के सिलसिले में तहसीलों में भूतपूर्व जमींदारों को निम्न कर्मचारियों के जरिये भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चतुभज शर्मा—ऐसी अभी कोई शिकायत नहीं आयी है।

कुमायूं डिवीजन में नाप जोख तथा अभिलेख दुरुस्ती की कार्यवाही

*४१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं डिवीजन में बन्दोबस्त किये जाने की कार्यवाही शुरू हो गयी है ? अगर हां, तो उक्त कार्यवाही किन-किन पट्टियों में शुरू की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुमायूं डिवीजन में आयोजना नाप जोख तथा अभिलेख दुरुस्ती की कार्यवाही (Survey and Record operations) की है न कि बन्दोबस्त करने की। जिला नैनीताल की तहसील नैनीताल, कालाढुंगी और रामनगर की पेशकारियों के सहित तहसील हलद्वानी के ८५ गांव में यह कार्यवाही हो रही है। कुमायूं डिवीजन के अन्य तीन जिलों में प्रत्येक जिले की एक एक तहसील में उपर्युक्त कार्यवाही को आरम्भ करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*४२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया उन नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनके आधार पर कुमायूं में बन्दोबस्त किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही होगी उनकी एक आलेख्य प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है। यह आलेख्य सरकार के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५–८४ पर)

*४३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त बन्दोबस्त में कुल कितने कर्मचारी लगे हुये हैं, और उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—३१ अक्तूबर, १९५५ तक नैनीताल जिले के ८५ ग्रामों में उपयुक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में ४४ कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन ग्रामों में यह कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष तक पूरे हो जायेंगे। पूरे कुमायूं डिवीजन में इस कार्य को पूरा करने के लिये लगभग ३ वर्ष लगने की सम्भावना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वर्तमान वर्ष के बजट में कुमायूं डिवीजन में बन्दोबस्त के लिये १५ लाख रुपया स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो बन्दोबस्त न किया जाकर यह नाप वगैरह की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—अगर बन्दोबस्त करते तो बन्दोबस्त तो लैन्ड रेकार्ड्स आपरेशन और सर्वे आपरेशन्स में नहीं होता। बन्दोबस्त में मालगुजारी बढ़ जाती है। ताकि पहाड़ी इलाके में मालगुजारी बढ़ न जाय, इसलिये सैटिलमेंट नहीं कराया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन इलाकों में सर्वे रेकार्ड्स आपरेशन हो रहा है वह किन नियमों के आधार पर हो रहा है ?

श्री चरणसिंह—चल रहा है ८५ गांवों में और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के नियमों के मुताबिक जिन तीन तहसीलों में जारी होने के आदेश यहां से निकल चुके हैं उनके रूल्स का आलेख्य माननीय मित्र को दे दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो नियम अभी सरकार के विचाराधीन ही हैं वे पहले से ही लागू कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। माननीय मित्र पहले सवाल का जवाब गौर से पढ़ने की कोशिश करें। आदेश जारी किये गये हैं कि स्टाफ में पहुंच जावें। इससे पहले रूल्स फाइनल हो जावेंगे।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—जिला टेहरी-गढ़वाल में अभी कुछ दिन हुये रेकार्ड आपरेशन्स का रिवीजन हुआ है ? अगर हां, तो वहां उस रिवीजन की क्या आवश्यकता है ?

श्री चरण सिंह—शायद जैसा इन्टेन्सिव होना चाहिये वैसा नहीं हुआ है इसलिये करने की जरूरत है। यह बात ठीक है कि किसी समरी किस्म का वहां हुआ लेकिन टेहरी तहसील में हम करने का विचार रखते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—जिला गढ़वाल की किस तहसील में सर्वे आपरेशन होने का आदेश हुआ है ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सर्वे और रिकार्ड आपरेशन्स के लिये जिन कर्मचारियों को अमीनों की ट्रेनिंग दी गयी थी, उनको कार्य पर न लगा कर ऐसे कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है जिनको अनुभव नहीं है ?

श्री चरणसिंह—अभी जब मैं नैनीताल के देहातों में गया था तो वहां मुझे एक अफसर मिले जो वहां इन कामों के लिये भेजे गये हैं, उन्होंने वहां पर मुझे दो दिक्कतें बतायीं। एक तो यह कि जो सरितान वगैरा हैं उनके लिये लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम दर्ज किया जाय दूसरे यह कि वहां पर पहाड़ी और देसी का सवाल भी उठाया जा रहा है। माननीय मित्र ने जो सवाल किया है उसका ताल्लुक उसी से मालूम होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को इस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा। मैं तो केवल इतना ही कह रहा था कि नैनीताल के जिन लोगों को अमीनी की ट्रेनिंग दी गयी थी, उनको काम पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—जिन लोगों को पुराना तजुर्बा सैटिलमेंट का था उनको सर्वे आपरेशन्स के लिये लिया गया है। ऐसे आफीसरों की तादाद बहुत कम है। जब सैटिलमेंट बराबर चला करता था तो आफीसरों को तजुर्बा होता रहता था। लेकिन चूंकि बहुत दिनों से यह काम बन्द है इसलिये तजुर्बे कार नाममात्र को रह गये हैं इसलिये जितने हो सके हैं उतने तजुर्बे-कार लोग वहां पर भेजे गये हैं और पहाड़ों का तो तजुरबा शायद ही किसी को हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन लोगों को नैनीताल और अल्मोड़ा में ट्रेनिंग दी गयी थी उनकी सेवाओं का उपयोग सरकार किस प्रकार करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—ज्यादा तफसील में जाने के लिये तो नोटिस की जरूरत होगी वैसे इस प्रश्न का इस सवाल से कोई वास्ता नहीं है।

श्री सत्य सिंह राणा—जिन जगहों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है वहां पर चेन सर्वे हो रहो है या प्लेन टेबिल सर्वे ?

श्री चरण सिंह—वहां पर रिकार्ड आपरेशन्स हो रहे हैं यह मैं नहीं जानता कि वहां पर जंजीर से की जा रही है या और किसी प्रकार से।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पुराने जो लोग सर्वे के कार्य में दक्ष हैं उनमें बहुत सी पुरानी खुराफातें भी हैं ?

श्री चरणसिंह—खुराफाती तो हर वर्ग में हर जगह मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि 'खुराफात' शब्द का प्रयोग उचित नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सर्वे रिकार्ड आपरेशन्स में कुल कितना खर्च लगेगा ?

श्री चरणसिंह—गालिबन ८४ लाख।

गाजीपुर जिलान्तर्गत मुम्मदाबाद तहसील में फल दार बागों का क्षेत्र

*४४—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में आम और फलों के बाग का कितना रकबा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर में आम और फलों का रकबा, ६,४३७ एकड़ है।

श्री शिवपूजन राय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ६४३७ एकड़ में से आम के बाग कितने एकड़ में हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आम के बागों का अलग रकबा नहीं रक्खा जाता, फलदार बागों का रकबा रक्खा जाता है जो बतला दिया गया है।

अलीगढ़ रोडवेज के दो ड्राइवरों को एक प्रकार के मुकदमों में विभिन्न दण्ड

*४५—**श्री हरिप्रसाद** (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार के पास अलीगढ़ के रोडवेज ड्राइवरों की कुछ शिकायतें हाल में आई हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अलीगढ़ रोडवेज में जिन जिन ड्राइवरों पर एक ही किस्म के मुकदमें चले उनमें से एक ड्राइवर तो अलग कर दिया गया और एक काम कर रहा है, यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई सूचना नहीं है लेकिन ऐसा हुआ होगा कि एक का जुर्म साबित हो गया होगा दूसरे का न हुआ होगा।

*४६—**श्री शिवपूजन राय**—[२३ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

कायमगंज तहसील में गन्ने की उपज

*४७—**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५३–५४, सन् १९५४–५५ और सन् १९५५–५६ में तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में गन्ने की कितनी पैदावार हुई?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में निम्नलिखित गन्ने की पैदावार हुई—

	मन
सन् १९५३–५४	७,५९,१५०
सन् १९५४–५५	१०,१३,४००
सन् १९५५–५६	९,५३,१९०

अधिक अन्न उपजाओ योजनान्तर्गत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता का व्यय

*४८—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वित्त वर्ष में अधिक अन्न उपजाओ स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता इस प्रदेश को दी है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अधिक अन्न उपजाओ स्कीम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार से १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कुछ सिंचाई योजनाओं के बक़ाये का १३·०८५ लाख रुपया का ऋण मिला। वर्तमान वर्ष (१९५५–५६) की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने २६५·९४३ लाख रुपया का ऋण तथा १९·४३४ लाख रुपया का ग्रान्ट स्वीकृत किया है। परन्तु यह रुपया अभी राज्य सरकार के खजाने में नहीं आया है।

*४९—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया किन-किन योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है?

नोट—तारांकित प्रश्न ४७ श्री अब्दुल रऊफ खां ने पूछा।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उक्त १३.०८५ लाख रुपया जो प्राप्त हो चुका है सिंचाई विभाग की ६ निम्नलिखित योजनाओं पर खर्च हो रहा है —

	लाख रु०
१—सहारनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	२.५
२—मुगलसराय डिस्ट्रिब्यूटरी	०.७
३—हल्दीतराई नहर	२.५
४—काशीपुर तराई नहर	०.५८५
५—मेजा नहर	२.८०
६—बखिरा पम्प नहर, बस्ती	४.००
योग ..	१३.०८५

वर्तमान वर्ष (१९५५-५६) में २६५.९४३ लाख रुपया का ऋण तथा १९.४३४ लाख रु० की ग्रान्ट जिन योजनाओं के लिये स्वीकृत हुई है उनका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५-८७ पर)

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि बखिरा का जो ४ लाख रुपया सरकार ने जवाब में बताया है उस में यहां की सरकार कितना रुपया खर्च करेगी?

श्री हुकुम सिंह—सब माल अपना ही है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष की रकम अब तक राज्य सरकार के खजाने में प्राप्त क्यों नहीं हुई?

श्री हुकुम सिंह—लिखा पढ़ी हो रही है, जो अकाउन्ट्स के कायदे हैं उनकी पाबन्दी की जा रही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष की रकम प्राप्त न होने से योजनाओं की जो संलग्न सूची दी हुई है, उसमें कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी बात नहीं है, रुपया जल्द मिलने वाला है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिन योजनाओं का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है उनको किस आधार पर योजना में सम्मिलित किया जाता है?

श्री हुकुम सिंह—जहां जहां जरूरत महसूस होती है वहीं वहीं यह काम किये जाते हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि बुन्देलखंड में भी इन्हीं योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार का रुपया आवश्यकतानुसार खर्च करने की कृपा की जायगी?

श्री हुकुम सिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर बुन्देलखंड के बारे में कोई बात तय होगी तो वहां भी जरूर रुपया लगाया जायगा।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जिन किसानों ने सरकार से क़र्ज़ लेकर बन्धियां बनाई हैं क्या सरकार उनके कर्ज में कमी करने का विचार रखती है।

श्री हुकुम सिंह—जब पैदावार में वृद्धि है तो माफी की जरूरत नहीं है।

समाचार पत्रों में एक खोये हुए कुत्ते, जिसका नाम मुहम्मद बतलाया जाता है, का विज्ञापन प्रकाशित होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—दो काम रोको प्रस्तावों की सूचना दी गई है। एक श्री झारखंडेराय जी का है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके विषय में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं जानना चाहूंगा कि विषय क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"लखनऊ के दो समाचार पत्रों में एक खोये हुए कुत्ते का, जिसका नाम मुहम्मद (इस्लाम के पैगम्बर का नाम) था, विज्ञापन प्रकाशित होने के विरोध में गत ६ जनवरी को प्रदेश के अनेक नगरों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हड़ताल एवं रोष प्रदर्शन तथा सरकार की इस विषयक उपेक्षा नीति से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तक जो परिस्थिति है वह मैं आप की आज्ञा से सदन के सामने रख देता हूं। २८ तारीख को यहां के एक अंग्रेजी और एक हिन्दी अखबार में किसी एक व्यक्ति ने एक विज्ञापन निकाला कि उसका एक कुत्ता खो गया है। कुत्ते की जाति लिखी हुई थी और कुत्ते का रंग, रूप दिया हुआ था। यह जो उसमें लिखा था कि उस कुत्ते का नाम मुहम्मद है और उसमें लिखा था कि जो कोई उस कुत्ते को ढूंढ़ देगा उसको इनाम दिया जायगा। साधारण तौर से कुछ खास लोगों को छोड़ कर लोग अखबारों में जो विज्ञापन के कालम्स होते हैं उनको प्रायः नहीं पढ़ा करते। शायद ही किसी की निगाह जाती हो, फिर भी कुछ लोगों की निगाह गई और उसकी कुछ चर्चा हुई। पुलिस ने उसी दिन जिस व्यक्ति का विज्ञापन निकला था उसको २९५ में यानी दूसरों की रिलीजस फीलिंग को हर्ट करने की धारा में चालान किया। उस रोज वह शख्स नहीं मिला। दूसरे रोज मिला और वह हवालात में डाल दिया गया। चूंकि अखबारों की तरफ से यह विज्ञापन निकला था उनकी तरफ से भी इस बात पर दूसरे दिन अफसोस प्रकट किया गया कि भूल से उनके अखबार में ऐसा विज्ञापन निकल गया। बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिये थी, लेकिन खामख्वाह एक व्यक्ति की भूल को लेकर कुछ लोगों ने आन्दोलन शुरू किया और ऐसी कुछ सूरत हो रही है कि वह एक हिन्दू मुस्लिम सूरत पैदा हो जाय और व्यर्थ प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध हो। मुकदमें में क्या होगा, मैं नहीं जानता। वह शख्स हवालात में रहने के बाद जमानत पर छूटा। फिर वह यहां का नेशनल है नहीं, नैपाली है और नैपाल चला गया है और अगर वापस नहीं आया तो फिर सोचना होगा कि उसका एक्सट्रेडिशन हो सकता है या नहीं। जो कायदा है एक्सट्रेडिशन का उसके अन्दर वह शख्स नहीं आता तो फिर मुकदमा तो शायद किसी अदालत में चल नहीं सकता। यह जरूर अफसोस की बात है, जैसा मैंने निवेदन किया, कि किसी एक शख्स ने ऐसी बेहूदी हर्कत की और ऐसा नाम रक्खा। यह गलत बात है। हर शख्स उसे मानेगा कि बहुत ही नामाकूल काम हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के काम को इतना तूफान बनाया जा रहा है। मुझे मालूम है कि एक आध दिन हुआ जब हड़ताल ही नहीं हुई एक मस्जिद में बहुत ही गलत और इश्तियाल फैलाने वाली, लोगों को उभारने वाली कुछ स्पीचें भी हुईं। बहरहाल, मैं आशा करता हूं कि यह बात यहां की यहीं शांत हो जायगी और अगर मुकदमा चल सकता होगा तो मुकदमा जो कुछ होगा, वह होगा। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये, जिससे व्यर्थ इस बात का एक साम्प्रदायिक रूप हो जाय और अपने प्रदेश का वातावरण अशांत हो।

इसके सिवा और कुछ निवेदन करने की गुंजाइश नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद में समझता हूं कि हमारा प्रस्ताव वापस कर लिया जाय।

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव श्री रामेश्वर लाल जी ने दिया है, जो कि इस प्रकार है, "प्रान्त में बैंक कर्मचारियों के बीच उत्पन्न असंतोष से प्रान्त भर के बैंकों में तारीख ६–७ जनवरी, १९५६ की व्यापक हड़ताल के होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के हेतु यह सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके सम्बन्ध में मेरा निश्चय यह है कि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विषय है और इसके लिये मैं यहां कार्य-स्थगन की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैंने बैंकों के सम्बन्ध में अपना काम रोको प्रस्ताव नहीं रखा है, बैंक कर्मचारियों के सम्बन्ध में रखा है। और बैंक कर्मचारी लेबर में हैं इसलिये इस पर पुनःविचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अपना निश्चय दे चुका हूं।

साप्ताहिक कार्य क्रम के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक जानकारी मैं करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या होगा और इस सेशन की बैठक कब तक चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष—यदि माननीय मुख्य मंत्री कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अभी तो आज ही बैठक शुरू हुई। कब सेशन खत्म होगा इसके बताने के लिये अभी काफी समय है। अभी बहुत काम है हमारे पास।

* यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में कृत संशोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३१८—टी (एम) / ३०—४४५२—टी—५५, दिनांक २० सितम्बर, १९५५, जिससे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

* यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रुल्स, १९३५ में कृत संशोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २१ के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७६८—टी (एम)/३०—४४६६—टी—५५, दिनांक २३ सितम्बर, १९५५, जिससे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन रूल्स, १९३५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि एक रोज रखा जाय, जिस दिन इस पर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष—इस पर निश्चय बाद को होगा।

---

* छापे नहीं गये।

*उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५

†खंड ५ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन पेश किया है उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिये। सरकार ने जो कानून बनाने का निश्चय किया है वह इस प्रकार है—

"for controlling the price at which and the manner in which molasses may be bought or sold for any purpose and different price may be provided for different purposes ;

मल्ल जी का यह कहना है कि इसमें से यह हिस्सा निकाल दिया जाय—"डिफरेंट प्राइस में बी प्रोवाइडेड फार डिफरेंट परपजेज"। वे चाहते यह हैं कि जहां यह लिखा हुआ है—"फार कंट्रोलिंग दी प्राइज ऐट ह्विच ऐण्ड दी मैनर इन ह्विच मुलैसेस मे बी बाट आर सोल्ड फार दी परपज आफ डिस्टिलेशन", यह कर दिया जाय। सरकार की आवश्यकता सबसे बड़ी आवश्यकता है यह मानना है। जो डिस्टिलरीज हैं सूबे की उन डिस्टिलरीज को मुलैसेज मिल सके यह जरूरी है। यह बात सही है कि सरकार को बहुत समझाया गया कि जो दूसरे उद्देश्य सरकार विचार में रखती है कि मुलैसेज ले करके उसका उपयोग किया जायगा उसको सरकार छोड़ दे लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार उससे इन्कार करती है। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में जो हमारा अनुभव है, वह अनुभव यह बताता है कि हम सरकार को दूसरे काम के लिये मुलैसेज को कंट्रोल करने का अधिकार न दें। सरकार की आवश्यकता है फैक्ट्रीज को चलाने की जिससे कि पावर अल्कोहल तैयार किया जाय। उसके लिये उसे अख्तियार दिया जा रहा है और यह जो क्लाज है उसमें डिस्टिलेशन कह दिया जा रहा है कि अगर उसके लिये जरूरत हो तो सरकार क़ीमत फिक्स कर दे। लेकिन सरकार यह चाहती है कि उसके बाद भिन्न-भिन्न कामों के लिये भिन्न-भिन्न कीमत मुक़र्रर करने का अख्तियार उसे रहे। अब भिन्न-भिन्न काम क्या होंगे इसके बारे में भी स्पष्ट सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं जाता है। यह कौन से भिन्न काम होंगे और उस भिन्न कामों पर विचार करने का, राय देने का क्या बोर्ड को अख्तियार है या नहीं ? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सरकार आखिर उस काम को तो बतलाये, साफ-साफ बतावे कि यह क्या काम है और उस काम के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की क़ीमत क्यों रखना चाहती है। तो यह बड़ी मोटी बात है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई उलझन की बात सरकार के लिये पैदा हो नहीं रही है। तो फिर सरकार को इसमें क्या दिक्कत है ? सिर्फ पावर अल्कोहल के लिये वह क़ीमत मुक़र्रर करना चाहती है तो वह क़ीमत वह मुक़र्रर कर ले। बाक़ी शीरे के लिये जहां तक कीमत मुकर्रर करने का सवाल है उसको वह न करे।

शुरू में मैंने निवेदन किया था और आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि सारे मुलैसेज जो हमारे यहां के हैं जितनी मात्रा में वह तैयार होते हैं उन सभी मुलैसेज की आवश्यकता नहीं है कि वह डिस्टिलरीज में जायं। अगर सरकार यह बताये कि जितना मुलैसेज यहां तैयार

*१९ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।
†२२ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री गेंदासिंह]

होता है उसके लिये सब के लिये उसने स्पिरिट बनाने के लिये या पावर अल्कोहल बनाने के लिये डिस्टिलरीज़ बनवा लीं तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। फिर इसके लिये तो एक हिसाब चाहिये और वह हिसाब सदन के सामने आना चाहिये। अगर हाउस को यह बात मालूम होती तो उसको इस तरह का अख्तियार देने में कोई आपत्ति न होती और मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह का अख्तियार सरकार को दिया जाता। लेकिन यह क्लाज़ ही यह बताता है कि मुलैसेज़ कंट्रोल जो किया जा रहा है वह न केवल डिस्टिलरीज़ के लिये, बल्कि और कामों के लिये भी किया जा रहा है और वह काम ऐसे हैं जिनको सरकार यहां बताना नहीं चाहती। जब वह इसमें ज़िद करती है कि हम बतायेंगे नहीं कि आगे आने वाले जमाने में कौन ऐसे काम आ सकते हैं जिसके लिये भिन्न प्रकार की कीमत वह मुकर्रर करेंगे और भिन्न प्रकार की आवश्यकता क्या होगी? जब इसको बताने के लिये तैयार नहीं हैं माननीय मन्त्री जी तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि हाउस को इसलिये वह मत मजबूर करें कि वह उनको आंख मूंद कर अधिकार दे दे। हमने उस दिन बहुत स्पष्ट कह दिया था और आज भी मैं कह सकता हूं कि अगर वह भिन्न कार्यों के लिये भी हमसे अख्तियार लेना चाहते हैं तो भिन्न कार्यों में ऐसे-ऐसे कार्य भी उसके सामने आ सकते हैं जिन्हें हम कतई नापसन्द करते हैं कि उनको यह अख्तियार दिया जाय। उसके लिये दबाव पड़ सकता है। तो मैं स्पष्ट कह दूं कि परमिट के लिये लोग निजी तौर पर जाकर उसका व्यापार करें, उसमें सरकार की और हाउस की और सभी लोगों की बदनामी हो तो उसको लेने के लिये हम तैयार नहीं हैं। मैंने बहुत गौर से सुनी सरकारी दलीलें, लेकिन कोई दलील ऐसी नहीं दी जा सकी जिस पर हमें विचार करने का मौका मिले कि हम ऐसा अख्तियार उनको दें। अगर हम निजी कारखानों को पावर अल्कोहल बनाने के लिये मोलैसेज़ दें तो सारा हिसाब-किताब तो समझना चाहिये कि रा मैटीरियल इतनी सस्ती क़ीमत का हम दे रहे हैं, साढ़े तीन आने मन पर दे रहे हैं और फिर उससे जो चीज़ बन रही है वह किस क़ीमत पर बिक रही है। पावर अल्कोहल जो उस मोलैसेज़ से तैयार किया जाता है वह पेट्रोल की कीमत पर इस वक्त बिक रहा है, इस पर जरा माननीय मंत्री जी विचार कर लें। इस वक्त ८० परसेंट पावर अल्कोहल और २० परसेंट पेट्रोल मिला कर बेचा जाता है और बिकता है और उसकी कीमत दो रुपया पन्द्रह आना गैलन है। अगर मुलैसेज़ से थोड़ा कम भी उत्पादन मानें तो भी अन्दाजा है कि हम एक मन मुलैसेज़ से दो गैलन पावर अल्कोहल पैदा कर सकते हैं। इस हिसाब से ६ रुपये के लगभग कीमत उस एक मन मुलैसेज़ से पैदा किये हुए पावर अल्कोहल की होती है, जो कि रा मैटिरियल है और जिसकी क़ीमत साढ़े तीन आने मन है। तो यह बीच की जो रक़म है वह कहां जाती है इसको हाउस को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मानता हूं कि एक्साइज़ ड्यूटी कुछ लगी हुई है। तो यह सारी चीज़ें साफ होनी चाहिये और सारा हिसाब साफ होना चाहिये। इस वक्त साढ़े तीन आने वाली बात को छोड़ देता हूं, उस पर आगे विचार करने की ज़रूरत है। उसके अवाला भी जो क़ीमत सरकार मुक़र्रर करना चाहती है भिन्न प्रकार की और भिन्न कार्यों के लिये, तो सरकार को कम से कम बताना चाहिये कि वह कौन सा कार्य उससे कराना चाहती है।

मैं वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं। मुलैसेज़ से बाई-प्रोडक्ट्स बहुत से तैयार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिये सरकार के पास कोई स्कीम नहीं, कोई योजना नहीं, तो फिर अगर सरकार परमिट देने के लिये लोगों को यह अख्तियार देना चाहती है तो उससे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा अहित होगा। उस मुलैसेज़ का कुछ हिस्सा केन-ग्रोअर और फ़ैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। उसका हिस्सा सारा चला तो जाय, लेकिन उसी के साथ देश को कितना उससे मिलता है, सरकार को कितना मिलता है, यह भी साफ

हमारे सामने बात आनी चाहिये। अगर वह साफ बात आवे तो हम जरूर विचार करते, लेकिन दो तीन दिन के विचार के बाद कोई बात साफ नहीं की गयी। इसलिये मैं सोचता हूं कि सिर्फ डिस्टिलरीज को छोड़ कर बाकी किसी काम के लिये यह अख्तियार लेने की सरकार को कोई जरूरत नहीं है और अगर कोई जरूरत होगी तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह का कानून बना कर हाउस में पास कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर हम यहां पर मना भी करते रहें तो भी सरकार के पास इतना बड़ा बहुमत है कि कोई भी कानून वह पास करा सकती है। सरकार को यह अख्तियार अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत पड़ी यह अभी तक उसने हमको नहीं बताया है और हमको यह खतरा मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले से बराबर इसमें गड़बड़ी हुई है। इसलिये मैं कहता हूं कि जो मल्ल जी का संशोधन है उसको मंत्री जी मान लें।

एक बात मुझे याद पड़ी वह मैं कह दूं कि सरकार ने मोलैसेज बोर्ड के सम्बन्ध में पहले जो हम लोगों के संशोधन थे उन सब को नामंजूर किया। उसने यहां तक नामंजूर किया कि बोर्ड में जो केन ग्रोअर्स कोआपरेटिव फ़ेडरेशन के दो प्रतिनिधि रखने का हमारा संशोधन था उसको भी नहीं माना। मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी उसमें रखने से सरकार ने इन्कार किया। इन लोगों को उस बोर्ड से सीधा सम्बन्ध है फिर भी सरकार ने नहीं माना। हमने बोर्ड को बढ़ाने की बात कही थी, उसका विरोध नहीं किया था, जब बोर्ड में आप डिस्टिलरी के मालिकों को रख रहे हैं, कारखाने के मालिकों को रख रहे हैं, सरकार का एक्साइज कमिश्नर कंट्रोलर उसका चेयरमैन हो रहा है और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर उसका सेक्रेटरी हो रहा है तो उसमें केन ग्रोअर्स और लेबर, जिनका उनमें स्वार्थ निहित है, उनके भी प्रतिनिधि अगर हों तो कौन सी बुराई हो जाती? लेकिन सरकार ने नामंजूर किया। जब बोर्ड के कांस्टीट्यूशन पर सरकार ने इतनी हठवादिता दिखाई——मैं हठवादिता शब्द बहुत समझ बूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत आग्रहपूर्वक सरकार को इस बात को समझाने की कोशिश की थी कि बोर्ड के कांस्टीट्यूशन के बारे में वह जरा उदारता से काम ले और हित-अहित को पहचाने, लेकिन उसने नहीं माना। तो फिर हमें यह सन्देह है कि किसानों, मजदूरों और कारखानों के हित में बात नहीं होगी, बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स के हित में कार्य होगा। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं कि डिस्टिलरीज के अलावा और दूसरे कार्यों के लिये कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ले। जितना मोलैसेज डिस्टिलरीज को जाय उस पर तो वह कंट्रोल करे लेकिन बाक़ी को ओपेन मार्केट में बिकने दे। इसके बाद हमारा यह सुझाव है कि ट्रांसपोर्ट की दिक्क़त होने की वजह से जहां डिस्टलरीज हैं वहां मोलैसेज पहुंच नहीं पाता है, खर्चा ज्यादा पड़ता है। तो सारे सूबे के मोलैसेज को पूल किया जाय, यानी समूचे का बोर्ड के पास हिसाब रहे और जिन डिस्टिलरीज में आसानी से पहुंच सकता है वहां पहुंचा दिया जाय और बाक़ी को ओपेन मार्केट में बिकने दिया जाय। इस वक्त डिस्टिलरीज के लिये साढ़े तीन आना मन है, लेकिन आम बाजार में रेट है कम से कम १४ आने और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ रुपया तक। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि बाक़ी खुले बाजार में बिके और जो ज्यादा रुपया आवे, उससे मजदूरों के रहने के लिये मकान बनवाये जायं। आज हजारों मजदूर बिला मकान के रह रहे हैं, एक मकान में अगर दो की जगह है तो दस रह रहे हैं। यों सरकार अगर जिद्द करे तो यह पास तो हो ही जायगा, लेकिन उसके बाद होगा यह कि परमिट देने के लिये उसका इस्तेमाल होगा उसका परिणाम यही होगा कि वह सार्वजनिक हित में उपयोग न होकर इंडिवीजुअल के हित में होगा, जो हमारे लिये और सरकार के लिये यानी दोनों के लिये बदनामी की बात होगी, इसलिये मैं यह निवेदन करके आशा करता हूं कि सरकार को माननीय मल्ल जी के संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)——उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहिले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। असल में जो यह शब्द रखे गये हैं कि "फार एनी अदर परपज

[श्री जगनप्रसाद रावत]

आर डिफरेंट प्राइज फार डिफरेंट परपजेज" इसकी मंशा यह है कि और भी इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये इसकी आवश्यकता होगी, अभी ईस्ट फैक्टरी के लिये जरूरत होगी और भी कामों के लिये जरूरत पड़ेगी। इसलिये हम यह अधिकार चाहते हैं कि डिफरेंट परपजेज के लिये डिफरेंट प्राइसेज होगी। अगर ऐसे उद्योग के लिये इसका इस्तेमाल किया गया जिसमें लाभ ज्यादा है तो इसकी प्राइस ज्यादा होगी और इसकी क़ीमत बढ़ाई जा सकती है और अगर ऐसे काम के लिये इस्तेमाल किया गया, जिसमें लाभ कम है लेकिन राष्ट्र की दृष्टि से, देश के हित की दृष्टि से उसको करना है तो उसकी क़ीमत ज्यादा नहीं रखी जा सकती है। यही बात है, किसी इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हां, यह होता है कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा किसी उद्योग-धंधे को चलाया जाय तो शुरू में प्रोत्साहन देना पड़ता है और जब वह चलने लगता है तो जो सहायता दी जाती है वह धीरे-धीरे कम कर दी जाती है और अंत में वह अपने आप चलने लगता है। देश के हित की दृष्टि से यह शब्द रखे गये हैं। मैं माननीय गेंदासिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरे संशोधन के ऊपर जो वादविवाद हुआ उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना और जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उसको भी सुना लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि डिस्टलरीज के अलावा और किस उद्योग के लिये इसकी जरूरत पड़ेगी। खाली यह कह दिया कि पड़ेगी। श्रीमन्, यह दो कामों में खर्च होता है, एक तो डिस्टलरीज में, दूसरे पीने वाला तम्बाकू बनाया जाता है और मैं नहीं जानता कि किस काम में खर्च होता है। शायद मंत्री जी समझते हों कि इसकी क्रीम या वैसलीन बनेगी तो वह भी नहीं बन सकती है क्योंकि उससे तो चेहरा ही बिगड़ जायगा। पिछले मूल अधिनियम में भी जो कंट्रोलर को पावर्स थी उनमें भी ऐसा नहीं था कि अलग परपजेज के लिये अलग-अलग दाम मुकर्रर किये जायंगे। इस पर मुझे ज्यादा कहना नहीं है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने काफी प्रकाश डाल दिया है। उन्होंने भी पूछा कि यह कौन से काम में आयगा। लेकिन मंत्री जी ने नहीं बतलाया, मैं समझता हूं कि या तो वह छिपाना चाहते हैं या जानकारी नहीं है, यह मैं कैसे कह सकता हूं कि उनको जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बना है कि एक ही चीज के लिये अलग-अलग काम में अलग-अलग क़ीमत होगी, यह अनुचित होगा। पिछले में था वह ठीक था। वह थोड़ी समझ में आने वाली बात थी कि उसके ग्रेड बनाये जायेंगे और फिर उस ग्रेड के हिसाब से मुलैसेज का दाम तय किया जायगा। अगर अच्छा मुलैसेज है तो अच्छा दाम रहेगा, खराब है तो कम दाम रहेगा। लेकिन अलग-अलग काम के लिये अलग-अलग दाम तय किये जायं, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अब माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये। हठवादिता ऐसी नहीं होनी चाहिये कि जो ठीक बात भी हो उसको न माना जाय। जो बिल उनके लीगल रिमेंबरेंसर ने या सेक्रेटेरियट ने बनाया है उसको बदलने में अगर उनको दिक्क़त पड़ती है तो उनको मंत्री जी कह दें, वह यहीं बैठे रहें और उनसे राय लेकर ठीक बात को मान लिया करें और अगर वह यह समझते हैं कि वह फरिश्ते हैं और उनके इस काम में गड़बड़ कभी नहीं हो सकती मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इसलिये इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह मेरा जो अमेंडमेंट है उसको मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—आन ए प्वाइंट आफ इंफार्मेशन। अभी इस बात पर बहस हुई कि बहुत से परमिट्स इंडिविजुअल्स को ऐसे दिये गये कि जिनकी वजह से बदनामी हो रही है। मंत्री जी ने अभी यह कहा कि इस तरह की चीज आगे नहीं की जायगी

तो क्या सदन यह समझे कि कुछ व्यक्तियों को मुलैसेज के परमिट देकर निजी फायदा उठाने की इजाजत गवर्नमेंट ने दी ? क्या माननीय मंत्री जी की स्पीच का मतलब यह समझा जाय ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं एक बात यह बतलाना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं था इसलिये कोई जरूरत नहीं समझी गयी कि उस बात का जवाब दिया जाय। लेकिन जब गौतम जी ने प्रश्न उठाया है तो, मैंने शुरू में बतलाया था कि इस एक वर्ष में किसी प्रकार का कोई परमिट नहीं दिया गया और आगे के लिये भी मुझे उम्मीद है कि डिस्टिलरी के अलावा इस प्रकार का कोई परिमिट एक्साइज कमिश्नर या कंट्रोलर की तरफ से नहीं दिया जायगा। अब नान-डिस्टिलरी परपजेज के लिये मुलेसेज के देने का जो तरीका है वह यह है कि डिस्टिलरी के लिये जितने मुलैसेज की जरूरत होती है वह ले लिया जाता है और जितना बाकी बचता है वह शुगर फैक्ट्रीज को रिलीज कर दिया जाता है और वह उसको मार्केट रेट से बेचती हैं और उसमें जो फर्क आता है वह लेबर हाउसिंग स्कीम के मातहत गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया जाता है और उसके जरिये से लेबर क्वार्टर्स बन रहे हैं। इस स्कीम के मातहत अभी तक हमारे यहां, मुझे ठीक तो अन्दाजा नहीं है, लेकिन करीब ५० लाख रुपया इकट्ठा हुआ है और वह लेबर के लिये क्वार्टर्स पर खर्च हो रहा है। तो मैं इस बात को फिर साफ कर देना चाहता हूं कि पिछले साल से इस बात की कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिट नान-डिस्टिलरी परपजेज के लिये पब्लिक को न दिया जाय और इस तरह का किसी को शक न रखना चाहिये। आगे के लिये भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का परमिट न दें। मैं इन शब्दों के साथ अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (२) के भाग (*a*) की पंक्ति ३ में शब्द "for" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर शब्द "the purpose of distillation" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (२) के भाग (*e*) के बाद निम्न प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"Provided that the person aggrieved by the order may appeal to State Government within one month."

श्रीमन्, इसमें यह है कि यदि कोई अधिकारी किसी को नाजायज रूप से तंग करने के लिये कोई ट्रान्जेक्शन हुआ है और उसको वह रोकना चाहे तो उसको रोक दे। तो उस आदमी को अगर यह अख्तियार हासिल हो कि वह स्टेट गवर्नमेंट के यहां अपील कर सके और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर निर्णय दे दे तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के कानून की मुखालफत नहीं होगी। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। इस पर ज्यादा बहस करने की गुंजायश नहीं है। किसी अधिकारी ने अगर गड़बड़ की या किसी ने जानबूझ कर तंग किया या सही ही किया लेकिन वह जो एग्रीव्ड परसन है उसको यह अख्तियार रहना चाहिये कि वह सरकार के यहां अपील कर सके और सरकार जो फैसला उचित समझे दे दे। मैं समझता हूं यह ठीक है और माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—कारण तो कम से कम बता दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसके लिये उनको मजबूर नहीं कर सकता हूं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इसको सिवाय हठवादिता के और कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (२) के भाग (*e*) के बाद निम्न प्रतिबन्ध रख दिया जाय :—

"Provided that the person aggrieved by the order may appeal to State Government within one month."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जगनप्रसाद रावत—श्रीमन्, यह जो नम्बर ३० पर संशोधन है यह एक छापे की गलती के बारे में है । तो इसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "Section 3" के स्थान पर "Section 5" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "Section 3" के स्थान पर शब्द "Section 5" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति ४ के शब्द "shall be" के बाद का अंश निकाल कर शब्द "fixed as prescribed" रख दिये जायं ।

मौजूदा विधेयक में यह कहा गया है कि जो प्राइस होगी वह ४२/२३ मल्टीप्लाइज बाइ एक्स होगी और एक्स के लिये कहा गया है कि जो शुगर केन का रेट होगा वही एक्स होगा । मेरे संशोधन का आशय केवल इतना है कि बाद में जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार प्राइस फिक्स की जाय, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो मुनैसेज लेगी वह किन परपजेज के लिये लेगी । उसके अनुसार जैसी जरूरत हो प्राइस फिक्स हो यह नहीं कि एक बार फिक्स कर दी तो वह बदल नहीं सकती । संभव है कि कीमत बढ़े और एक्स के बदलने की जरूरत हो । ऐसा करने से गवर्नमेंट के हाथ में एक ताकत रहेगी । मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये इसलिये मेरा यह संशोधन अगर स्वीकार कर लिया जाय तो मुनासिब होगा ।

*श्री गिरधारीलाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी का जो यह अमेंडमेंट है उसके बारे में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उनका जो यह सुझाव है उसको मंजूर करना गवर्नमेंट के लिये उचित नहीं जान पड़ता है । क्योंकि जो सिद्धान्त इस फार्मूले द्वारा दिया गया है उसके द्वारा गवर्नमेंट कीमत तय करेगी । अब आपका यह कहना है कि उनके संशोधन के स्वीकार किये जाने से गवर्नमेंट को आजादी रहेगी तो पुरानी जो कीमत शीरे की है वह साढ़े तीन आना है और यह करीब उसी वक्त से है जब से डिस्टिलरीज का काम चला आ रहा है और आशा है कि आगे भी कीमत यही रहेगी । अगर कीमत में कोई फर्क भी रहा तो वह गन्ने की कीमत पर निर्भर करेगा । उसी के लिये यह फार्मूला ४२।२३ एक्स दिया हुआ है । अब जिस वक्त एक्स में फर्क आयेगा उसी वक्त शीरे की कीमत भी घटेगी या बढ़ेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो सिद्धान्त इस फार्मूले के जरिये से रक्खा गया है उसके द्वारा अच्छी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकार से कीमत मुकर्रर होती रहेगी। इसलिये इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी इस सुझाव को वापिस ले लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति ५ में अंक "४२/२३" के स्थान पर अंक "७/४" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का केवल इतना तात्पर्य है कि माननीय मंत्री जी इतना बतला दें कि किस आधार पर यह ४२।२३ X एक्स रक्खा गया है वह दूसरे अंक में निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकता।

श्री गिरधारी लाल--४२/२३ जो रक्खा गया है, इसमें ४२ तो शीरे की कीमत है पाइयों में और २३, गन्ने की कीमत आनों में है। इसी के अनुपात में यह एक्स रक्खा गया है। आपने जो संशोधन रक्खा है उसमें ७/४ रक्खा है तो उसके अनुसार कीमत ३ आने ४ पाई आती है जो कि पहली कीमत से २ पाई कम है। इसका लखों मन शीरे की कीमत पर काफी फर्क पड़ेगा। इसीलिये जो पहले से रक्खा हुआ है अर्थात ३ आने ६ पाई एकोनामिक रेट है और वही ठीक है। आशा है मौर्य जी अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे। उन्होंने जो यह कहा कि उसका आधार क्या है, वह मैंने बता दिया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फर्रुखाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन एजेन्डे में छपा हुआ है वह ग़लत रूप में छप गया है। ४२/२३ के बाद जो एक्स छपा है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि एक्स ४२ के साथ न होकर २३ के साथ है, उसको ठीक कर दिया जाय। उसके आगे "pies" के स्थान पर "piet' छप गया है तथा "where' के स्थान पर "Reserve' छप गया है। इसके अतिरिक्त "md' के स्थान पर "mds' छप गया है। इन शुद्धियों के साथ मैं संशोधन को पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति ५ से लेकर कोष्ठक के अन्दर रखा हुआ पैरा तक निकाल कर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"42/23 X pies where x is the price per md. in annas, of sugar cane fixed by the Government."

जो बिल में शब्द रखे हुए हैं उनको मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तित करके रख दिया है। उससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थ वही रहता है। लेकिन जिस तरह से इसमें रखा गया है वह फार्मूला की शक्ल नहीं है, मैंने उसको फार्मूला की शक्ल में रख दिया है, उसको बीजगणित का रूप दे दिया गया है, ४२।२३ यह फार्मूला होगा और इसमें जो "एक्स" है वह गन्ने की कीमत जो सरकार नियत करती है आने में है। इससे जरा शक्ल ठीक हो गई है और फार्मूला अच्छा हो गया है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री गिरधारी लाल--उपाध्यक्ष महोदय, आपका जो सुझाव है उससे बिल के इस सेक्शन में कोई अन्तर नहीं होता है। और जिस तरह से यह फार्मूला बिल में रक्खा गया है और जैसे आप चाहते हैं उसमें उन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति ५ में अंक व शब्द "42/23 multfplied by X" के स्थान पर अंक "42/23 X" रख दिया जाय :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति ५ निकाल दी जाय तथा कोष्टक के अन्दर रक्खा हुआ पैरा भी निकाल कर शब्द "fixed by the Board' रख दिये जायं।

मैं यह प्रस्ताव मुलैसेज की उपयोगिता से संतुष्ट होकर और यह समझ कर कि उसकी उपयोगिता अपने प्रदेश के लिए है, रख रहा हूं। मैं यह बात जानता हूं और सारा सदन इस बात को जानता है कि मुलैसेज से डिस्टिलरीज में मोटर फ्यूअल भी बन रहा है और हमने अखबारों में यह भी पढ़ा है कि आज के वैज्ञानिक मोलैसेज से कुछ पौष्टिक तत्व भी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और उन को इच्छा भी है उनको शायद उसमें सफलता मिलेगी भी। अगर हम इस फार्मूला को मान लें लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है कि गन्ने की कीमत बदल जाय और यह निश्चित ही है कि बाजार में गन्ने की, चीनी की कीमत घटेगी और बाजार में सभी चीजों के मूल्यों और भावों में कमी होगी। और हमने देखा है कि दस बारह साल पहले से बराबर गन्ने के भावों में कमी-बेशी होती रही है और ३ आना, ४ आना, ५ आना, ७ आना, ९ आना, १२ आना और इसी तरह से वह १ रुपया पांच आना और १ रुपया ७ आना तक पहुंच चुकी है और अब १ रुपया ५ आना निश्चित हो गई है। तो हम यह समझते हैं कि यदि गन्ने का भाव ३ आना आ जाय जैसा युग आने वाला है और यदि हम यही फार्मूला रखें तो शीरे का भाव ६ पाई पड़ेगा और इस हिसाब से जो शीरा हजार पन्द्रह सौ रुपये का एक मिल के पास होगा उसको वह रिजर्व करने की चेष्टा नहीं करेगा, बल्कि जैसा शीरे का इतिहास है कि शीरे की कीमत कम होने पर वह लोग उसे बहा देते हैं। हो सकता है कि मिल वाले वही पुराना उपयोग करें। तो भय है कि शीरे का उपयोग मोटर फ्युल, कंट्री लीकर या अन्य पौष्टिक तत्वों के रूप में देश के सामने आने वाला है उसमें बाधा उपस्थित हो। इसलिये श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा कि यह मेरा प्रस्ताव बोर्ड की इच्छा, उसकी बुद्धि के लिये है कि उसके लिये यह रख दिया जाय कि जो भाव समय, काल तथा महत्व को देखते हुये निश्चित करे वही निश्चित समझा जाय, नहीं तो यह फार्मूला सस्ता मूल्य का गन्ना होने पर फेल कर जायगा और मोलेसेज की जो कीमत आंकी जाती थी वही रह जायगी। इसलिये श्रीमन्, आशंकित होकर मैंने यह प्रस्ताव रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, जिससे यह विधेयक ऐक्ट के रूप में हो जाने के बाद फिर से संशोधित करने की आवश्यकता न महसूस हो। इन सब बातों को देखते हुयेही मैंने यह संशोधन रखा है मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—यह जो फार्मूला है वह काफी सोच विचार कर रखा गया है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, मैंने तो यह समझा था कि माननीय मंत्री जी ने एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया है, जिसमें कम से कम अगर स्वीकार नहीं तो गम्भीरतापूर्वक विचार तो करेंगे, लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने मेरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आशंकाओं का भी उत्तर न देकर सिर्फ यही उत्तर दिया कि वह मंजूर करने में असमर्थ हैं। मैं पुनः आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि मेरी आशंकाओं को वे निवारण करने की चेष्टा करेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं, मुझे अधिक नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) की पंक्ति ५ निकाल दी जाय तथा कोष्टक के अन्दर रखा हुआ पैरा भी निकाल कर शब्द "fixed by the Board" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (४) के भाग (b) के उपभाग (i) की पंक्ति १ में शब्द "by" के बाद शब्द "registered" तथा शब्द 'और' के स्थान पर "and" रख दिया जाय।

मौजूदा धारा के अनुसार तो किसी को यदि इत्तिला देनी होगी तो बाई पोस्ट लिखा है। तो एक खत डाल दिया और वह खत पहुंचा या नहीं पहुंचा, वह काफी नहीं समझा जाना चाहिये। अगर उसको डेलीवर या टेंडर नहीं किया गया तब भी यह कहा जायगा कि by post भेज दिया गया है।

अगर यह हो भी जाय "बाई पोस्ट एण्ड बाई डिलिवरिंग आर बाई टेंडरिंग" तो भी एक बात थी, लेकिन अगर लिख कर बाई पोस्ट करना यह कोई नोटिस के मानी नहीं होते। किसी भी कानून में इस प्रकार से नोटिस देना काफी नहीं माना गया है। इसलिये बाई रजिस्टर्ड पोस्ट जरूर होना चाहिये और डिलिवरिंग आर टेंडरिंग हो उस इंडिविजुअल को। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है कि बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एंड बाई डिलीवरिंग अगर टेंडरिंग ये दोनों बातें होनी चाहिये तब काफी समझा जाय। यह नियम की बात है। जैसे और कानूनों में हुआ है वैसे ही इसमें भी होना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, यह जो द्वारकाप्रसाद मौर्य जी का संशोधन है मैं समझता हूं कि उचित है, क्योंकि पोस्ट का मतलब तो यह है कि एक लिफाफा डाल दिया जाय या एक पोस्ट कार्ड लिख दिया जाय। लिफाफा और पोस्टकार्ड पहुंचेगा या नहीं इसका कुछ ठीक नहीं है क्योंकि लोग नहीं भेजते हैं फिर भी कहते हैं कि पोस्ट से भेज दिया। उसका कोई सबूत नहीं रह जाता। इसलिये यहां पर हम जब किसी कानून को बनाने बैठें तो उस कानून में यह चीज साफ कर देनी चाहिये कि वह तरीका क्या होगा? खाली पोस्ट लिखने से जो कानून का मंशा है वह हल नहीं होती। मैं तो मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मौर्य जी जो उनके दल में बैठे हैं उनका संशोधन मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह अपोजीशन की तरफ से नहीं रक्खा गया है जिसके मानने में वे हठवादिता करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मौर्य जी के इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय रजिस्टर्ड पोस्ट के पोस्टल सर्टिफिकेट लिखा जाय तो गनीमत होगा, क्योंकि इसमें केवल दो पैसे खर्च होंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—आप नया संशोधन कर रहे हैं।

श्री शिवनारायण—मैं संशोधन नहीं, अपना सुझाव दे रहा हूं। पोस्टल सर्टिफिकेट में कम पैसे खर्च होंगे और रजिस्ट्रेशन में १२, १४ आने लगेंगे और मेरे सुझाव में केवल दो-चार पैसे खर्च होंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—खुशी इस बात की है कि जब सभी लोग इस संशोधन पर अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं तो मैं भी अपना कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि न रजिस्टर्ड पोस्ट रक्खा जाय और न पोस्टल सर्टिफिकेट रक्खा जाय बल्कि जो एक प्रचलित प्रथा है उसे बैरंग भेजा जाय। बैरंग पर न तो टिकट लगता है और जिसके पास पहुंचता है उसे पैसे देने होते हैं। इसलिये पोस्टल डिपार्टमेंट वाले उसको ठीक पते पर पहुंचा अवश्य देते हैं।

श्री जगनप्रसाद रावत—रामेश्वरलाल जी का प्रस्ताव है तो बढ़िया, लेकिन मुझे डर है कि बैरंग चिट्ठी को आमतौर से लोग लेते नहीं इस डर से पता नहीं क्या लिखा हो और कोरा लिफाफा ही न हो। शिवनारायण जी ने सुझाव दिया कि पोस्टल सर्टिफिकेट कर दिया जाय। मैं मौर्य जी की इस बात को मानता हूं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चिट्ठी डालता है तो वह चिट्ठी नहीं पहुंचती या न भी किसी ने डाली तो कह दिया कि डाल तो दी थी। तो मेरे ख्याल में बाई रजिस्टर्ड पोस्ट के बजाय अगर अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट वाला सुझाव मान लें तो मुझे स्वीकार है और उसमें उनका जो विचार है वह भी पूरा हो जायगा। और लेनेवाले के लिये यह तो इतमीनान हो जायगा कि हमारे दफ्तर से तो चल ही दिया और डाक में डाल दिया गया। बाकी कोई उसको मंजूर करता है या नहीं वह सवाल हमारे सामने फिर उठता नहीं। बाकी चीज को मैं स्वीकार करने से असमर्थ हूं। केवल "बाई पोस्ट" की जगह पर "बाई पोस्ट अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट" इतना मैं स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ठीक है काम चल जाता है, इसलिए मंजूर है कि संशोधित रूप में यह धारा रख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है. . .

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (४) के भाग (b) के उपभाग (i) की पंक्ति १ में "by post" के बाद शब्द "under postal certificate" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (५) के बाद एक नई उपधारा (६) निम्न रूप में रख दी जाय :—

"(6) Any order made under this section shall be made only when the general principles involved in such order have been accepted by the Molasses Board under section 3 (a)."

श्रीमन्, यह जो इस विधेयक का खंड ५ है और जो उसके आधार पर नयी धारा ५ बनाई जा रही है यह इस विधेयक का सब से महत्वपूर्ण अंश है। इसी में सरकार को अधिकार दिये गये हैं कि वह मुलसेज के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यवाहियों और अधिकारों को प्रयुक्त करे। मुलैसेज बोर्ड के अधिकार नयी धारा ३ (ए) के आधार पर नियत किये गये हैं। ३ (ए) में व्यवस्था की गई है कि मुलैसेज बोर्ड ऐसे मामलों पर जो कि मुलैसेज की ग्रेडिंग, मार्केटिंग या बिक्री या डिस्टिलरीज के एलोकेशन या दूसरी कार्यवाहियों के बारे में सरकार को सलाह मशविरा देगा। तो मैं चाहता हूं कि धारा ५ में सरकार जितनी भी कार्यवाही करे, चाहे वह कीमत को तय करने के सम्बन्ध में हो चाहे वह मार्केटिंग के सम्बन्ध में हो, चाहे किसी और परपजेज के लिए हो मुलैसेज बोर्ड से सिद्धान्त के सम्बन्ध में अवश्य राय ले ले। चाहे डिटेल्स के बारे में राय न ले, लेकिन जहां तक सिद्धान्त निश्चय करने का सम्बन्ध है वह इस मुलैसेज बोर्ड की अवश्य राय ले ले। और इसके लिये विधान में अवश्य ही एक प्रस्तावना इस सम्बन्ध में होनी चाहिये, क्योंकि जो धारा ३ (ए) है उसकी उपधारा (बी) में लिखा हुआ है—"परफार्म सच अदर फंक्शंस ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड", नियमों के आधार पर फंक्शन बताये जाने वाले हैं। मैं यह चाहता हूं कि नियमों के स्थान पर यह बात स्पष्टतः विधेयक में कह दी जाय और विधेयक में ही स्पष्ट कह दें कि विधेयक में जो सरकार के अधिकार निश्चित किये गये हैं वे बोर्ड की सलाह लेने के बाद ही प्रयोग किये जायंगे और धारा ५ के विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोग किये जायंगे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री गिरधारी लाल—अध्यक्ष महोदय, श्री तिवारी जी का यह जो अमेंडमेंट है उसके माने में मुझे कठिनाई है। वास्तव में जो यह मुलैसेज बोर्ड है यह सिर्फ ऐडवाइजरी बाडी है जो कि वक्त-बे वक्त सलाह देता रहेगा और इसके जरिये से अगर तमाम एक्जीक्यूटिव काम किया गया तो जिस सुचारु रूप से गवर्नमेंट उस काम को देखना चाहती है कि वह चलता रहे वह किसी भी हालत में नहीं चल सकता और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस बोर्ड को एक्जीक्यूटिव कोई पावर नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि श्री नारायणदत्त जी अपने इस अमेंडमेंट को वापस लेंगे और यह जिस तरीके से इस बिल में रखा गया है उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। नारायणदत्त जी की यह मंशा है कि अगर्चे इस धारा के अनुसार कोई भी काम सरकार करना चाहती है तो उसके लिये यह लाजिमी हो कि वह मुलैसेज बोर्ड से इसके बारे में सलाह ले। अगर इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे तो राय ले चाहे तो न ले। तो फिर अगर ऐसी बात है, इस तरह के अख्तियारात सरकार लेना चाहती है तो यह मुलैसेज बोर्ड मैं नहीं समझता कि किस कारण बनाया जा रहा है? इसके मतलब तो यह हैं कि जो मुलैसेज बोर्ड बनाया जा रहा है वह महज एक खिलवाड़ बनाया जा रहा है और यह दिखलाने के लिए कि हमने एक बोर्ड भी बना दिया। लेकिन उस बोर्ड से राय चाहे हम लेंगे चाहे न लेंगे। जो मन में आयेगा वह करेंगे। लोग यह जानेंगे कि सरकार बोर्ड से भी राय लेती है, सरकार ले चाहे न ले। इसलिये मैं तो चाहता हूं कि सरकार अगर्चे दरअसल कुछ प्रजातान्त्रिक तरीकों में विश्वास करती है और उसी बुनियाद पर उसने मुलैसेज बोर्ड की रचना करके इस विधेयक में उसे रखा है तो यह जरूरी है कि सरकार अगर कोई कार्यवाही उस धारा के मुताबिक करना चाहे तो वह उसके लिए लाजिमी हो कि वह मुलैसेज बोर्ड की राय ले ताकि जो मुलैसेज बोर्ड बने वह कुछ न कुछ

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

काम करता रहे और उसको भी यह महसूस हो कि हां, हमारा भी कुछ उपयोग है। नहीं तो अगर नहीं मानते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। मुलैसेज़ बोर्ड एक तमाशा सा है, एक कठपुतली है, सरकार जो चाहे करे। अगर मुलैसेज़ बोर्ड कुछ कर ही नहीं सकता तो उसके बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी ने प्रस्तुत किया है उसे मान लेना चाहिये ताकि जो मुलैसेज़ बोर्ड बने उसके मेम्बरों को भी यह रहे कि कोई काम आवेगा तो हम उसको करेंगे और उसमें यही श्रीमन्, दिया हुआ है। जो ३ (ए) है उसमें यही साफ दिया हुआ है कि--"ऐडवाइज़ आन दी मैटर्स कंसर्निंग दि ग्रेडिंग ऐंड मार्केटिंग आफ मुलैसेज़, दी प्राइसेज़ ऐट व्हिच मुलैसेज़ आर टु बी सोल्ड", यह सारी चीजें उसमें दी हुई हैं और यही सारी चीजें इस धारा में भी हैं। तो यह जरूरी है कि सरकार इस प्रस्ताव को माने और जब ठोस निर्णय करने की बात हो या कोई इस तरह की बात हो तो सरकार के लिए यह लाजिमी हो जाय कि सरकार उससे राय ले, तभी अपना आर्डर इश्यू करे। इसलिये मैं समझता हूं कि जो नारायण-दत्त जी का प्रस्ताव है उसको सरकार मान ले। यह जो विधेयक है उसके मंशा की पूर्ति होती है और मुलैसेज़ बोर्ड जिसको सरकार को बनाने की जरूरत है वह सही में मुलैसेज़ बोर्ड रहेगा अन्यथा वह एक कठपुतली सा बोर्ड बन जायगा।

श्री जगनप्रसाद रावत--कुछ अधिक नहीं कहना है इस सम्बन्ध में।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी ने मेरे इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया। मेरा उद्देश्य स्पष्ट था कि धारा ५ (१) में जो सरकार के अधिकार निश्चित किये गये हैं, उसमें अधिकार है कि--

"If the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining supplies of molasses for distillation and other purposes or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by order, provide for supply and distribution thereof and trade and commerce therein."

तो जो पहला हिस्सा धारा ५ (१) का डिस्टिलेशन के बारे में है उसका उल्लेख धारा ३ (ए) में है, लेकिन जहां तक "इक्विटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन ऐंड अवेलेबिलिटी ऐट फेयर प्राइसेज" का सम्बन्ध है वह अधिकार मुलैसिज़ बोर्ड को धारा ३ (ए) में नहीं दिये गये हैं। तो मेरा मंशा था कि कीमतों के सम्बन्ध में और वितरण की प्रणाली के सम्बन्ध में मुलेसेज़ बोर्ड को सिद्धान्त निश्चित करने का अधिकार होना चाहिये था। अगर मेरा संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो हमें नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा और विधेयक के अनुसार कीमतों के सम्बन्ध में और उचित वितरण के सम्बन्ध में कोई भी विधान होने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दोबारा अपने स्टैंड पर विचार करें और विचार बदलने की कृपा करें। यदि नहीं बदलते हैं तो इस क्लाज के सम्बन्ध में विचार स्थगित करें ताकि और राय लेकर कोई और निश्चय कर सकें।

श्री गिरधारी लाल--आपने कहा कि हम अपनी राय को बदलें या स्थगित करें, तो जैसा मैंने शुरू में कहा वही राय हमारी है और इसको स्थगित करने का भी विचार नहीं है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हम बोर्ड को कोई एक्जीक्यूटिव पावर नहीं देना चाहते हैं। बोर्ड तो साल में दो-चार दफा बैठेगा और डिस्टिलरी और शुगर फैक्टरी के सम्बन्ध में अपनी राय वह कंट्रोलर को लिख सकता है और अपने

काम को चलायेगा, लेकिन उसको कोई एग्जिक्यूटिव पावर नहीं दी जायगी, क्योंकि इससे काम आसानी से नहीं चलेगा। इसलिये मैं आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (५) के बाद एक नई उपधारा (६) निम्न रूप में रख दी जाय :—

"(6) Any order made under this section shall be made only when the general principles involved in such order have been accepted by the Molasses Board under section 3 (*a*)."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—८

विपक्ष में—४४।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६—मूल अधिनियम की धारायें ६ से ८ तक निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की ६ से ८ तक की धाराओं का निकाल दिया जाना।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खण्ड ७

७—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "shall" और शब्द "be forfeited" के बीच में शब्द "along with any box, receptacles, packages, or covering containing such molasses" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ९ का संशोधन।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय:—

"मूल अधिनियम की धारा ९ के शब्द "with fine" और शब्द "and"" के बीच में शब्द "which may extend to rupees two thousand or both." रख दिये जायं।"

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि जो मूल अधिनियम है उसमें इस प्रकार है कि :—

"Whoever contravenes any provisions of this Act or any Rules made or order passed thereunder, shall, on conviction be punishable with imprisonment of either description which may extend to one year or with fine.."

न इसमें यह कहा गया है कि जुर्माना होगा तो कितना हो सकेगा और न इसमें यह है जैसा कि हर एक कानून में होता है कि अगर कोई किसी धारा को तोड़ेगा तो उसको जुर्माना हो, सजा हो या दोनों हो सकता है, यही मेरा संशोधन है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा कि सरकार ने इसमें संशोधन किया है कि कंटेनर के साथ जब्त कर लिया जायगा तो मैं यही चाहता हूं कि जो इस कानून को तोड़े उसे ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दी जा सके ताकि मिल मालिकों को इसके तोड़ने की हिम्मत न हो सके। श्रीमन्, पिछले दिनों में उन्होंने इतना गड़बड़ किया है कि सब जानते हैं और इसमें चारों तरफ से शिकायतें हुई हैं और इसी कारण से सरकार को मोलैसेज़ ऐक्ट बनाना पड़ा। इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। ऐसा न हो कि वह सोचें कि इसमें खाली जुर्माना हो जायगा और कानून तोड़ते रहें और जितना जुर्माना हो उससे ज्यादा फायदा उठाते रहें कानून तोड़कर। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून को ठीक तरह से मनवाने के लिये सरकार को चाहिये कि वह मेरे संशोधन को मान ले। मैं समझता हूं कि इससे कानून की पाबन्दी होगी। इन शब्दों के साथ मैं सोचता हूं, जैसे कि इधर कानून बने हैं उनको देखते हुए और परिपाटी को देखते हुये कि माननीय मंत्री जी अवश्य मेरे संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य —माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री जगन्नाथ मल्ल के संशोधन में एक संशोधन करना चाहता हूं। वह यह है कि जो यह लिखा है "which may extend to Rs. two thousand" निकाल दिया जाय।

अधिष्ठाता—आपका संशोधन वर्बल है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मेरा संशोधन वर्बल है कि बाकी अंश निकाल कर केवल "आर बोथ" रखा जाय। मेरे संशोधन से यह हो जायगा कि कोर्ट को पावर होगी कि वह अगर जरूरी समझे तो ज्यादा जुर्माना भी कर सके। इस लिमिट से तो कोर्ट बंध जाता है। बड़े जरायम भी हो सकते हैं कि जिनमें ज्यादा जुर्माना करने की जरूरत हो। जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन से उससे ज्यादा जुर्माना नहीं किया जा सकता इसलिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह मेरा संशोधन कि जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन में केवल "आर बोथ" रखा जाय, मंजूर करे। इंडियन पैनल कोड की जितनी धारायें हैं अधिष्ठाता महोदय, उनमें आपने देखा होगा कि यही है कि सजा या जुर्माना या दोनों। तो आर बोथ होने से कोर्ट जैसा मुनासिब समझेगा करेगा। लेकिन अगर "आर बोथ" नहीं होता तो कोर्ट मजबूर हो जायगा कि वह या तो सजा करे या जुर्माना करे तो मैं समझता हूं कि इसमें केवल "आर बोथ" रखा जाय और मैं जगन्नाथ मल्ल जी से कहूंगा कि जुर्माने की रकम रख कर कोर्ट की पावर को सीमित न करें। ऐसा रखने से तो उससे कम ही जुर्माना होने की बात होती है। मैं चाहता हूं कि अगर केस संगीन है तो ज्यादा जुर्माना भी हो सके। तो मेरे संशोधन से यह मतलब होता है कि कोर्ट जैसा मुनासिब समझेगी करेगी और मैं समझता हूं कि सदन जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन मेरे संशोधन के साथ स्वीकार करेगा।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन श्री द्वारकाप्रसाद जी के संशोधन के साथ मंजूर करने में कोई एतराज नहीं है। जुर्माने की जो लिमिट रखी गई है उसे रखना मैं समझता हूं कि कोर्ट की शक्ति को महदूद कर देना है।

कोर्ट जितना जुर्माना जिस परिस्थिति में मुनासिब समझेगी करेगी। तो इसलिये मैं समझता हूं कि जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन मौर्य जी के संशोधन के साथ मुनासिब है और सदन इसे मंजूर करेगा।

अधिष्ठाता—मौर्य जी का कोई संशोधन मेरे पास नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं अभी लिख कर दे रहा हूं। आप उसे स्वीकार कर लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो संशोधन हमारे सामने है वह धारा ९ की व्याख्या को स्पष्ट कर देता है। माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी ने जो संशोधन दिया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वह इस धारा को और भी स्पष्ट कर देता है। तो मैं मल्ल जी से यह निवेदन करूंगा कि वह मौर्य जी के संशोधन को स्वीकार कर लें और "आर बोथ" या "आर विद बोथ" जो शब्द आप उचित समझें वह स्वीकार कर लें क्योंकि और दूसरी जगह "विद" शब्द जोड़ा जाता है। तो अगर वर्बल संशोधन आता है तो उसमें विचार के लिये मेरा यह संशोधन भी लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मल्ल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मौर्य जी के संशोधन को स्वीकार कर लें।

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी के संशोधन से क्लियर हो जाता है और उसमें और शब्द बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जैसा आप उचित समझें कि "विद" शब्द जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय, लेकिन अगर कोई कानूनी आवश्यकता हो तो मैंने कहा, हो सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं सरकार की तरह से कोई हठधर्मी नहीं करना चाहता और जैसा मौर्य जी ने संशोधन दिया है, ठीक है, रुपया न रखा जाय। मैं कोई जिद नहीं करना चाहता कि रुपया रख ही दिया जाय। मेरे कहने का खास मंशा यह है कि "आर बोथ" होना चाहिये क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट ठीक समझे तो दोनों सजा भी दे सके। ऐसा प्राविजन इस ऐक्ट में होना चाहिये। इसलिए जो उन्होंने संशोधन पेश किया है कि उतने अंश को निकाल दिया जाय और उसमें "आर बोथ" रख दिया जाय मैं स्वीकार करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है तो मैं भी इसको स्वीकार करता हूं।

श्री गिरधारीलाल—जो मौर्य जी का प्रस्ताव है मैं उसको स्वीकार करता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ निम्नरूप में रख दिया जाय :—

"७—मूल अधिनियम की धारा ९ के शब्द 'with fine' और शब्द 'and' के बीच में शब्द 'or both' रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १२ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) उपधारा (१) में

(क) खंड (बी) के अन्त का फुलिस्टाप हटा दिया जाय तथा अंत के शब्द "molasses" के पश्चात् शब्द "and any books accounts, documents or statements relating to transactions in such molasses" बढ़ा दिये जायं।

(ख) खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (सी) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*c*) detain, search and arrest any person whom he has reason to believe to be guilty of any offence punishable under this Act;"

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) तथा (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(3) A police officer not below the rank of an officer in charge of a police station or an officer of the Excise Department or Revenue Department not below such rank as the State Government may prescribe may investigate into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction."

"(4) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XIV, of the Code of Criminal Procedure 1898, and if specially empowered in that behalf by the State Government, such officer may, without reference to a magistrate, and for reasons to be recorded by him in writing stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned in any offence punishable under this Act into which he has investigated."

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"८—मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (१) के भाग (b) के शब्द "box" और शब्द "receptacle" के बीच में शब्द "Pit" रख दिया जाय।"

श्रीमन्, मंत्री जी को मालूम होगा कि कन्टेनर में मुलैसेस को रखने के अलावा खाते में भी रखा जाता है। ज्यादातर खाते में ही रखा जाता है। अगर कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से किसी खाते में मुलैसेज को रखता है तो सरकार कुछ कर नहीं सकती है। इसलिये सरकार का इसमें फायदा है कि इसमें शब्द 'पिट' रख दिया जाय ताकि अगर गैरकानूनी तरीके से कोई खाते में रखे तो उसको सरकार जब्त कर ले। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि यह सरकार के ही फायदे के लिये है।

श्री जगनप्रसाद रावत--मुझे तो इस संशोधन की व्यवहारिकता समझ में नहीं आती है इसलिये इसके लिये मंजूर करने का सवाल पैदा नहीं होता है। गड्ढे के मुलैसेस को कैसे जब्त किया जा सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मुझे फिर कहना ही पड़ेगा कि गड्ढे का माल जब्त किया जा सकता है। मैं तो समझ नहीं पाया कि आप गड्ढे के माल को कैसे जब्त नहीं कर सकते हैं। फैक्टरीज के अन्दर ज्यादातर मुलैसेस गड्ढों में ही रखा जाता है। कहीं उनको बाहर भेजना होता है तो वह कन्टेनर में रखते हैं। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने शायद किसी फैक्ट्री को देखा नहीं है कि वहां पर ज्यादातर मुलैसेस गड्ढों में ही रखा जाता है। इसको स्वीकार करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई आदमी गैरकानूनी तरीके से माल को गड्ढे में रखता है तो उसके जब्त करने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। बस इतनी बात है और मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री जगनप्रसाद रावत--मैंने तो अर्ज किया कि गड्ढे के मुलैसेस को जब्त कैसे किया जा सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि वह जब्त किया जा सकता है। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यहां पर "pit" शब्द को रख दिया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) (क) की पंक्ति १ के शब्द "अन्त का फुलिस्टाप हटा दिया जाय तथा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः--

"शब्द 'box' और शब्द 'receptacle' के बीच में शब्द 'pit' रख दिया जाय तथा अन्त का फुलिस्टाप हटा कर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री रामेश्वरलाल**--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नयी उपधारा (३) की पंक्ति १ के शब्द "of" के बाद शब्द "Deputy Superintendent Police" रख दिये जायं तथा शब्द "an" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "Officer" तक निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस विधेयक का जो उपखंड (३) है उसमें यह अधिकार दिया हुआ है कि पुलिस आफिसर को और वह जो थाने का इंचार्ज होगा, वह इन मामलों की जांच-पड़ताल करेगा। मैं चाहता हूं कि इसकी जगह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस रख दिया जाय क्योंकि यह सब मामले मिल मालिकों से संबंधित होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि किसी थाने का इंचार्ज मिल मालिकों से बड़ी आसानी से निबट सकेगा इसमें मुझे शक है अथवा उसे ऐसी सुविधा हो कि मामले में छानबीन कर सके, यह असंभव सा मालूम होता है। हम लोगों ने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जिनकी वजह से हमारा बड़ा कटु अनुभव है। मिसाल के तौर पर गन्ना देने के संबंध में और उसका दाम देने के संबंध में बहुत से कानून बने और उसके बारे में अधिकारियों को कुछ अधिकार भी दिये गये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गन्ने के दाम दिलाने का उच्च अधिकार दिया गया और वह यह कि अगर किसानों के गन्ने का रुपया बकाया रह जाय तो मालगुजारी की तरह से वसूल किया जाय लेकिन हमने देखा है कि इस काम में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी असफल रहा और गन्ने का दाम किसानों को न दिला सका। फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि एक थाने का सब-इंस्पेक्टर विधानानुसार इंक्यावरी कर सके। जांच-पड़ताल कर सके। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि उसके स्थान पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस रख दिया जाय।

अधिष्ठाता--मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो शब्द हैं उनके पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि थानेदार से ऊपर के अधिकारियों को भी उसका अधिकार है। कम से कम जो रक्खा गया है वह स्टेशन इंचार्ज रक्खा गया है। वैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस भी इंक्वायरी कर सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वरलाल--जी, मेरे कहने का यही मतलब है कि स्टेशन आफीसर के बजाय "नाट बिलो दी रैंक आफ दी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस" होना चाहिये। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करके उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत--इन सब मामलों की जांच के लिये स्टेशन आफिसर ही होता है। सब प्रकार की जांच के लिये वही आफिसर होता है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस की तो निगरानी होती है, वह तो सुपरवाइज करता है। इसलिये उसको रख देने से काफी परेशानी बढ़ जायगी और देर लगेगी और यह मुमकिन भी न होगा कि सभी कामों में उसको रक्खा जा सके। क्योंकि यह एक व्यवहारिकता की बात है और उसमें इससे दिक्कत पैदा हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि रामेश्वरलाल जी इसको वापस ले लेंगे और इस पर जोर न देंगे।

***श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तावित संशोधन का विरोध करता हूं और मैं इसका विरोध इस बुनियाद पर करता हूं कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस रखने का मतलब यह होता है कि उससे नीचे का अफसर यानी स्टेशन इंचार्ज वगैरह उस में कोई तहकीकात वगैरह न कर सकेगा, लेकिन जो इस बिल में रखा गया है उसका मतलब यह है कि कम से कम वह अफसर स्टेशन आफिसर के रैंक का होना चाहिये और उन के संशोधन को अगर हम मान लें तो उस का मतलब यह होगा कि नीचे के अफसर जांच या तहकीकात न कर सकेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग में काम का बहुत रश होता है इसलिये किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस मौके पर न मिले और वह दूसरे मामलों की जांच में व्यस्त हो और उनकी अनुपस्थिति में किसी मामले की जांच अगर न हो सके और उतने समय में अगर कोई आदमी उस जुर्म को करता है तो वह उतने अर्से में उस जुर्म के सबूत को गायब करने में सफल हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस बिल के द्वारा मूल अधिनियम का संशोधन किया गया है वही उचित है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस कठिनाई को मद्देनजर रखकर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। ऐसा करने से तो मैं समझता हूं कि जुर्म करने वालों को ही लाभ हो सकता है और किसी वक्त भी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस की अनुपस्थिति के कारण जुर्म करने वाला सबूत को गायब कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री रामेश्वरलाल**--मान्यवर, मैंने श्री चन्द्रसिंह रावत जी के और माननीय रावत जी के अपने संशोधन के संबंध में तर्क बड़े ध्यान से सुने। मैं माननीय रावत जी की सेवा में आप के द्वारा कुछ लाइन उस उपखंड की जो (४) है, रखकर उसका अर्थ करना चाहता हूं। आप ८ वीं लाइन के शब्द "विदाउट" से आगे देखें कि :

"Without reference to a Magistrate and for reasons to be recorded by him in writing stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned in any offence punishable under this Act into which he has investigated."

अगर माननीय रावत जी जो अभी मेरे संशोधन के विरोध में बोले हैं वह इस पैरा की ओर ध्यान देते जो मैंने पढ़ा, तो शायद मैं समझता हूं वह मेरे संशोधन का विरोध न करते। माननीय रावत जी ने अभी फरमाया कि इससे तो काम में और तहकीकात में और देर होगी और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने केवल यही एक कारण दिया है और इसी एक कारण से वह कहते हैं कि मैं अपने संशोधन को वापस ले लूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पूरे प्रांत में केवल ६४ शुगर फैक्टरीज हैं। उनको यह न समझना चाहिये कि इन तमाम फैक्ट्रीज में एक साथ ही सब में गड़बड़ी हो जायगी और सब जगह एक साथ ही डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस को तहकीकात करने का मौका आ जायगा। हमारे यहां इस समय ६४ फैक्ट्रीज हैं और इससे भी अधिक हो जायं तो हमारा सौभाग्य है लेकिन कभी अगर ऐसा मौका आ भी जाय तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ऊपर के रैन्क के लोग भी इन्क्वायरी कर सकते हैं। इसलिये देर का सवाल नहीं है और मैंने जो बात कही थी उस पर मैं अब भी दृढ़ हूं और जिस प्रकार से कि बिल में इस वक्त रखा गया है अगर वह रहा तो नतीजा यह होगा कि नीचे के अधिकारियों को मिल मालिकों के हकों की ही चिन्ता होगी और निष्पक्ष न्याय न होगा और उससे किसान सफर करेगा, राज्य सरकार सफर करेगी, बोर्ड सफर करेगा और प्रदेश का शीरे से संबंधित सारा व्यापार सफर करेगा। इसलिये मान्यवर मैंने यह निवेदन किया था कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के रैंक के लोग रख दिये जायं। मैं यह नहीं कहता कि थाने का इंचार्ज दारोगा बेईमान ही होगा लेकिन मैं यह समझता हूं कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस से कम जिम्मेदारी का आदमी नहीं होना चाहिये। उस सब-इन्स्पेक्टर के पास भी काम कम नहीं है और फिर जब कि उपधारा ४ में यह अधिकार है कि चलते हुए किसी मुकदमे को वह अधिकारी जो इंवेस्टीगेट करने के लिये डिप्यूट होता है, वह रोक सकता है। यह अधिकार किसी थानेदार को देना न्यायसंगत नहीं है और इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। वैसे तो माननीय मंत्री जी की मैजारिटी है लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें और रावत जी कृपया इस उपधारा को पूरी तौर पर स्टडी करके राय दें। मैं आशा करूंगा कि न्याय पूर्ण ढंग से विचार करके इस संशोधन को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके कथनानुसार देर होने वाली बात नहीं है और यही एक कारण उन्होंने बतलाया जिसके देखते हुए ही मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय रामेश्वरलाल जी ने अभी खंड ८ की उपधारा (४) का जिक्र किया और यह कहा कि यदि स्टेशन आफिसर को रखा जाय तो उसको यह अधिकार होगा कि कार्यवाही को स्थगित कर दे। लेकिन उसी उपधारा में आप देखेंगे शब्द है "ऐन्ड स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाई दि स्टेट गवर्नमेंट"। तो हरएक जो भी स्टेशन आफिसर होगा उसको यह अधिकार नहीं होगा। जो खास तौर से तजुर्बेकार व्यक्ति जो गवर्नमेंट किसी वक्त में मुकर्रर करेगी उसको खास तौर पर यह अख्तियार मिलेगा। इसलिये रामेश्वर लाल जी की शंका ऐसी नहीं जिसपर बहुत ज्यादा सोचा जा सके। इसलिये उनकी शंका निर्मूल है और उनको शंका नहीं होनी चाहिये कि इसका दुरुपयोग होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नई उपधारा (३) की पंक्ति १ के शब्द "of" के बाद शब्द "Dy. Superintendent Police" रख दिये जायं तथा शब्द "an" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "officer" तक निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४) की पंक्ति ६ में अंक "१८९८" के बाद के सभी शब्द निकाल दिये जायं।

१८९८ के बाद के शब्द हैं:—

"and if specially empowered in that behalf by the State Government such officer may, without reference to a magistrate, and for reasons to be recorded by him in writing stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned in any offence punishable under this Act into which he has investigated."

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब आप यह देखें कि कोई आफिसर जो इन्वेस्टीगेट कर रहा है और उसने इन्वेस्टीगेट किया भी हो तो वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्पावर करने पर सारी प्रोसीडिंग्ज को कारण लिख कर ड्राप कर दे। यह बात ठीक समझ में नहीं आती कि इनदैट बिहाफ जो स्पेशली एम्पावर्ड होगा तो जेनरल तरीके पर किसी आफिसर को एम्पावर कर दिया जायगा कि वह जिस मामले में चाहे एन्वेस्टीगेट करे तो उसमें चाहे प्रोसीडिंग्स को ड्राप कर दिया जाय या किसी खास केस में ही एम्पावर किया जायगा। स्पेशली

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

एम्पावर्ड में क्या उसको इतनी बड़ी अथारिटी दी गई है कि जिस किसी मामले को इन्वेस्टीगेट कर उसकी प्रोसीडिंग्स ड्राप कर सकता है। पर्टिक्यूलर केस में उसका मतलब लगाया जाय तब भी वह इन्वेस्टीगेट करने वाला आफिसर अपनी रपोर्ट गवर्नमेंट को देगा, इसमें प्रोसीडिंग्स ड्राप करने की बात है। यह अद्भुत सी बात है और न जाने क्यों इस विधेयक के इस क्लाज में यह बात रक्खी गई है कि इंवेस्टीगेशन करने वाला आफिसर इंवेस्टिगेट किये हुए मामले की प्रोसीडिंग्स को ड्राप कर सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, अगर कोई जुर्म कमिट करता है तो इस विधेयक की धारा ९ के अनुसार उस मामले को कंट्रोलर, इंवेस्टिगेटिंग आफिसर या गवर्नमेंट खत्म करना चाहे तो ड्राप कर सकते हैं और इस धारा ९ का उस मामले में उपयोग किया जा सकता है लेकिन उस आफिसर को, जो कि खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यह अधिकार देना कि वह चाहे तो उस मामले को खत्म कर दे, कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। किसी स्टेशन आफिसर को, जो कि उस मामले में इंवेस्टिगेट करेगा, उसको इतना बड़ा अधिकार दे देना कि बिना मैजिस्ट्रेट को रेफर किये हुए वह चाहे तो मामले को ड्राप कर दे, यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता। इसका ताल्लुक मिलों से है और मेरे ख्याल में तो जितने बड़े मिलमालिक की जांच का सवाल हो उतना ही बड़ा आफिसर जांच करने के लिये नियुक्त किया जाय, लेकिन जैसा कहा गया कि देरी हो सकती है लिहाजा स्टेशन आफिसर ही जांच कर ले तो उसको इतनी बड़ी पावर देना मुनासिब नहीं लगता। किसी भी कानून में इस तरह का अधिकार आज तक नहीं दिया गया कि इंवेस्टिगेशन करने वाली अथारिटी इंवेस्टिगेशन करने के बाद चाहे तो प्रोसीडिंग्स को ड्राप कर दे। यह तो आपने लिखा नहीं कि इंवेस्टिगेशन करने पर अगर जुर्म साबित न हो तो फाइनल रिपोर्ट लगा दे। यह तो होता ही है कि फाइनल रिपोर्ट के लिये केस अगर एस० पी० के पास जाता है तो वह फायनल रिपोर्ट लगाये, अगर इन्सपेक्टर के पास जाय तो वह लगाये। लेकिन यहां से सारी प्रोसीडिंग्स को ड्राप करने की बात है जब कि जुर्म साबित हो चुका है। गवर्नमेंट के अथराइजेशन की बात कही गई तो यह तो बर्बल सी चीज है क्योंकि गवर्नमेंट उसकी छानबीन करने जायगी नहीं, गवर्नमेंट इम्पावर करेगी स्टेशन आफिसर को ही। गवर्नमेंट को तो वैसे हर मामले में ही पूरी पावर है जब चाहे जिस केस को विथड्रा कर ले, या चाहे तो कम्प्रोमाइज करा सकती है। फिर इंवेस्टिगेशन करने वाली अथारिटी को इतनी बड़ी पावर दे देना कि जब चाहे ड्राप कर दे इसका मतलब यह हुआ, मैं कहना नहीं चाहता कि ऐसी भी अथारिटीज हैं जो प्रलोभन में पड़ सकती हैं। मिल वाला समझे कि १ साल की सजा है, जुर्माने की कोई मियाद नहीं जाने कितना हो जाय, लाओ इस इंवेस्टिगेशन करने वाले का किसी तरह से राजी कर लो और यह प्रोसीडिन्ग ड्राप करवा दो। यह बहुत ही जरा खटकने वाली चीज है। मेरा ख्याल है कि हर माननीय सदस्य जो जरा भी वाकफियत रखते हैं इस छानबीन और तफतीश के मामले में ऐसी अथारिटी का देना किसी हद तक भी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि ड्राप कर देने से न गवर्नमेंट की कोई मुसीबत बढ़ जायगी न कोई गवर्नमेंट का काम रुक जायगा। इसलिये यह संशोधन स्वीकार हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस रूप में यह विधेयक है, जो क्लाज इतना जोड़ दिया गया है वह ड्राप कर दे, यह बहुत गलत चीज है। मैं समझता हूं कि यह हरगिज स्वीकार नहीं होना चाहिए और मेरा संशोधन मान लेना चाहिए।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में जो यह शब्द इस उपधारा (४) में बढ़ाये जा रहे हैं यह अत्यन्त ही अवांछनीय, अवैधानिक और अन्यायसंगत हैं और इस प्रकार का प्राविधान किसी विधेयक में किया जाना किसी प्रकार भी शोभनीय नहीं माना जा सकता है। मेरे विचार से यह जो इस प्रकार शक्ति दिये जाने का विचार किसी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आफिसर को दिये जाने का विचार है यह विधेयक और मूल अधिनियम की मंशा के खिलाफ भी पड़ता है। मैं जरा इस संबंध में थोड़ा समय लेना चाहूंगा कि क्यों ऐसा होना संभव है। आप देखेंगे श्रीमन् कि मूल अधिनियम की धारा १२ को उपधारा (*b*) के अनुसार जब भी कोई पुलिस अफसर जो कि सब-इंस्पेक्टर होगा .....

अधिष्ठाता—आप पढ़ दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(1) Any police officer not below the rank of sub-inspector, or any officer duly empowered by the Controller in this behalf, may:

(*a*) enter and search any time any premises in which he has reason to believe that any molasses, in respect of which any offence, punishable under this Act or any rule or order made thereunder, has been, or is about to be committed, is kept or concealed,

(*b*) seize such molasses and any box, receiptacle, packageor covering containing such molasses."

इस प्रकार धारा १२ की उपधारा (*b*) को पढ़ने से यह विधान हमें दिखलायी देता है। अब जो मोलैसेज पुलिस अफसर ने अपने कंट्रोल में कर लिया या कंट्रोलर के द्वारा अधिकारी ने अपने कंट्रोल में कर लिया वह मोलैसेज के बारे में एक रिपोर्ट धारा १३ के अनुसार मजिस्ट्रेट को देगा। धारा १३ जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी ओर मैं सदन और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है—

"(1) A report about any molasses or article seized under section 12 shall, as soon as possible, be submitted to the Magistrate, having jurisdiction who may, after making such inquiry as he may consider necessary give such direction for their temporary custody as he thinks fit.

(2) Where no prosecution is instituted the Magistrate shall direct the return of such molasses or articles to the person from whom they were seized."

तो धारा १३ के अनुसार जैसे ही कोई पुलिस अफसर या कोई दूसरा अधिकारी किसी सामान को अपने कब्जे में करता है तो उसकी रिपोर्ट वह मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मैजिस्ट्रेट इस बात का अधिकार देगा कि उन वस्तुओं का क्या होना चाहिए और प्रासीक्युशन होना चाहिये या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा मैजिस्ट्रेट देगा और अगर कोई प्रासिक्यूशन हुआ, तो मजिस्ट्रेट इस बात की इजाजत देगा, पुलिस अफसर नहीं, कि वह सामान वापस कर दिया जाय। धारा १३ मूल अधिनियम की संशोधित नहीं की गयी है। वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब अगर आप धारा १३ को लें जो कि बाद को आती है तो धारा १२ (४) के ये शब्द धारा १३ के विरुद्ध जाते हैं जब कोई पुलिस अफसर या दूसरा अधिकारी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के अनुसार अपने अधिकारों को प्रयुक्त करेगा तो उन्हीं वस्तुओं के बारे में प्रयुक्त करेगा जिसकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को धारा १३ के अनुसार देनी आवश्यक है और कस्टडी के संबंध में मैजिस्ट्रेट की आज्ञा आवश्यक है। तो आप उसमें देखें परस्पर विरोधाभास है कि रिपोर्ट पहले जायगी मैजिस्ट्रेट के पास उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। मान लिया जाय मैजिस्ट्रेट ने उस रिपोर्ट के आधार पर कस्टडी के आर्डर्स दे दिए कि यह कस्टडी में रहेगा और इन्क्वायरी भी मैजिस्ट्रेट करेगा—इसमें इन्क्वायरी भी लिखा है धारा १३ में—

"A report about any molasses or article seized under section 12 shall, as soon as possible, be submitted to the Magistrate, having jurisdiction who may, after making such inquiry as he may consider necessary..."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो जो मैजिस्ट्रेट की एक तरफ इन्क्वायरी है और दूसरी तरफ पुलिस अफसर इन्वेस्टीगेट करे और पुलिस और पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन को स्थगित भी कर दे बिना मैजिस्ट्रेट के रिफ्रेंस के तो किस प्रकार का यह विरोधाभास है कि रिपोर्ट के संबंध में तो आर्डर देगा लेकिन इन्वेस्टिगेशन को स्थगित करने के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट आर्डर नहीं देगा। कितना विरोधाभास इस सम्बन्ध में पैदा होता है। दूसरी बात इस सम्बन्ध में देखने लायक यह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अध्याय १४ के मातहत हम कोई शक्ति किसी कर्मचारी को देने जा रहे हैं तो हमें पूरे अध्याय १४ को लागू करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि एक बार कार्यवाही जो उस आध्याय के मातहत शुरू हो गई है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की मंशा के विरुद्ध हम कोई नयी शक्ति इस विधेयक में देने की चेष्टा करें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी न हो। माननीय मंत्री जी इसको बतलायें कि कौन से ऐक्ट में इस तरह की धारायें हैं। कौन से विधान में ऐसी शक्ति दी हुई है कि राज्य सरकार की शक्ति के ऊपर भी कर्मचारी इन्वेस्टिगेशन को अपने मन से ड्राप कर सकता है। एक जुडीशियल प्रोसीडिंग्स शुरू हो लेकिन वह जुडीशियल प्रोसीडिंग राज्य सरकार की आज्ञा से इस प्रकार से जिसके लिए पहले जुडिशियल रिफ्रेंस हो गया हो, बिना जुडीशियल रेफ्रेंस के ड्राप कर दिया जाय, यह उचित नहीं है, या तो फिर शुरू में ही कोई जुडीशियल रेफरेंस न होता। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह धारा १२ और १३ की संज्ञा को देखते हुए, कांटेक्स्ट को देखते हुए इस प्रकार का जो संशोधन है इसको वापस लेने की कृपा करें। इस संबंध में धारा ११ की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। वह इस प्रकार है—

"11. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, or any rules made or order passed thereunder except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Controller or by a District Magistrate.

(2) No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence against this Act or any rule or order made thereunder."

यह जो धारा ११ की उपधारायें (१) व (२) हैं इनसे भी यही स्पष्ट होता है कि मूल अधिनियम की मंशा जुडीशियल पावर को, न्यायाधिकरण की शक्ति को इस विधेयक में प्रतिष्ठित करने की है, लेकिन जो नया संशोधन होने जा रहा है इससे हम न्यायाधिकरण के स्थान पर राज्याधिकरण को एग्जीक्यूटिव पावर को अधिक शक्ति देने जा रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन को रुकवाने की कोई बात आवश्यक प्रतीत होती है तो मैजिस्ट्रेट को आदेश देना चाहिए न कि राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि कहीं पर इन्वेस्टिगेशन ड्राप किया जाय तो वहां मैजिस्ट्रेट जिसको रिपोर्ट दी जाने वाली है उसी के पास एप्लीकेशन मूव करे कि ये फैक्ट्स हैं इन फैक्ट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है, आप इसमें आर्डर दें। रिपोर्ट पर फैसला मजिस्ट्रेट दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो या न हो इसकी आज्ञा न दे, यह स्वयं सरकार के कर्मचारी डिसाइड कर लें, यह परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कानूनी पक्ष पर इस विरोभाधास पर, इस असंगति पर विचार करें और विचार करने के समय तक इस धारा पर विचार को स्थगित रखें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय मौर्य जी ने इस सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस तरह से इस बिल का प्रावीजन है अगर रहता है तो मैं समझता हूं कि यह पूरा विधेयक ही कोई माने नहीं रखता। क्योंकि जो अफसर इन्वेस्टीगेशन करता रहेगा उसको यह अधिकार है कि जो उसके मन में आवे, बिना केस को रेफ्रेंस किये हुए हटा ले, तो फिर कोई केस चालू ही नहीं हो सकता और एक सब-इन्सपेक्टर तक इंवेस्टीगेशन कर सकता है। श्रीमन्, आपको भी ज्ञात है और इस सदन के बहुत से मेम्बरों को भी ज्ञात है कि बजट सेशन पर कितनी गरमा-गरमी होती है पुलिस वालों पर और उनके कार-

मामों पर। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वह किस किस्म की कार्यवाही करते हैं। वहां तो बहुत बड़ी रकम का मामला है, मोलेसेज का हजारों रुपये का भी मामला हो सकता है। ऐसे मामलों में उनको यह अख्तियार दे देना कि जब चाहें वह इन्वेस्टीगेशन खत्म कर दें और न चलने दें, फिर तो यह ऐक्ट कभी चालू ही नहीं हो सकता और गवर्नमेंट अपने कार्य में कभी सफलीभूत नहीं हो सकती, क्योंकि मिल वाले जानते हैं कि किस तरह से पुलिस अफसरों को तोड़ लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां बीसों हजार के मामले होंगे तो वह बारगेन कर के कम सौदे में पटा लेंगे। मिल मालिकों के लिये कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं आपका ध्यान एक केस की तरफ दिला दूं। वह कोई पैसे का मामला नहीं था। कुछ हमारे यहां के जो बड़े धनी लखपती लोग हैं उन्होंने एक म्युनिसिपल मेम्बर के लड़के को पीटा, हड्डी वगैरह टूट गयी। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है कि ठीक है। मैं एस० पी० तक गया, वहां कह दिया कि नहीं ठीक है। फिर मुझे आई० जी० तक आना पड़ा और जब उन्होंने केस देखा तो कहा कि यह बिलकुल सही केस है, एक्स-रे की रिपोर्ट थी। तब जा कर फिर केस चला। तो इस तरह की बात तो खाली मारपीट में हो जाती है। फिर यहां हजारों रुपयों का मामला है, उसमें पुलिस वाला जो अधिकारी होगा वह चाहे जिस तरह से गड़बड़ी करा सकता है। पता नहीं कैसे इस तरह का ड्राफ्टिंग लोग कर देते हैं। मैं तो श्रीमन्, बहुत परेशान हूं कि ये लोग आंख मूंद कर ऐसी ड्राफ्टिंग करते हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार बढ़े, चोरी बढ़े और सरकारी नियमों का ठीक ठीक पालन न हो सके। तो मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं अगर आपको दरअसल इस ऐक्ट को ठीक-ठीक चलाना है और आप चाहते हैं कि इन बड़े-बड़े मिल वालों से अपने कानून का पालन करावें तो इस किस्म के अधिकार अगर आप देंगे तो उससे काम नहीं चल सकता। हां, जो छोटे-छोटे केस होंगे जिसमें किसी का नुक्सान नहीं होगा वही केस चलेंगे, लेकिन कोई बड़ा केस कभी भी नहीं चल सकता।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरी समझ में नहीं आता कि वह धाराएं क्यों रखी गयी हैं। माननीय मौर्य जी का जो संशोधन है अगर उसको नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि इतने दिन जो विधान सभा ने मुलैसेज ऐक्ट के बनाने में लगाये और मूल अधिनियम के बनाने में जितना टाइम लगा उस सब टाइम और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस की कभी भी पाबन्दी नहीं हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें ताकि सरकार को दिक्कत न हो सके और वह अपने इस कानून का पालन करा सके।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मौर्य जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है इस संशोधन के पक्ष में, उसको बड़े ध्यान से सुना है। मैं समझता हूं कि उनका तर्क उचित नहीं है। मौर्य जी ने गलतफहमी के कारण ही संशोधन पेश किया है। विधेयक में लिखा हुआ है—

"Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer incharge of a police station may exercise in a congnizable case under the provisions of Chapter XIV, of the Code of Criminal Procedure, 1898...."

इसके बाद ये शब्द माननीय मौर्य जी निकालना चाहते हैं:—

"....and if specially empowered in that behalf by the State Government, such officer may, without reference to a magistrate, and for reasons to be recorded by him in writing stop further proceedings against any-person concerned or supposed to be concern which he has investigated"

अगर ध्यान से पढ़ा जाय तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट विशेष परिस्थितियों में उस अधिकारी को "इम्पावर" करेगी तभी वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट पर अगर हमारा विश्वास नहीं है तब तो हम समझ सकते हैं और संशोधन ला सकते हैं कि यह वाक्य

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

निकाल दिया जाय जो १८९८ के बाद आये हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेगी तभी उसको "इम्पावर" करेगी। इसलिये मेरी राय में यह संशोधन उचित नहीं है और माननीय मौर्य जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसे वापस ले लें और जैसा कि विधेयक में रखा गया है उसी रूप में उसे रहने दिया जाय।

श्री शिवनारायण—मैं आपकी इजाजत से मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आज सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से ऐसे कानून बनते हैं जिनकी हाईकोर्ट में जाकर बड़ी छीछालेदर होती है। मैं अपने भाई व्रजबिहारी मिश्र जी को क्या कहूं, वे बुजुर्ग है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखा है "विद आउट रेफ्रेन्स टु ए मैजिस्ट्रेट" यानी बिना किसी मैजिस्ट्रेट को रेफर किये वह फैसला कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि खुलेआम करप्शन होगा और ये मिलमालिक जो पैसे के बल पर नाना प्रकार के करप्शन करते हैं, मजदूरों के बीच में फूट डालते हैं वे अपनी थैलियां खोल देंगे और हमारे सब-इंस्पेक्टर लोग जो वहां जाच करने जायेंगे वे उस मामले को खत्म कर देंगे। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि छोटे अफसरों को पावर नहीं देनी चाहिये। जांच तो वाकई सब-इंसपेक्टर ही कर सकता है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। लेकिन यह पावर उसको डेलीगेट कर दी जाय यह ठीक नहीं है। वह ६ महीने तक मुकदमा चलाता रहेगा और लोगों को खूब परेशान करेगा और जिस दिन थैली मिल जायगी तो ड्राप कर देगा। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने लीगल ऐडवाइजर्स से सलाह ले ले। यह चीज बहुत सोचने की है। या तो इस वक्त इसको पेंडिंग कर दिया जाय और बाद में इसको लिया जाय। जो धारा विधेयक में है यह बहुत ही लचर है, इसको अमेंड होना चाहिये। इस लिये मैं मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से कहता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करे।

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय मौर्य जी का जो संशोधन है उस पर मैंने काफी विचार किया है और काफी वजन भी पाया है। माननीय मिश्र जी ने कहा वह भी अपनी जगह पर सही है कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि एक मामला चलाने के बाद आगे सूचना मिले जिससे वापस लेना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास साधन है जिससे हम ऐसे मुकदमें को वापस ले सकते हैं। श्री नारायण दत्त जी ने जो कहा वह भी सही है, इससे झंझट भी पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर मुझ पर माननीय शिव नारायण जी की दलीलों का पड़ा और उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं द्वारका प्रसाद मौर्य जी के संशोधन को मान लूं। लिहाजा मैं उनके संशोधन को माने लेता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा १२ की उप-धारा (४) की पंक्ति ६ में अंक "१८९८" के बाद के सभी शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट, २३, १९४७ में एक नयी धारा १३–ए का रखा जाना।

९—मूल अधिनियम में धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १३–ए के रूप में रख दिया जाय—

"13-A. Power of the Controller to compound offences. The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9, a sum of money not exceeding five thousand rupees by way of com-

position for the offence which may have been committed, and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act may release the same on payment of the value thereof as estimated by him.

On the payment of such sum of money or such value, or both, as the case may be, to the Controller, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property."

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं खंड ९ का विरोध करनेके लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार से अगर यह खंड ९ ऐसे ही पारित हो जाता है तो हम एक ऐसी धारा १३ को बढ़ा देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता इस विधेयक के प्रयोजनों को प्रस्तुत करने के लिये नहीं होती है जो धारा १३ मूल अधिनियम की है उसमें यह लिखा हुआ है कि:--

"A report about any molasses or article seized under section 12 shall as soon as possible, be submitted to the Magistrate, having jurisdiction who may, after making such inquiry, as he may consider necessary, give directions for their temporary custody as he thinks fit.

2. Where no prosecution is instituted the Magistrate shall direct the return of such molasses or articles to the person from whom they were seized."

इस धारा १३ और ११ जिसे मैं पहले पढ़ चुका हूं। उन दोनों की मंशा यह है कि कोई आरोप लगाया जायगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के यहां और उसके मातहत उस पर जुरमाना हो सकता है और सजा भी हो सकती है और हमने जो संशोधन स्वीकार किया है उसके अनुसार दोनों हो सकती हैं। मौर्य जी की मंशा भी यही थी कि कोई सीमा नहीं होनी चाहिये बल्कि सीमाहीन होना चाहिये। अगर ५०,००० रुपये के शीरे का गड़बड़ घोटाला हुआ है तो फाइन ज्यादा हो सकता है, अगर १०,००० का गड़बड़ हुआ है तो १५,००० रु० फाइन हो सकता है। अगर हम ऐसा रख दें कि गड़बड़-घोटाला हो एक लाख का और जुरमाना हो ५,००० रुपये का तो जुरमाने का मकसद ही खत्म हो जाता है और खुली छूट हो जायगी, क्योंकि वह सोचेंगे कि कंट्रोलर से तय कर लेंगे और ५ हजार रुपया देकर निबट जायेंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाओं की वृद्धि हो सकती है कि गड़बड़घोटाले बढ़ें और जैसी यह धारा है कि कंट्रोलर साहब अगर तय करें कि बजाय अदालत के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि हम चुपचाप ५,००० रुपया ले लें तो सारी कार्यवाही समाप्त कर दी जाय यह अधिक होने लगे। इसमें लिखा हुआ है:--

"13-A. The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9, a sum of money not exceeding five thousand rupees by way of composition for the offence which may have been committed, and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act may release the same on payment of the value thereof as estimated by him.

On the payment of such sum of money or such value, or both, as the case may be, to the controller, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

क्या अर्थ है इसका ? मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने १०,००० रुपये का शीरा अवांछनीय तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है और उसका मामला पकड़ा जाता है। पुलिस अफसर उसको गिरफ्तार करता है और उस शीरे को अपने हाथ में ले लेता है। इस नयी धारा १३ का अर्थ यह होगा कि बिना किसी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के, बिना किसी प्रकार जुडीशल प्रोसीडिंग्स के अगर कंट्रोलर चाहे तो वह कंपोजीशन कर सकता है। पहले तो यही बात अवैधानिक है कि जो आफेंस साबित नहीं हुआ उसका समझौता किया जाय। बिना आफेंस इस्टैबलिश हुए हम एक लचर दलील देते हैं कि हम आफेंस हुआ मान लेंगे और अगर हमें कंपोजीशन में ५,००० रुपया मिल जायगा तो स्टाक रिलीज कर देंगे। यानी ५,००० रुपया हमने ले लिया और १०,००० का स्टाक रिलीज कर दिया कि भइया बेच आओ। माननीय मंत्री जी मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि यह तो रिश्वत खोरी और घूसखोरी को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाला प्राविजन हो जाता है और सरकार मुझे माफ करेगी अगर मैं कहूं कि मंत्री जी और सरकार एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से घूस स्वीकार करते हैं। यहां रिश्वत मैं एक टेक्निकल सेंस में कह रहा हूं कि वह ५,००० रुपया ले लें और छूट दे दें कि वह उस शीरे से जो मन आये कर ले। तो श्रीमन्, किस प्रकार यह सदन इस बात को स्वीकार कर सकता है कि खुले आम हम उस विधान में एक ऐसा प्राविजन रखें कि जिसमें इस प्रकार के गड़बड़ घोटालों को समाप्त करने की गुंजायश की गई हो। अगर किसी ने इस विधान के विरुद्ध कार्य किया, शीरे को अपने कंट्रोल में किया, गड़बड़ घोटाला किया तो उसको दंड मिलना चाहिये। मैजिस्ट्रेट जुर्म की गंभीरता देख कर दंड दे तभी इसका चेक हो सकता है। किसी प्रकार से यह उचित नहीं है कि हम ऐसा प्राविजन रखें कि जो अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वतखोरी को और बढायें और कंट्रोलर ऐसी स्थिति में आ जाय कि जो एक पदाधिकारी के लिये उचित न हो और वह बात सरकार के लिये भी उचित न हो। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस प्रकार का उदाहरण आने पर उनकी क्या दलील होगी ? मौलैसेज बिल बिहार में, मद्रास में, पंजाब में बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसी भी मौलैसेज ऐक्ट में क्या इस प्रकार का प्राविजन है ?

दूसरी बात जो मैंने बतलायी वह यह है कि हम विधान के विरुद्ध जा रहे हैं। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। यह हाईकोर्ट के पास जायगा और सुप्रीम कोर्ट के पास जायगा तो यह अल्टरा वायर्स संविधान का बतलाया जायगा। मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल २० की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि--

"No person shall be convicted of any offence except for violation of of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor he subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence."

इससे यह स्पष्ट होता है कि जब तक एक चार्ज आफ आफेंस चार्ज्ड न हो जाय तब तक आप आफेंस की सजा नहीं दे सकते। ऊपर तो आप कुछ लिखते हैं और नीचे उसके विपरीत लिखते हैं तो फिर यह तो उल्टी बात हो जाती है और संविधान के विरुद्ध पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आफेंस की शिकायत है तो विधान के अनुसार उसपर मुकदमा चलना चाहिये और फिर उसपर चार्ज लगाना चाहिये जब तक उसके ऊपर आफेंस साबित न हो जाय तब तक कम्पोजिशन नहीं हो सकता है। यहां पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। पहले आफेंस हुआ है उसके बाद आप कम्पोज करते हैं तो यह असंगत बात होगी। यहां पर आफेंस का कम्पोज कमिट नहीं हुआ है या ला कोर्ट में। जहां पर जांच हो रही है वहां पर उसके पहले कम्पोज का आप जिकर करते हैं। यह न्याय के आधारभूत सिद्धांत के विपरीत पड़ता है जो कि हम इस धारा

में रखने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप विधान के लिये इस सदन में आप रक्षक हैं। संविधान के बाहर जाकर हम कोई विधान यहां पर नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर संविधान पर हमला किया जा रहा है। दूसरे राज्य की मर्यादा का भी हम हनन कर रहे हैं कि इस तरीके से रिश्वतखोरी के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। चाहे वह कितने ही रुपये का गड़बड़ घुटाला करे लेकिन उस पर ५ हजार से अधिक जुरमाना नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ५० हजार की गोलमाल की है तो क्यों न उस पर अधिक जुरमाना किया जाय ? एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि कई दृष्टिकोण से यह धारा निर्मूल सिद्ध होती है, अनर्गल सिद्ध होती है और राज्य की मरयादा के खिलाफ सिद्ध होती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको जल्दी में ही पास न करें, इस पर फिर विचार करें। जिस प्रकार विचारपूर्वक माननीय मौर्य जी का संशोधन आपने स्वीकार किया है और उसमें वैधानिक परम्पराओं को स्वीकार किया है उसी प्रकार से मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको हटाने में तत्पर होंगे।

मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि जो एक आध शब्द माननीय मंत्री जी ने इसमें से निकाले हैं उनके निकालने के बाद और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है कि यह धारा १३-ए निकाल दी जाय। एक तरफ तो मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जायगी और उसकी आज्ञा के अनुसार कस्टडी होगी। मूल अधिनियम की धारा १३ के अनुसार मौलेसेज की कस्टडी का निर्णय मैजिस्ट्रेट की आज्ञानुसार होगा। दूसरी वही शीरे से संबंधित वस्तुयें जो मैजिस्ट्रेट की जांच के अनुसार जब्त की गई हैं वे कन्ट्रोलर की आज्ञा के अनुसार छुड़ा दी जावेंगी। यह कितना विरोधाभास है हम इस शीरे को वापस उसके मालिक को देने जा रहे हैं जो कि कोर्ट की आज्ञानुसार जब्त है। इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और इन्वेस्टीगेटिंग आफीसर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगा जिसकी कोर्ट प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरी ओर कंट्रोलर साहब आज्ञा जारी करते हैं कि हम आपकी आफेंस को ५,००० रुपये पर खत्म करने के लिये तैयार हैं।

मुझे आशा है कि इस विरोधाभास को देखते हुए माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और इसे अवश्य वापस लेंगे। अगर उन्होंने किसी मर्यादा के अनुसार इसे वापस लेने की कृपा नहीं की तो, श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप संविधान के मूलरक्षक होते हुए इसे संविधान के विपरीत घोषित करें।

श्री जगनप्रसाद रावत—यह एक सीधासादा सा संशोधन है और नहीं मालूम कि नारायण दत्त जी ने इसे किस दृष्टिकोण से देखा। कोई अपराध करता है और उसे स्वीकार करता है और यह मालूम होता है कि उसके साथ इस प्रकार की रिआयत बरती जाय। चाहे इसे दंड या समझौता कहें, अगर कंट्रोलर चाहे तो कुछ रकम पर उस मामले को तय करदे, इसमें कौन सी रिश्वत की बात है ? केवल दृष्टिकोण का अन्तर है जिसे दुनिया में सब जगह भृष्टाचार ही नजर आता है उसे मेरे लिये असंभव है कि मैं कोई अच्छाई दिखला सकूं। नारायण दत्त जी को तो एक चश्मे से देखने का अभ्यास है, दूसरा चश्मा मेरे पास नहीं है कि मैं उन्हें पहना सकूं। मुझे दुख है कि मैं नारायणदत्त जी के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने तो आपत्ति की थी कि उस पर आपकी रूलिंग नहीं हुई।

अधिष्ठाता—इस प्रकार के प्रश्न पर अदालत द्वारा ही निर्णय दिया जा सकता है वह मेरे अधिकार के बाहर है कि यह निर्णय दूं कि कोई प्रश्न वैधानिक है या अवैधानिक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मैं यह समझूं कि विधान के सब प्रश्न अदालतों में ही उठाये जा सकते हैं ?

अधिष्ठाता--मैं बहुत साफ नहीं था इस मामले में। परन्तु जो आपत्ति आपने उठाई थी, संविधान की धारा २० आपने पढ़ी और यह धारा ९ पढ़ी, तो आपकी आपत्ति ऐसी है कि उसके ऊपर अदालत द्वारा ही निर्णय दिया जा सकता है, मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय नहीं दे सकता हूं। स्पीकर्स कान्फ्रेंस में भी था कि स्पीकर्स को ऐसे मामलों में अपना बिर्णय नहीं देना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं यह जानना चाहूंगा कि स्पीकर्स कान्फ्रेंस के निर्णय इस असेम्बली में लागू किये जाने कहां तक उचित हैं?

अधिष्ठाता--मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक प्रश्न इस प्रकार का उपस्थित हुआ था और टंडन जी ने निर्णय दिया था। उसी का अनुसरण करके मैंने यह निर्णय आपको दिया है।

खंड १०

यू० पी० ऐक्ट, २३, १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द " person " तथा " from " के बीच में शब्द " or class of persons " रख दिये जायं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ में एक नयी धारा १५-ए का रखा जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५-ए के रूप में रख दी जाय--

Bar to certan suits.

15-A. (1) No suit shall lie in any civil court against the Government or any officer or person for damages for any act in good faith done, or ordered to be done, in pursuance of this Act or any Rules or Orders made thereunder.

(2) No civil court shall try any suit which may lawfully be brought against the Government in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of this Act, unless the suit is instituted within six months after the date of the act complained of."

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १२

य० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) में वर्तमान खंड (ए) से (जी) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*a*) the matters relating to the establishment of the Molasses Board;

(*b*) the manner and the procedure for the conduct of business and the discharge of functions by the Molasses Board ;

(*c*) the procedure relating to the removal of members of Molasses Board ; and

(*d*) matters which are to be and may be prescribed."

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

१२-मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for:

(*a*) the matters relating to the establishment of the Molasses Board;

(*b*) the manner and the procedure for the conduct of business and the discharge of functions by the Mollasses Board ;

(*c*) the procedure relating to the removal of members of Molasses Board; and

(*d*) matters which are to be and may be prescribed"

यह वही संशोधन है जो पहले था लेकिन यह बेटर वर्डेड है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री जगनप्रसाद रावत---मुझे यह स्वीकार है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---हम लोगों को भी स्वीकार है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"१२-मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) के स्थानपर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(*a*) the matters relating to the establishment of the Molasses Board;

(*b*) the manner and the procedure for the conduct of business and the discharge of functions by the Molasses Board ;

(*c*) the procedure relating to the removal of members of Molasses Board; and

(*d*) matters which are to be and may be prescribed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

कार्यों तथा कार्यवाहियों का वैध होना।

१३--(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई बात जिसके अन्तर्गत प्रदत्त आज्ञा, किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र (jurisdiction) सम्मिलित है जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुये मूल अधिनियम के अधीन वैध (validly) अथवा उपयुक्त रूप से कृत अथवा अकृत (done or omitted) होता तो उसके बारे में यह समझा जायगा कि वह कार्य अथवा बात मूल अधिनियम के अधीन वैध तथा उपयुक्त रूप से की गयी, प्रदत्त अथवा प्रयुक्त हुई है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मूल अधिनियम के अधीन किये गये किसी काम अथवा की गयी बात की वैधता के संबंध में इस आधार पर कि

मूल अधिनियम का कोई उपबन्ध विधितः वैध (valid in law) नहीं था आपत्ति करने वाले सभी वाद तथा अन्य कार्यवाहियां समाप्त तथा विसर्जित (abated and dismissed) हो जायेंगी ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५—(क्रमागत)

श्री जगनप्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त संशोधन पेश हो रहे थे उस वक्त केशभान राय जी का एक संशोधन ३१-ग था वह इस प्रकार था :—

खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) के कोष्ठक वाले पैरा की पंक्ति ३ में शब्द "molasses" तथा शब्द "in pies" के बीच में शब्द "per maund" रख दिया जाय ।

यह संशोधन एक प्रकार से शाब्दिक है । उसके मान लेने से आशय साफ हो जाता है । अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मंजूर कर लिया जाय ।

अधिष्ठाता—मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछता हूं कि यह खंड ५ अब पास हो चुका है इसलिये आप इसके लिये अपनी स्वीकृत देते हैं या नहीं ?

श्री गेंदा सिंह—मुझे वे शब्द अच्छे लगते हैं । मैं ऐसा नहीं सोचता कि यह संशोधन उस तरफ से माननीय केशभान राय जी ने पेश किया है इसलिये उसका विरोध करना चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जाय ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (३) के कोष्टक वाले पैरा की पंक्ति ३ में शब्द "molasses" तथा शब्द "in pies" के बीच में शब्द "per-maund" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि पुनः संशोधित खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १

उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ । कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २३,१९४७ । यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करना आवश्यक है

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ । १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगनप्रसाद रावत—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधेयक जिस प्रकार से पास हुआ है, मुझे उसमें बहुत खुशी नहीं है। हम लोग चाहते थे कि विधेयक की जो कमियां हैं और जो अनुभव सरकार को था, उन सभी अनुभवों के आधार पर इस विधेयक को ज्यादा कार्यक्षम बनाया जाता। इसी उद्देश्य को सामने रख कर संशोधन भी रक्खे गये थे। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ संशोधनों को सरकार ने स्वीकार भी किया। अगर माननीय मौर्य जी के संशोधन को सरकार ने स्वीकार न किया होता तो उससे भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता था। इसी के साथ-साथ जो खांडसारी के, मोलैसेज के इस विधेयक में शामिल हो जाने का अंदेशा था, उस अंदेशे को दूर करने में भी जिस बुद्धिमता से काम लिया गया, वह भी अच्छी बात हुई। लेकिन इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर थोड़ी और उदारता से काम लिया होता तो मुलैसेज बोर्ड भी अधिक सफल रहता।

इसके अतिरिक्त अगर सरकार माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन को स्वीकार कर लेती तो ज्यादा अच्छा हुआ होता, लेकिन उसको मंजूर न करके सरकार ने एक खतरे की बात की है। सरकार ने इसके द्वारा यह छूट दे दी है कि हजारों मन की गोलमाल करने पर भी ५ हजार रुपये लेकर ही इस मामले को समाप्त किया जा सकता है। यह उन लोगों को उत्साह दिलाने वाली चीज है जो कि गोलमाल करने के आदी हैं। मुलैसेज हमारी बड़ी संपत्ति है अगर उसका ठीक से उपयोग किया जाय तो उससे ऐसी ऐसी चीजें बन सकती हैं जिन वस्तुओं का हमारे यहां बड़ा भारी अभाव है। १९४६ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक पैनल बैठाया था। उसने इस बात को स्पष्ट किया था कि इसी मुलैसेज से हम बहुत सी बाय-प्राडक्ट तैयार कर सकते हैं जिनसे न कि चीनी की कमी दूर हो सकती है बल्कि बहुत सी चीजें जैसे पावर एलकोहल, फूडयीट्स, उपज बढ़ाने के लिये खाद, इंडस्ट्रियल अलकोहल आदि पैदा किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहां रबर की कमी है, साइंटिस्टस् का यह कहना है कि उसको भी दूर किया जा सकता है। उसके द्वारा रबर की इंडस्ट्री भी चल सकती है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारे देश में जिस प्रकार से मुलैसेज का दुरुपयोग होता है, उसको रोका नहीं जा रहा है। उसके लिये जो धारा रखी गयी है उसके द्वारा वह दुरुपयोग रुकने वाला भी नहीं है। अगर सरकार ने कुछ संशोधनों को स्वीकार किया होता तो हम भी खुशी खुशी इस विधेयक को पास करने में अपनी राय देते। लेकिन सरकार की दृष्टि उतनी उदार नहीं हुई। हमें सरकार की बुद्धि पर तो भरोसा करने को कहा जाता है कि सरकार को इन सब चीजों की जानकारी है, लेकिन अगर सरकार इन सबके बंदोबस्त के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती है तो मैं क्या सोचूं, यह माननीय मंत्री जी स्वयं सोच लें। अब मैं ज्यादा वक्त न लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो मुलैसेज पैदा होता है उसके उपयोग के लिये कमेटियां बनायी गयीं, उन कमेटियों ने कुछ रिपोर्ट्स भी दीं लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने एक रत्ती भर भी उन रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ने की मेहरबानी भी नहीं की गयी। १९२९ ई० में यू० पी० और बिहार की एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी और उसके बाद वह पैनल जिसकी मैंने चर्चा की, जो केवल मुलैसेज के उपयोग करने के संबंध में बना था, उन दोनों की रिपोर्ट्स को डिपार्टमेंट वालों ने शायद देखने का कष्ट नहीं किया। मैं यह कहना चाहता

[श्री गेंदा सिंह]

हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिससे हम सूबे और किसानों की बहबूदी कर सकते हैं, तथा सबसे बड़ी चीज यह कि उन चीजों को भी पैदा कर सकते हैं, जिनकी हमारे यहां कमी है । मेरा सुझाव है कि इन सब चीजों को लेकर, बिहार सरकार से सलाह लेकर सरकार एक कमेटी बनाये और उसके लिये नियम बनाये और उस कमेटी को यह अधिकार दें, जैसा कि मैंने कहा कि मुलैसेज बोर्ड का अध्यक्ष जो हो वह शुगर टेक्नालाजी के डायरेक्टर को बना दिया जाय, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया ।मैंने इसलिये ऐसा चाहा था कि उनको इस बात का ज्ञान है कि मुलैसेज से क्या चीज पैदा हो सकती है, यह कुछ विशेष ज्ञान की बात है और उनके टेक्निकल ज्ञान का लाभ उठाना प्रदेश का काम है । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अब बिल पास हो गया है लेकिन बाद में भी इस पर विचार करके जल्द से जल्द ऐसी कमेटी बनाने की कृपा करें जो इसके वर्किङ्ग पर और साथ ही साथ यह भी देखे कि इसकी अधिक उपयोगिता कैसे हो सकती है और कैसे तमाम बातों की खोज हो सकती है ? अन्त में मैं उम्मेद करूंगा कि इन तमाम कमियों को ध्यान में रख कर एक ऐसा बिल फिर लाया जायगा कि जिससे हम सम्भवतः अधिक लाभ उठा सकें ।

श्री शिवनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का आभारी हूं कि जितने सीरियस संशोधन इस बिल के सम्बन्ध में इस सदन में पेश हुए उनको उसने स्वीकार किया, उन्होंने अपने लीगल एडवाइजर से सलाह लेकर जिस संशोधन को उचित समझा मान लिया, लेकिन जिसको उसने मुनासिब नहीं समझा उसको अस्वीकार कर दिया । जो संशोधन उसने उचित समझे वह मान लिये हैं इसलिए हम मंत्री जी के और सरकार के आभारी हैं । जो मुलैसेज का कंट्रोल सरकार ने किया है वह बहुत ठीक है । अब कोई नाजायज ढंग से शीरे की शराब न बना सकेगा और गलत ढंग से उसका किसी तरह से कोई उपयोग न कर सकेगा । उससे अब सरकार नाना प्रकार की दवायें बना सकेगी और उसका उचित उपयोग कर सकेगी । सरकार ने बड़े सुन्दर ढंग से इस बिल को प्रस्तुत किया है और बहुत उचित कार्य यह किया है । आखिर में जो संशोधन माननीय रामनरेश जी ने पेश किया है जो धारा १२ में था उसको सरकार ने मान कर बहुत ही ठीक कदम उठाया है और श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने भी कह दिया कि हमें यह स्वीकार है ।

श्री गेंदा सिंह जी ने इस का विरोध किया .....

अधिष्ठाता—गेंदासिंह जी ने उसका विरोध नहीं किया है और न यह कहा है कि उसको पास न किया जाय । उन्होंने कहा कि कमियां हैं ।

श्री शिवनारायण—कमियां तो संसार में सदैव ही रहती हैं और रहेंगी लेकिन मैं माननीय गेंदासिंह जी से कहूंगा कि जब यह बिल अपर हाउस में जायगा तो वहां भी इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है और अगर कोई चीज रह गई है तो वह वहां ठीक हो सकती है, वह फिर इस सदन में लौट सकता है अगर जरूरत हुई । मुलैसेस का कंट्रोल बहुत ही सुन्दर है और सरकार ने जो उचित संशोधन माने हैं और किए हैं उनके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि हाउस इस बिल को स्वीकार करेगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इसको तो हम सब मानते हैं कि मुलैसेज के कंट्रोल की आवश्यकता है लेकिन जो हमारी भावनायें थीं और जो हम चाहते थे कि किस तरह से कंट्रोल किया जाय उस तरह से वह नहीं किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि सरकार को इन कमियों की पूर्ति के लिये फिर से संशोधित बिल सदन में लाना पड़ेगा । इस लिये कि जो कुछ भी इसमें इधर उधर किया गया है वह ऐसा है कि कभी भी जो सरकार की मंशा है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती फिर भी इसे पास तो होना ही है । वह तो हो, उसके लिये मुझे

कुछ नहीं कहना है लेकिन जो दो एक संशोधन हुए हैं कुछ उनमें गलतफहमी हो गई है उसके बारे में बतला दूं। जैसे गड्ढे वाला संशोधन तो मान लिया मंत्री जी ने लेकिन कन्फ्यूजन बना रहा कि कैसे वह गड्ढे को जब्त करेंगे ? गड्ढा भी जब्त किया जा सकता है। गड्ढे पक्के बनाये जाते हैं, बढ़ियां खोदे जाते हैं उनको यदि नीलाम किया जाय तो पैसा मिले। जिस प्रकार से कंटेनर्स को हम नीलाम करते हैं उसी प्रकार गडढे के भी अच्छे दाम हुआ करते हैं। दूसरे जो माननीय मौर्य जी का संशोधन माना गया है वह उचित ही था इसलिये कि उसको अगर नहीं माना जाता तो मैं समझता हूं कि सरकार को इतनी दिक्कत उठानी पड़ती। मैं उसका वर्णन फिर दोहराना नहीं चाहता। उसके बारे में काफी वाद-विवाद हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ जो और छोटी-मोटी धाराएं रखी गयी हैं जैसे वह ५ हजार रुपये वाला उससे कुछ ज्यादा काम बनने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि उनके पास ऐसा चश्मा नहीं है जो उनको दे सकूं। लेकिन श्रीमन्, मेरे पास चश्मा है। नारायणदत्त जी चश्मा नहीं पहनते मैं पहनता हूं और माननीय मंत्री जी भी पहनते हैं। यह सही है कि माननीय मंत्री जी के पास जो चश्मा है और मेरे पास जो चश्मा है उसमें फर्क है। उनका चश्मा खाली विधेयक देखता है और मेरा चश्मा दूर की बात भी देखता है। हम दूर की चीजों को भी देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी न रह जाय और जो हो उसको हटाया जाय ताकि जो कानून की मंशा है उसकी पूर्ति हो सके। वह जो पांच हजार वाली बात है उसमें बड़ी दिक्कत होगी।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दस दफा १०, १० हजार रुपये की चोरी की और पकड़ा जायगा एक दफा चलो मान लेंगे पांच हजार रुपया देकर गर्दन छुड़ा लेंगे। तो फिर उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह बीस हजार रुपया कमायेगा और पांच हजार रुपया देकर अपनी गर्दन छुड़ा लेगा। चोर दस दफे चोरी करता है मगर पकड़ा एक दफा जाता है। हो सकता है दसों दफे पकड़ा जाय लेकिन वह मुश्किल है। वह तो आज तक चोरी करता आया है। जिस वक्त मुलैसेस का कंट्रोल था और सरकार की तरफ से आदेश था कि आठ आने में बेचो लेकिन वह चार रुपये पांच रुपये मन में मोलेसेस बेचता था और उसका सारा मुनाफा जो मैनेजिंग एजेन्ट्स होते थे या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते थे, उनके पास जाता था उसका शेयर होल्डर्स से कोई संबंध नहीं होता था तो इस प्रकार आप इस पांच हजार रुपये की बात रखकर आप ऐसी चोरी को प्रोत्साहन देंगे। अगर उसने दस दफा चोरी की लेकिन पकड़ा जायगा एक दफा और कहेगा लीजिये पांच हजार रुपया और हम को बख्श दीजिये। मैं यह समझता हूं कि इस तरह के संशोधनों को सरकार को मानना चाहिये था ताकि उनकी सफाई हो जाती। जहां तक मोलैसेज कंट्रोल बोर्ड का मामला है वह बड़ा गड़बड़ है। उसको कुछ अधिकार नहीं है। वह एक कठपुतली है जैसा कि पहले भी कहा गया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। इसलिये मैं समझता हूं और सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब बिल आवे तो ख्वामख्वाह ऐसा सोचना कि हमारे आफिसरों ने जो लिख दिया वही सही है और इस विधान सभा के जितने सदस्य कहते हैं वह गलत है ऐसी मनोवृत्ति उनको नहीं रखनी चाहिये और जो अमेंडमेंट आवें उन पर बहुत सहृदयता से विचार करना चाहिये।

† श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मैं सदन और आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि नेता विरोधीदल ने और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने काफी बात इस संबंध में कह दी है। मैं आबकारी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करा कर और उसे स्वीकृत करा कर अपने विभाग की नाक बचा ली। श्रीमन्, अब तक एक्साइज डिपार्टमेंट आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट समझा जाता रहा है, लेकिन जो विधेयक स्वीकृत कराया गया है उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ रेवेन्यु और पुलिस डिपार्टमेंट्स भी अपने साथ नत्थी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

कर लिये हैं और इस विभाग को रेवेन्यु डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल कर काम करने के हुकूक इस विधेयक में मिल गये हैं और सौभाग्य प्राप्त हो गया है जिसके लिये एक्साइज डिपार्टमेंट काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। मैं माननीय मंत्री जी को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने द्वारका प्रसाद मौर्य जी के महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृत कर बड़ा अच्छा काम किया है। इसके साथ ही साथ मुझे दुःख भी हुआ कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार करने का साहस उन्होंने नहीं किया। श्रीमन्, नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे निवेदन करने पर भी फल वही होता जो हुआ लेकिन श्रीमन्, फिर भी आपके द्वारा उस संशोधन के संबंध में मैं कुछ निवेदन सदन के सामने करना चाहता हूं। उसमें है "में एक्सेप्ट फाइव थाउजेंड रुपीज फ्राम एनी पर्सन" मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि "ऐक्सैप्ट" तो जब किया जाता है जब आफर हो। और जब आफर किया जाता है तो बिना लाभ के कोई नहीं आफर आता। मैं ज्यादा तर्क उपस्थित न करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह माननीय नारायण दत्त तिवारी वाले संशोधन पर जरा गम्भीरता पूर्वक एक बार फिर विचार करेंगे और उसके अस्वीकृत हो जाने के बाद जो खामियां उत्पन्न होंगी उन्हें दूर करने की व्यवस्था पर भी विचार करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन शब्दों के साथ जो मुझे निवेदन करना था वह मैंने कर दिया।

श्री गिरधारी लाल—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस वक्त कोई नयी बात नहीं कहनी है सिवा इसके कि सदन का अधिक समय न लूं। जो बातें कहीं गई हैं, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, पुरानी रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो रिपोर्ट ही मुख्य चीज नहीं है। पुराने लोगों के तबुर्जे से जो रिपोर्ट्स तैयार हुईं उन तमाम बातों को मंथन करने के बाद हमने यह अधिनियम इस वक्त सदन से पास कराया। बहुत सी बातें कहीं गई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंन्ट की तरफ से बहुत ओपेन माइंड और ओपिन हार्ट के साथ यहाँ पर इस बिल को देखा गया है और इस वजह से जितने भी सुझाव या संशोधन उधर से या इधर से आये और उनको देखने विचारने के बाद जहां तक जरूरत समझी वहां तक उनको मंजूर किया। एक आधा प्रस्ताव इसमें इस तरह का हुआ था जैसे कंपोजीशन या कम्पाइंड करने की बात थी, उसके सिलसिले में मैंने यह इजहार किया कि वह चीज खटकती है। मुझे दुख है कि इतना होने पर एक चीज खटकती है। मैं बतलाना चाहता हूं कि किसी भी लेजिस्लेशन में अगर एग्जिक्युटिव को इस प्रकार की ताकत नहीं है, दी जाती है तो सुचारु रूप से चलाना बहुत कठिन होता है, यह नजरिया है और इस बात को सोचते हुए वह प्राविजन या जो नारायणदत्त तिवारी जी का जो संशोधन था उसको सरकार स्वीकार करने में असमर्थ रही है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अन्त में धन्यवाद देना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि हमें उम्मीद है कि मोलैसेज का कंट्रोल और डिस्टिलरीज की सप्लाई का काम बहुत सफलता से चलेगा। जो शंकायें रखी गयी हैं मुझे उनमें कोई खास बुनियाद नहीं मालूम होती।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्यूएन्स आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय

---

* ५ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

(संशोधन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है और यह विधेयक सिर्फ उस अधिनियम की उम्र बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो १९४७ में पहली बार पास हुआ था और जो १९५३ में पुनर्वाहित किया गया था। इसकी अवधि २५ जनवरी, १९५६ को समाप्त होने वाली है।

हमारे प्रदेश में अभी ईंटों की बहुत बड़ी कमी है। नियोजन के द्वारा हमारे प्रदेश में जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य हो रहे हैं और निजी निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं उनमें ईंटों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और यदि इस पर कंट्रोल न रखा गया तो हमारे प्रदेश के ग्रामों में तथा शहरों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वह निर्माण के कार्य अच्छी तरह से नहीं चल सकते हैं। अगर वह चल भी सकते हों तो उनके द्वारा कुछ ही लोगों का लाभ हो सकता है और सर्वसाधारण जनता जो कंट्रोल के द्वारा ईंटों से लाभ उठा रही है वह नहीं उठा सकती है। तो इसलिये इसकी परम आवश्यकता है कि इस अधिनियम की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी जाय। इसके साथ-साथ जो जलाने की लकड़ी है उस पर भी कंट्रोल की आवश्यकता है। सरकार ने गत फरवरी में यह एलान किया था कि ईंधन पर से कंट्रोल उठा दिया जायगा। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि ४२ शहरों में से सिर्फ ५ शहरों में यह कंट्रोल जारी रखना पड़ा। वे शहर ये हैं---लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, मेरठ। ये पांच शहर ऐसे हैं जिनमें इधन पर कंट्रोल जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस विधेयक में आप उसको रखने का अधिकार देंगे और सरकार का इरादा यह है कि १९५८ तक इस पर कंट्रोल रखा जाय उन शहरों में। आज भी ईंधन की बहुत बड़ी कमी है। पूर्वी जिलों में जो बाढ़ आयी उसमें वहां जलाने की लकड़ी की बहुत ही कमी हो गयी। तो सरकार को इस संबंध में आदेश करना पड़ा कि उन जिलों में जैसे फैजाबाद, आजमगढ़, देवरिया आदि जिलों में जलाने की लकड़ी भेजी जाय। इसी तरह से जो चीनी के मिल हैं उनमें भी जलाने की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। पिछले दिनों जब कि कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स ने गवर्नमेंट को लिखा कि वहां मिलों को लकड़ी देने की आवश्यकता है तो इस प्रकार सरकार ने चार हजार चार सौ बावन वैगन लोड लकड़ी चीनी मिलों को सप्लाई करने का आदेश दिया और वह सप्लाई की गयी। तो इस तरह से हमारे प्रदेश में जो कार्य चल रहे हैं उनके लिये जरूरी है कि उन कार्यों के सुचारु रूप से चलाने के लिये ईंधन पर कंट्रोल कायम रखा जाय जिससे कि हमारे प्रदेश के उन शहरों में अच्छी तरह से काम चलता रहे। इसी सिलसिले में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के बुन्देलखंड, सहारनपुर, रामनगर, बांदा, हल्द्वानी जो फारेस्ट डिवीजन्स हैं उनसे कंट्रोल उठा दिया गया है। सिर्फ लैंसडाउन और देहरादून फारेस्ट डिवीजनों में पार्शियल कन्ट्रोल है और बाकी डिवीजनों में अभी तक कंट्रोल चल रहा है। वन सम्पत्ति पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। बन जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है वह कहीं खराब न हो जाय, उसके संरक्षण के लिए यह आवश्यकता है। इस लिए यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है और मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को शीघ्र ही पारित करने की कृपा करेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं कि इस विधेयक का विरोध करूं। पहली बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने माननीय आर्य जी ने जो बातें रखी हैं उन पर व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करने में कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब लकड़ी और ईंट के सिलसिले में बगैर कंट्रोल के लोगों को यह सामान नहीं मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार कंट्रोल से मुहब्बत रखने वाली सरकार

[श्री गेंदासिंह]

है। गांधी जी के कहने के बाद भी, यह सरकार मुहब्बत रखती थी कि वह कंट्रोल अपने यहां जारी रखे, जब सारे देश में अन्न का नियंत्रण खत्म हो गया उस वक्त भी उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती थी कि नियंत्रण को जारी रखना चाहिये। बिलकुल उसी तरह से उसको मोह है कि नियंत्रण अवश्य किसी न किसी प्रकार का रहना चाहिये। नियंत्रण की बीमारी से सफर करती है उत्तर प्रदेश की सरकार। बजाय इसके कि वह नियंत्रण करे वह इन चीजों के अभाव को दूर करने के लिये कोई चेष्टा नहीं करती। इट अधिक तयार करायी जायं, बाजार में इतनी ईंटें तैयार हो जायं कि जिससे कि उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता न पड़े। लकड़ी इतनी मिले या लकड़ी के स्थान पर कोई ऐसे साधन उसके लिये ईजाद किये जायं, उनकी खोज की जाय जिससे कि हमको वनों को काटने की आवश्यकता न पड़े जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य में भी लिखा गया है कि वनों की रक्षा के हेतु भी है जिसको सरकार करने में असमर्थ रही है। यह काम न करके सरकार करती है कुछ और दूसरी तरह से। मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने जो यह उद्देश्य लिखा है उसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर के यह विधेयक उसने यहां प्रस्तुत किया। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो सरकार स्वयं समझती हो और उसको समझाने की आवश्यकता वह सदन को न समझती हो और न देश को उसको समझाने की आवश्यकता मालूम होती हो। तो मैं इस दृष्टि को ध्यान में रख कर के इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

सन् ४७ में जब यह विधेयक आया था उस समय बहुत स्पष्ट कहा गया था कि थोड़े दिनों के लिये हम ऐसा कानून बना रहे हैं। सन् ४७ के बाद हमने सन् ५३ में इसकी जरूरत फिर समझी कि आगे चलना चाहिए और अब हम आज भी जरूरत समझते हैं कि इसको ५८ तक चलने दें। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिये क्या-क्या किया ? कितनी ईंटें तैयार करवाईं। सारे सूबे में और क्या जितनी ईंटें तैयार कराईं उससे ज्यादा ईंटें तैयार नहीं हो सकती थीं। जिस सूबे में कि करोड़ों की तादाद में लोग बेकार पड़े हों, सरकारी कागज पर भले ही न हों, वहां क्या ईंटों का उद्योग सारे सूबे में खोल कर के और ईंटें तैयार करके इस नियंत्रण से छुट्टी नहीं पायी जा सकती ? इस बेकारी का हल अगर एक निकल सकता हो जो गांव की बेकारी है, ईंट तैयार करके अगर उसका हल हम निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं निकाला जाता है ? यानी नियंत्रण उपाध्यक्ष महोदय, किस वक्त जरूरी होता है ? नियंत्रण तो उस वक्त जरूरी होता है जब वस्तु का अभाव हो। सरकार स्वयं कहती है कि निजी तौर पर लोग खरीदने वाले बहुत हो गये हैं। उसी के साथ-साथ यह भी वह कहते हैं कि नियोजन में भी बहुत सी ईंटों की जरूरत है। तो यह सिद्ध है कि इसमें कोई दलील दूसरी नहीं दी जा सकती है। सरकार के पास मुझे आशा है कि ईंटों के खरीदारों की कमी नहीं है। तो सरकार यह अपना कर्तव्य क्यों नहीं समझती है कि जब देश में लाखों आदमी बेकार हैं, भूखे हैं, इसमें कोई टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, ईंट पाथने में, इसमें उन लाखों आदमियों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है और फिर हम ईंट इतनी तैयार कर सकते हैं कि जिसको तैयार करने के बाद फिर हमको नियंत्रण करने की आवश्यकता न पड़े। क्या उत्तर है सरकार के पास इसका ? हमारी कोआपरेटिक्स जो हैं वे भट्ठे चला रही हैं। कोआपरेटिव के नाम से खाद्यमंत्री जी को कुछ नफरत है। बदकिस्मती हमारी यह है कि हमारी बातों को सुनने के लिये माननीय खाद्यमंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। हम छोटा शिव, बड़ा शिव सब को समान समझते हैं, लेकिन आर्य जी के सामने मुझे यह कहने में कुछ आनन्द नहीं आता। माननीय गुप्ता जी होते तो फिर नाराज होकर, चिढ़ कर, प्रसन्न होकर ऐसी बातें कहते जिनको सुनने में आनन्द आता। मुझे खास तौर से कहना है कि मंत्री जी को कोआपरेटिव पसन्द नहीं है और मैं यह कहूं कि नियंत्रण के मोह में वह हमारी बेरोजगारी को सारे सूबे में कायम

रखना चाहते हैं। मैं तो सीधे-सीधे कह रहा हूं कि आखिर यहां किस चीज की कमी है, ईंट बनाने में? हाथ की कमी नहीं, लकड़ी यहां मौजूद, गुण की कमी नहीं है। ईंट की मिट्टी गीली करने में और उसको फिर से सांचे में ढालने में कौन से गुण की जरूरत है? यह तो हर आदमी कर सकता है, तो वह आदमी मौजूद। फिर दूसरी तरफ, हां एक चीज की जरूरत पड़ सकती है—उसको पकाने की। कोयले की आवश्यकता पड़ सकती है। जितनी उसकी आवश्यकता है उससे हम उसको बढ़ा देते हैं। तो हमारे सामने तो यह कहा भी नहीं गया है कि कोयले को कंट्रोल करने के लिये यह विधेयक है। हमारे सामने तो ईंट कंट्रोल करने के लिए विधेयक आया है, उसी की व्यवस्था की जा सकती है और उसकी व्यवस्था करके सारे देश में ईंट की कमी को दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे इस मत से माननीय आर्य जी भी इत्तफाक करते होंगे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वही इस बिल को पायलट कर रहे हैं, इसलिये वह इसका विरोध करेंगे।

मैं ईंधन के बारे में भी निवेदन करूंगा कि उसके संबंध में उसके स्थान पर किसी दूसरी चीजों का उपयोग करना भी सोचा जाय। वन की रक्षा करने की सरकार की इच्छा है, लेकिन हो कैसे सकता है? उसके लिए जब तक कि हम लोगों को खाना बनाने के लिये या जो आवश्यकता उनको पड़ती है उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज मुहय्या करने की कोशिश न करें, उसकी आदत न डालें तब तक कैसे काम चल सकता है? लकड़ी के कंट्रोल में, मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पर कठिनाई हो सकती है और उसको दूर करने के लिये कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि इस सरकार का ट्रांसपोर्ट पर क्या कंट्रोल है? अगर देहरादून के जंगल से, सहारनपुर के जंगल से मेरठ को लकड़ी भेजनी हो और कोई इंडिविजुवल ठेकेदार न हो तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि उस लकड़ी का पहुंचना, क्योंकि रेलों के द्वारा वह लकड़ी पहुंचनी है, वह सम्भव नहीं है। मैं थोड़ा इस ओर भी ध्यान दिलाऊं कि कोआपरेटिव्ज अगर यह भार लिये हुए हैं कि हम लकड़ी मुहइय्या करेंगे किसी शहर में, मुझे जाती तौर पर इसका ज्ञान है कि लकड़ी मौजूद है, उसके बावजूद भी जो दूसरे इंडिविजुवल लकड़ी से लाभ उठाने वाले लोग हैं, जिन लोगों को कंट्रोल की लकड़ी न पहुंचने के बदले कुछ अनुचित लाभ उठाने की आदत है, वह इस बात की कुव्यवस्था करते हैं, व्यवस्था तो इसको कहा नहीं जा सकता, वह इस बात की साजिश करते हैं कि सहारनपुर के जंगल से लकड़ी मेरठ में न पहुंचने पावे। क्योंकि अगर मेरठ में वह लकड़ी पहुंच जायगी तो उनका काम बिगड़ जायगा। तो कंट्रोल करने से क्या लाभ? मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसी कोआपरेटिव्स हैं जिनको इस बात की शिकायत हुई है कि बिना रिश्वत वगैरह दिये रेलवे वैगन्स नहीं मिलते जिसकी वजह से लकड़ी नहीं पहुंचती। मैं मानता हूं कि रेलवे इस सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं है। लेकिन इसके लिये आपने कुछ सोचा, अगर इसके लिये कुछ नहीं सोचा तो इस विधेयक को हमारे सामने लाने का मतलब यह हुआ कि सिर्फ ऊपर से सरकार सफेदी करना चाहती है, दीवाल तो भीतर खंडहर है। हम तो बिल्कुल मेरठ वालों को लकड़ी पहुंचाना चाहते हैं। सरकार यह भी कह सकती है कि यह मेरठ वालों को लकड़ी पहुंचाने का विरोध कर रहा है। मेरा इत्तफाक से देवरिया का भी तजुर्बा है। इसमें सन्देह नहीं कि कंट्रोल की लकड़ी सस्ते दामों पर मिली लेकिन लकड़ी लाने में जो उनको भुगतना पड़ा उसके लिये सरकार के पास कोई इलाज नहीं है।

मैं जानता नहीं कि यह जो विधेयक हमारे सामने है इसका सम्बन्ध कुछ एसेन्शल सप्लाईज से भी है या नहीं। लेकिन इसमें मैंने देखा कि सीमेंट भी लिखा

[श्री गेंदा सिंह]

हुआ है। तो सीमेंट के सिलसिले में मैं जरा सा निवेदन कर दूं तो अच्छा है। सीमेंट की बुरी हालत है। उसके भी खरीदार बहुत हैं। उन खरीदारों को सीमेंट किस तरह से मिलती है, जरूरत है कि इसकी इन्क्वायरी हो। मैं चुर्क सीमेंट फैक्टरी देख कर आ रहा हूं। पिछले एक महीने से वह फैक्ट्री कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है, लेकिन ९० हजार रुपये महीना हम खाली उसके ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स पर खर्च कर रहे हैं। कहां सात, साढ़े सात सौ टन सीमेंट रोजाना का प्रोडक्शन करना चाहते थे और कहां पिछले एक महीने से एक टन भी पैदा नहीं हुई। वे सिर्फ पत्थर को कूट कर रखते हैं। जब पूछा कि क्यों नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो जवाब मिला कि जिप्सम नहीं है। तो उत्पादन की हमारी यह हालत है। क्या सरकार की इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि वह जरूरत की चीजों का इन्तजाम करे? मैं कहना चाहूंगा और माननीय शिवनारायण जी जरा इसका उत्तर दें तो अच्छा होगा कि क्या ८ पैसे सेर से कम पर नमक उनको प्राप्त होता है। सारे जिलों में नमक पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहां है, कंट्रोल की अवस्था यह है कि कोई दूकानदार सिवाय कोआपरेटिव्स की कुछ दूकानों को छोड़कर यह समझता नहीं कि उसको ५–६ पैसे सेर नमक बेचना चाहिये। वह ८ पैसे सेर बेचता है। हमसे नमक के दाम ड्योढ़े वसूल किये जाते हैं। मैंने कई मर्तबा चर्चा की। मैं समझ नहीं पाता कि आप नमक के ऊपर क्यों कंट्रोल लगाये रखना चाहते हैं और पांच-छः पैसों के बजाय ८ पैसे सेर के हिसाब से खिलायेंगे, जब कि आज समूचे देश में कंट्रोल हट गया है फिर क्यों आप इस पर रखना चाहते हैं और इस पर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। खाद्य मंत्री जी कितना अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं इसको भगवान ही जाने। मैं समझता हूं कि उनका न तो अपने ऊपर ही कंट्रोल है और न अपने विभाग के ऊपर ही कंट्रोल है और इसका कुपरिणाम हम लोग भोग रहे हैं कि जिस भाव पर हमें नमक मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है, सीमेंट जिस भाव पर मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही है और ईंट भी जिस भाव पर सरकार बिकवाना चाहती है उस पर ईंट नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि गुप्ता जी को जानकारी है क्योंकि वह सारे सूबे में घूमते हैं। हमारी यह बदकिस्मती है कि वह यहां इस समय नहीं हैं। वह बतलायें कि ईंट किस भाव पर वह दिलवा रहे हैं, कितनी पैदा कराना चाहते हैं, यह सारी चीजें मैं उनसे जानना चाहता हूं। इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अगर मुझे समझाने की कोशिश की गई होती तो मैं विरोध न करता। जो लोग ईंट बनाने के लिये, कुआं बनाने के लिये, मकान बनाने के लिये काम करते हैं तो मैं इसका विरोध करना नहीं चाहता हूं। सरकार इस प्रकार से ईंटा बनाने नहीं देना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने नियम बना रखा है कि अगर कोई कुएं के लिये या मकान बनाने के लिये ईंट बनायेगा तो उसे २० रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अभी कुछ भाई कह रहे हैं कि यह टैक्स नहीं लगता है। मुमकिन है कि कुछ जिलों में अन्तर हो। हमें कुछ जिलों की जानकारी है। अगर कुआं खोदने के लिये गरीब आदमी यानी साधू लोग जो भीख मांग कर भट्ठा लगा लें तो उस पर भी नोटिस जारी होता है। यह बात दूसरी है कि वह दरख्वास्त दे और उस पर से उसको छूट हो जाय और उससे कह दिया जाय कि तुमसे नहीं लिया जायगा। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार स्केरसिटी की इकोनोमी को क्यों बनाये रखना चाहती है। अगर वह चाहते हैं कि ईंट बनाई जाय तो मैं कहूंगा कि वह मंत्री जी को सलाह दें और इस प्रकार के आदेश जाने चाहिये कि जो भी कुआं बनाने के लिये या मकान बनाने के लिये ईंट तैयार कर रहा है, उसके ऊपर नोटिसबाजी नहीं होनी चाहिये। हां, यह बात ठीक है अगर कोई तिजारत के लिये ईंट बनाता है तो उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड २, ४, १० रुपये ले ले। और सरकार कानून क्यों नहीं बनाती कि ऐसे ईंट बनाने वालों को कोई रुकावट नहीं होगी और

न कोई दिक्कत होगी। खाद्य मंत्री जी को नियंत्रण से मोह है और जैसा मैंने सुझाव दिया ईंटों की कमी इस प्रकार दूर की जा सकती है। मगर इसकी व्यवस्था की जाय तो इसको यहां लाने की जरूरत नहीं है।

मैंने इस सिलसिले में नमक और सीमेंट की भी चर्चा की है। मैं अब अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कह दूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये। सीमेंट के बटवारे में इस कदर धांधली है कि एक आदमी १० आदमियों की सीमेंट ले जाता है और दूसरे आदमी को जिसको अपने लिये जरूरत है अपनी जरूरत भर की भी नहीं पाता। एक प्रोसीज्योर गलती है। आप सोचिये कि एक आदमी एक बोरी सीमेंट लेने के लिये ५० मील चल कर आता है और एस० डी० ओ० से एक बोरी सीमेंट की मांग करता है। उसका कितना समय और रुपया बर्बाद होता है। उसे कई बार मरम्मत के लिये जरूरी होते हुए भी सीमेंट नहीं मिलती। तो इस बटवारे के तौर-तरीके में बड़ी इस बात की जरूरत है कि उस पर विचार किया जाय। जो लोग दूर गांव में रहने वाले हैं उनको मकानों, कुओं और नालियों की मरम्मत के लिये सीमेंट की जरूरत है। उनको सीमेंट ऐसे मौके से मिल जानी चाहिये कि उनका पैसा और समय बर्बाद न हो। इसी तरह से मैं नमक के बारे में कहता हूं कि सरकार उस पर से कंट्रोल उठा ले। अगर वह कंट्रोल उठा लेगी तो नमक आज से कम कीमत पर मिलेगा। सरकार कुछ जिलों में इसका एक्सपेरीमेंट करे और वाच करे कि नमक की कीमत कम हुई है या नहीं। अगर कम कीमत पर नमक वहां मिल रहा है तो क्यों न सारे प्रान्त में नमक पर से कंट्रोल उठा लिया जाय? मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरह का एक्सपेरीमेंट करके सारे प्रान्त से नमक से कंट्रोल उठा लेना चाहिये।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं सीमेंट के बारे में हालांकि उससे अधिक संबंध नहीं है। लेकिन मैं दो दिन खर्च करके चुर्क गया था। मैंने देखा कि वह हमारी एक नाक कटाने वाली जगह हो रही है। बड़ी भारी शाजिश है कि वह जनता की फैक्ट्री है, जनता के पैसे से बनी है, लेकिन आज वहां की यह अवस्था है कि अगर अगले साल दो साल में हमने होशियारी से काम न लिया और छानबीन न की कि कैसे प्रोडेक्शन घटा, कैसे वहां धन का दुरुपयोग होता है तो वह बैठ जायगी और अगर यह फैक्ट्री बैठ गयी तो उसका कुपरिणाम यह होने वाला है कि जो हम आज सारे देश में सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं और जो हम यह सोचते हैं कि हम समाज के हाथ में, सरकार के हाथ में लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चलायेंगे उसमें हमारी नाक कटेगी और जनता का विश्वास उसमें से हट जायगा और अगर जनता का उसमें से विश्वास हटा तो हमारा बहुत अहित होने वाला है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस सीमेंट का ईंट से बहुत अधिक सम्बन्ध है, सीमेंट के बिना ईंट जुड़ नहीं सकती और हमारे खाद्य मंत्री जी में एक बड़ा सीमेंटिंग फोर्स है, उनमें सिविल सप्लाई और इंडस्ट्री दोनों जुड़े हुए हैं तो इसलिये वह कम से कम चुर्क की सीमेंट को और हमारे गांव में पैदा होने वाले ईंटों को जुड़वाने का बन्दोबस्त करें। चुर्क में ईंट खिसक रही है। वहां मिनिस्टर साहब को फौरन जाना चाहिये और सिर्फ कुछ बड़े अफसरों से बात नहीं करनी चाहिये, बल्कि बात करनी चाहिये वहां के और कार्यकर्त्ताओं से भी, जो कि उसके दोस्त हैं और उनसे बात करके देखें कि उनकी आज क्या दुर्दशा हो रही है? कैसे वह पनप सकती है? तो इन बातों को कहते हुए मैं फिर यह कह देना चाहता हूं कि आर्य जी इस विधेयक को वापस ले लें। अगर उनको दिक्कत हो अपने मित्र से बगैर पूछे हुए बात करने में तो आज तो ५ बजने वाले हैं फिर इस पर विचार करेंगे। लेकिन एक बात वह सोंचें कि किसी भी हालत में २ वर्ष के लिये

[श्री गेंदासिंह]

इस अख्तियार को लेने की कतई भी जरूरत नहीं है। अगर वह ऐसा मानते हैं कि इसको लिये बगैर किसी भी हालत में हमारा काम नहीं चल सकता है, हमारा काम बिगड़ जायगा तो वह इसको १ साल के लिये लें। अगले वर्ष हम फिर बैठेंगे और अगर उसके बाद फिर भी उनको आवश्यकता रही तो समय और बढ़ा देंगे। मैं समझता हूं कि ईंट की तरफ जैसा मैंने उनका ध्यान दिलाया है वह जरूर पूरा हो जायगा और वह उसको देखेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री फतेहसिंह राणा जी से सलाह इसमें लें कि हमारे देश की जो कोआपरेटिव हैं वह ईंटों की कमी को दूर कर सकती हैं या नहीं। अगर वह ईंटों की कमी को दूर कर सकती हैं तो फिर इस नियंत्रण की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि उनसे ईंटों की कमी दूर की जा सकती है। उसमें लाखों आदमियों को रोजी दी जा सकती है जो आज हमारे प्रदेश में बेकार हैं और भूखे मर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। बहुत सी बातों को कहने में संकोच होने लगता है। आज भी हमारे देश में ४ आना, ५ आना, ६ आना मजदूरी पर, सरकार के टेस्ट वर्क पर हजारों आदमी मेहनत कर रहे हैं। मैं बता सकता हूं कि हजारों लोग इसमें आज भी लगे हैं। मेरे घर के पास ही जब कि २, ३ दिन पहले जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा कि हजारों औरतें और बच्चे ४, ५ और ६ आने मजदूरी पर टेस्ट वर्क का काम कर रहे हैं। उनके लिये ईंटों का काम दिया जा सकता है और उनको रोजी मिल सकती है। ईंटों के काम को करा कर इस अभाव को दूर किया जा सकता है। इस दृष्टि से मैंने इस विधेयक का विरोध किया है। जैसा कि मेरा विश्वास है और उनका भी विश्वास है इस विधेयक के लिये एक वर्ष से अधिक के लिये मौका न दिया जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)— माननीय विरोधी दल के नेता का भाषण मैंने सुना और मैं यह संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधीदल कुछ विषय के बाहर चले गये। जहां तक ईंटों की कमी का सम्बन्ध है कि किस तरीके से ईंटों के उत्पादन को बढ़ाया जाय उसके लिये जो उन्होंने सुझाव दिये उनका मैं स्वागत करता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने माकूल बात कही। ईंटों की कमी को दूर करने के लिये जो तरीके और सुझाव बतलाये वह सही हैं। माननीय गेंदा सिंह जी जानते हैं कि कोआपरेटिव के जरिये से ईंटों के भट्ठे चल रहे हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं जिससे मैं यह बता सकता कि इन कोआपरेटिव के जरिये कितनी ईंटों का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन मैं अपने जिले की बात बता सकता हूं कि कोआपरेटिव के जरिये से उस संख्या में ड़योढ़ी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से उनका कहना भी है कि ईंटों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और ईंटों की संख्या और भी अभी बढ़ायी जा सकती है। लेकिन मुझे एक बात जरूर लगती है कि ईंटों की मांग इतनी ज्यादा है, क्योंकि निर्माण का काम भी साथ-साथ चल रहा है और जनता में भी मकानों के निर्माण का काम ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुये यह मानना पड़ेगा कि ईंटों की संख्या कम है और जब कि कमी रहती है तब कंट्रोल की आवश्यकता भी रहती है। आपका भी यह सुझाव है कि अमुक तरीके से ईंटे बनाई जायं। उससे यह साबित होता है कि ईंटों की कमी है और जब कमी है तो जिन आधार पर पहले से कंट्रोल चला आ रहा है वह आधार अभी मौजूद है और ईंटों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है तो फिर इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि इस विधेयक के लिये कंट्रोल का समय बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से इसका समय बढ़ाने के लिये यह विधेयक आया है अतः उसका मैं समर्थन करता हूं। आपने भी एक साल का समय बढ़ाने की बात कही है। आपने नमक की बात कही। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है,हमारी प्रादेशिक सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—पूछ लीजिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र—पूछ लिया है और आपकी जानकारी हमसे अधिक हो सकती है क्योंकि आपने अधिक अध्ययन किया है।

आपने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री ठीक ढंग से नहीं चल रही है और वह एक या दो साल बाद बैठ जायगी। लेकिन उसके कारणों पर आपने प्रकाश नहीं डाला कि सही कारण क्या हैं? उनका लक्ष्य शायद वहां की व्यवस्था के सम्बन्ध से है। सीमेंट फैक्ट्री का हमारा एक नया अनुभव है। हमारी सरकार कोई बनिया या व्यावसायिक सरकार नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री हमारा पहला ही उद्योग है। श्री गेंदासिंह जी मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि वह सीमेंट फैक्ट्री मेरे क्षेत्र में है और कोई महीना या पक्ष नहीं बीतता कि मैं वहां नहीं जाता हूं। गेंदासिंह जी तो शायद पहले ही पहल गये हैं। जो कमियां होती हैं वहां, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूं। मगर एक बात है जिसके कारण सीमेंट फैक्ट्री को बड़ा धक्का लग रहा है। वह यह है कि हमारे इन लाल टोपी वाले बन्धुओं की कृपा से सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में घुन लग गया है। बिहार से सीमेंट फैक्ट्री के मालिकों के लाल टोपीवाले एजेन्ट बन कर आते हैं और हमारी फैक्ट्री के मजदूरों को गुमराह करते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं। वहां आकर, यूनियन बना कर, मजदूरों को बहकाने वाली बातें कह कर उन्हें बहकाते हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारी आमदनी सौ से हजार और हजार से लाख हो और ऐसी बातें कह कर ही बिहार वाले हमारे मजदूरों को बहकाते हैं। यह प्रलोभन मजदूरों पर काम कर जाता है। वे लोग जो अच्छी बातें वहां मजदूरों के लिये की गई हैं उनका तो जिक्र मजदूरों से करते नहीं हैं लेकिन जो बातें नहीं हुई हैं उनका जिक्र करके उन्हें भड़काते हैं। मैं अनुभव और जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि इन्हीं बन्धुओं की कृपा से हमारी सीमेन्ट फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है। मैं कोई प्रान्तीयता की बात नहीं कहता लेकिन बिहार वालों को क्या जरूरत है कि हमारे प्रदेश में आकर यह भड़काने वाली बातें करें। गेंदासिंह जी वहां जावें तो ठीक है। मैं अपनी फैक्ट्री को सुचारु रूप से चलाने के लिये कह रहा हूं। गेंदासिंह जी वहां पहले पहल गये हैं और उन्हें अधिक जाना चाहिये। मैं उनका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन बिहार की सीमेन्ट फैक्ट्री के मालिकों की जीप और कार लेकर ये लाल टोपी वाले लोग हमारे प्रदेश में आते हैं। हमारी फैक्ट्री के लोगों ने जो ५ तारीख को स्ट्राइक करने की नोटिस दे रखी थी वह इस्ट्राइक नहीं हुई, यह खुशी की बात है। इसके लिये मैंने पहले ही जाकर व्यवस्था की थी। गेंदासिंह भी वहां गये थे, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि मैं रात के ११ बजे पहुंचा था। उसके पहले २ जनवरी को भी मैं गया था और काफी मजदूरों को हड़ताल के विरुद्ध तैयार कर लिया था जो फैक्ट्री चालू रक्खे रहने को कटिबद्ध थे और मुझे खुशी हुई कि गेंदासिंह जी ने भी हड़ताल न होने देने में मदद दी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह एक महीने में कम से कम एक बार अवश्य वहां आया करें और जितनी कमियां वह बतलावेंगे हम उनको दूर करने के लिये तैयार हैं। लेकिन केवल एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि हड़ताल की धमकी जो हर वक्त रहती है और वह स्ट्राइक की बात जो किया करते हैं उसको वे खत्म करें और मेहरबानी करके कम से कम २ साल के लिए ऐसी इच्छा न करें। अगर वह सीमेंट फैक्टरी को चलाना चाहते हैं तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं और अगर वह सचमुच ही चलाना चाहते हैं और उनको उसे बैठाना मंजूर नहीं है तो वह उसको ठीक से चलने दें और हड़ताल की धमकी की बात कभी न आने दें और वहां इस राजनीति का अखाड़ा न बनावें और अगर मैं सही बात करूं तो वहां के मजदूर आज कामचोरी करते हैं, क्योंकि हर वक्त उनके दिमाग को बिगाड़ा जाता है। इसलिये जो सीमेंट फैक्टरी

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

के हालात को जानता है वह यही कहेगा कि वहां अगर मैनेजमेंट की कोई गलती है तो उससे कहीं ज्यादा कसूर वहां के लाल टोपी वाले पार्टी के संगठनकर्ताओं का है। अब मैं उस सीमेंट फैक्टरी की अप्रासंगिक बात को छोड़ कर, बिल पर आता हूं, यह तो चूंकि जिक्र आ गया इसलिए मैंने वहां की बात भी स्पष्ट कर दी। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह बहुत सीधा सा बिल है और सबको मालूम है कि अभी तक हमारे यहां ईंटों की कमी है और आज हमें चूंकि भारत सरकार से कोयला मिलता है जिससे ईंट पकायी जाती है अतः उसमें हम स्वतन्त्र नहीं हैं। हमारी कोयले की मिकदार मुकर्रर है। अगर वह हमें जितनी तादाद में हम चाहें मिल सकता तो हम ईंट मनचाही क्वान्टिटी में बना सकते थे लेकिन अब चूंकि कोयले की कमी है इसलिए वह एक बाधा है जिसकी वजह से कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर हम कंट्रोल नहीं रखते तो ईंट की महंगाई हो सकती है और निर्माण कार्य में बाधा हो सकती है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है। अब रहा लकड़ी का कंट्रोल जो जलाने की है, उसका नियंत्रण केवल ५ शहरों में रह गया है, उसकी आवश्यकता के विषय में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वहां के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं लेकिन अगर सरकार मुनासिब समझती है तो इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस छोटे से बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि हमारे देश में और प्रदेश में इस समय पंचवर्षीय योजना चल रही है इसलिए ऐसे समय में हमारे लिए ईंट और लकड़ी पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि जो घर-घर, गली-गली और कोने-कोने में आज ईंटों की जरूरत है, पक्की नालियों के लिये, कुओं के लिये, नहरों के लिये और नाना प्रकार की सरकारी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से आज सरकार को ईंट का नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वह आज कंट्रोल न करे तो जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि आज जिस तरह नमक दो आना सेर बिक रहा है, मैं उन से एग्री करता हूं और उनकी बात ठीक है। इन तमाम कठिनाइयों को देख कर हमने इस बात की पुष्टि की है कि नियंत्रण इन चीजों पर रहना चाहिये। आज २४ रुपया हजार ईंट बाजार में मिल रही है लेकिन अगर कंट्रोल उठा दिया जाय तो वही ५० या ४५ रुपया हजार से कम पर न बिकेगी। जो भट्ठों के मालिक हैं वे बड़े लोग हैं वह जरूर ईंट का भाव बढ़ा देंगे यह खतरा बराबर है। आज कोआपरेटिव वाले भी ईंट बना रहे हैं और प्राइवेट भट्ठे भी बना रहे हैं और फिर भी ईंट की कमी है। इसका कारण केवल कोयले की कमी है और उसका कंट्रोल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और जितनी हमारी जरूरत है वह पूरी नहीं करती, ऐसी हालत में कंट्रोल जरूरी है। दूसरे हमारे पास वैगनों की कमी है, सौ की जगह २५ का परमिट मिलता है और इस तरह से फिर ७५ की कमी रह जाती है और अगर इस तरह से ७५ की कमी हो जायगी तो ७५ लाख ईंट की भी कमी हो जाती है। ईंट कच्ची बन जाती है, लेकिन फूकने का साधन नहीं है तो उसमें सरकार या कोई क्या कर सकता है? इसलिये इस समय कंट्रोल की आवश्यकता है। जहां-जहां हमारी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट आदि चल रही हैं सब जगह ईंट की जरूरत है, सब जगह सड़क के काम हो रहे हैं, म्यूनिसिपलिटीज की नालियां बन रही हैं। ईंटें सड़कों पर लगा कर मिट्टी छोड़ी जा रही है और सीमेंट डालने की वहां पर कोशिश की जा रही है। इसलिये गवर्नमेंट का ईट पर कंट्रोल करना आवश्यक है।

लकड़ी की बात कही गई। लकड़ी पर भी कंट्रोल की जरूरत है। मिलों में हमें गन्ना पेरवाना है तो आज कोयले की शार्टेज है गन्ने से जो शुगर बनाते हैं, उसको पकाना पड़ता है उसके लिये लकड़ी की जरूरत है। पांच शहरों में आज भी लकड़ी का कंट्रोल है। मैं तो इलाहाबाद के लिये भी कंट्रोल चाहता था, लेकिन पांच जिलों में कंट्रोल है लखनऊ और मेरठ वगैरह में जहां लकड़ी की कमी है, वहां पर कंट्रोल है। तमाम जंगलात काट डाले गये हैं जिसकी वजह से कंट्रोल करना पड़ता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही लिया जाय। अगर लकड़ी पर कंट्रोल न कर लिया जाय तो विरोधी दल के लोग भी और हम लोग भी चिल्लाते हैं कि जो जमींदार थे उन्होंने सब बाग बगीचे और जंगल काट डाले हैं। मनमाने तरीके से जंगल नहीं काटे जायेंगे अगर कंट्रोल रहेगा, तो जितनी जरूरत होगी उतनी ही सरकार देगी अगर कंट्रोल रहेगा।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गेहूं पर कंट्रोल नहीं है, क्या नतीजा है? मार्च के महीने में चार सेर का गेहूं बाजार में बिकता था और आज ढाई सेर का बिक रहा है। होटलवाले, बाजारवाले जिसे देखिये वही कहता है कि ढाई सेर का बिकता है और परेशान है। जो गल्ला गरीब किसानों से चार सेर का खरीद कर रख लिया गया था आज ढाई सेर का बेंचा जा रहा है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता तो चार सेर का बेंचना पड़ता। आज कंट्रोल नहीं है लोग मनमानी कर रहे हैं। कंट्रोल की डिग्निटी को, उसके महत्व को हमारे देश के लोग कम समझते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फारेन कंट्रीज में, इंग्लैन्ड वगैरह में कंट्रोल है? वहां शुगर पर कंट्रोल है, दूध पर कंट्रोल है, कपड़े पर कंट्रोल है लेकिन क्या कारण है कि वहां लोगों को परेशानी नहीं है, वहां का हर आदमी समझता है कि कंट्रोल क्या चीज है और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं। एक अमेरिकन थे वह फर्स्ट क्लास में ट्रेविल कर रहे थे उन्होंने एक सज्जन से वहीं कहा कि "वी अमेरिकन्स डू नाट क्रिटिसाइज अवर गवर्नमेंट लाइक यू इंडियन्स"। यह फारेनर का कहना था और हमारे देश वाले गाली गुप्ता और जाने क्या-क्या कहते हैं? यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सारी जनता की बनाई हुई गवर्नमेंट है। माननीय गेंदासिंह जी की बनाई हुई गवर्नमेंट है, हमारी बनाई हुई है और सभी की बनाई हुई है। हमें इसकी रेस्पेक्ट इसका आनर समझना है। कंट्रोल एक सीमा तक होना चाहिये। यह नहीं कि सारा बाजार खोल दीजिये ताकि अजीर्ण हो जाय और फिर नाना प्रकार के ऐपेडेमिक फैल जायं जिनकी वजह से तमाम आदमियों को नुकसान हो। आज हम देश का निर्माण कर रहे हैं हमें सभी चीजों पर निगरानी रखनी है। नमक की बात कही गई। नमक का कई जिलों में कंट्रोल है और कई जिलों में नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि दो आने सेर बिक रहा है। मैं कहता हूं कि आज हाय-हाय तो नहीं मची हुई है। क्यों दो रुपये सेर, २० आने सेर नमक नहीं बिक रहा है, इसलिये कि कंट्रोल है। मैंने स्वयं गवर्नमेंट से कहा कि कहीं-कहीं पर चार आने सेर तक नमक बिक रहा है। लेकिन गवर्नमेंट उसको देखेगी। माननीय गेंदा सिंह जी ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात कही।

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ जनवरी, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

हवालातियों की सूची जो जिला कारागार में जून १९५५ से १०-११-५५ मा० दं० विधान की धारा १०९ के अनुसार जेल में बन्द थे ।
विचाराधीन

क्रम संख्या	नाम	जेल में भरती होने की तारीख
१	विक्रम	५-९-५५
२	बासदेव	१४-९-५५
३	जुनई	२६-१०-५५
४	रामनारायण	२७-९-५५
५	विश्राम	२-११-५५
६	सलीम	९-१०-५५
७	अमीन	९-१०-५५
८	मिन्नू	२७-६-५५
९	जगदीश	२७-६-५५
१०	गोबरी	१६-९-५५
११	गोकुल	१६-९-५५
१२	बलराम	१६-९-५५
१३	कालू	१७-१०-५५
१४	मरछू	१०-१०-५५
१५	श्रीपति	१९-१०-५५
१६	राम जतन	६-११-५५
१७	झंझंट	१-७-५५
१८	हम्माद	५-७-५५
१९	बंशराज	१८-७-५५
२०	ऐनुल	२३-७-५५
२१	रामसेवक	२१-८-५५
२२	छांगुर	२५-८-५५
२३	जगन्नाथ	१८-९-५५
२४	बशीर	२६-९-५५
२५	जगन्नाथ	२६-९-५५
२६	लुटावन	१-१०-५५
२७	सत्यनारायण	१२-१०-५५
२८	शिव प्रसाद	१२-१०-५५
२९	मुरली	१७-१०-५५
३०	महेश	३०-१०-५५
३१	बाबूलाल	८-११-५५

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

1. NAME OF THE SCHEME—

Scheme for the investigation of deep water Paddies in U. P. and extension of acreage under them.

LOCATION—

(i) in Surha tal area, Distirct Ballia.

(ii) in Bela tal, District Hamirpur (Bundelkhand)

OBJECTIVE

Uttar Pradesh has vast areas covered with *Jils,Tals,Thanks.* These are mostly scattered in the eastern parts of the state. Quite a few of them however, are found in Bundelkhand. These areas generally get inundated in the monsoon season. The presence of flood water, in these low lying areas, for a long period in rainy season does not permit any effective utilization of these vast tracts for the purpose of flood production. In some selected areas, however, e. g. Surha Tal in Ballia district the cultivators grow some specialized flood resistant paddy varieties. The growing plants of deep water paddy varieties keep on elongating there stems with the rise of water in the *Tals* and give a succersfully yield of paddy. The upland paddy varieties if grown in such areas and conditions, would get flooded and fail to give any yield of grain.

The effective utilization of these vast stretches of land under *Jhils*, *Tals*, and *tanks* for growing suitable varieties of deep water paddy would go a long way in increasing the over-all rice production in the State each year. With this object in view, the State Government sanctioned a small pilot scheme, in 1952 to explore the possibilities of growing deep water paddies in some selected centres as well as extension of annual cultivated acreage under them. Some experiments were conducted in Surha Tal (Ballia district) for the systematic cultivation of deep water paddies. Various deep water paddy varieties were collected and tried. From these experiments it has been found that each deep water paddy variety has a optimum depth of standing water in which it can grow best. Two of the popular varieties 'Kalangi' and 'Kariawa' were tried in some districts. e.g., Mirzapur, Ghazipur, and Jaunpur, with successful results.

In the year 1953, preliminary experiments, which were a part of the above scheme, were conducted in Bundelkhand, for the purpose of trial and extension of deep water paddies in that region. These experiments have given some encouraging results, and it is proposed to extend this work from next year onwards. The provision of very limited staff i.e., one Kamdar only, as provided in the present scheme, puts very severe limitations in taking up systematic work.

An elaborate scheme for the breeding of flood resistant paddi in U. P. was submitted to the I. C. A. R. and was sanctioned by them in the year 1952 on 50:50 basis. The State Government, on account of the present financial stringency, have not given their approval to take up the work of this scheme. It is, therefore, proposed that the State Government may be pleased to include this important scheme in the State's next Five-Year Plan. This would go a long way in improving the backward agricultural economy of the eastern district as well as Bundelkhand and will give an added impetus to the over-all production in the State.

3. *Work already done in India, etc.*—Considerable research work has been done and is in progress in Bengal on the cultivation of flood resistant (deep water paddies) in that region and very interesting results of practical utility have been obtained in that State. No work has been done in U. P. so far on the systematic research work on all aspects of the cultivation of deep water paddies in suitable areas or the extension of acreage under these deep water paddies in suitable localities of which there is immense scope.

4. *Technique*—

(i) Systematic collection and detailed study of deep water paddy varieties in the State.

(ii) Introduction of suitable deep water paddies from other regions of India and Pakistan.

(iii) Trial of deep water paddies in *bundhis* in Bundelkhand.

(iv) Study of cultural practices, e.g. optimum time of sowing seed rat, manuring, rotations, etc.

(v) Extension of deep water paddies in both in Eastern Districts and Bundelkhand.

5. *Duration of the investigations.*—Five Years of the Second Five-Year Plan Period, i.e. from 1956-57 to 1960-61.

6. *Practical utility of the investigations.*—The investigations as outlined in the Scheme will enable us to culture deep water paddies in suitable areas more successfully than before. It will also enable us to extend the total area under the cultivation of deep water paddies both in East U. P., and in Bundelkhand and thereby boost up the over-all annual rice production in the State.

7. *Facilities available and/or that will be made available by the State Government.*—The State Government will provide higher technical supervisory staff as well as land and equipment. A provision of non-recurring expenditure of Rs.10,000 has been made for the purchase of land and other essential equipment required for starting the scheme.

8. *Recurring expenditure*	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	Total 1956—61
1	2	3	4	5	6	7
Pay of Staff—						
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. One Sr. Botanical Assistant, Gr. I (200—15—350) ..	2,400	2,580	2,760	2,940	3,120	13,800
2. One Field Asstt., Gr. III (75—5—120)	900	960	1,020	1,080	1,140	5,100
3. Two Clerks (60—3—90—4—110) ..	1,440	1,512	1,584	1,656	1,728	7,920
4. One Lit. Mate (32—1—37) ..	384	396	408	420	432	2,040
Dearness Allowance	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	7,800
Travelling Allowance	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
Contingencies ..	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
Total ..	11,684	12,008	12,332	12,656	12,980	61,660
			Rounded off	.. 62,000		

NOTE.—Contingencies include—

(*a*) Cultivation expenses,
(*b*) Office and Laboratory expenses,
(*c*) Petty construction and repairs to buildings,
(*d*) Purchase of repairs to and upkeep of dead stock and livestock.

	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
9. Receipts anticipated	2,000	3,000	3,000	4,000	4,000	16.000
10. Share of the I. C. A. R., 50 per cent of (recurring expenditure) ..	5,842	6,004	6,161	6,328	6,490	30,830
			Rounded off	..	31.000	

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

तालिका

क्रम संख्या	गैर सरकारी लोगों व फर्मों के नाम जिन पर रुपया बाकी है	धनराशि रु०	आ०	पा०
१	मैनेजर, सहकारी पय परिषद् लिमिटेड, कानपुर	१,५००	०	०
२	श्री पी० सी० अहूजा, कानपुर	५	१०	०
३	श्री प्रेमकृष्ण खन्ना, शाहजहांपुर	२०	०	०
४	श्री हरिकृष्ण, कानपुर	५७	८	०
५	श्री आर० एन० भाटिया, लखनऊ	६५	०	०
६	श्री दामा, कानपुर	१०	०	०
७	सेक्रेट्री, गंगा क्लब, कानपुर	११५	६	०
८	महाराजा, नागाह	३१५	०	०
९	कृषि मशीन टूल कम्पनी, कानपुर	१४०	०	०
१०	न्यू ग्रामोफोन एजेंसी, कानपुर	३३	१४	०
११	जैपुरिया थर्ड ट्रेडिंग कम्पनी, कानपुर	१,४७१	२	०
१२	डाक्टर एम० जेड० ऐवाद, गाजीपुर	१७०	७	०
१३	मशीनरी पेंट्स एन्ड केमिकल्स कम्पनी, बम्बई	३४६	१	०
	योग	४,२५०	०	०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

RULES FRAMED UNDER SECTION 134 (1) OF THE ACT III OF 1901 AS EXTENDED TO THE KUMAUN DIVISION

---

1. These rules have been framed for the revision of maps and records and apply to the hill districts of Almora, Garhwal, Tehri-Garhwal and to the hill *Patties* and areas of Naini Tal District to which U. P. Land Revenue Act does not apply.

CHAPTER I

Definitions—

2. (1) Field means any number of terraces lying together and held under one title and in occupation of one cultivator, without any other land except terrace walls intervening.

NOTE:—In case of a field bounded by nearly vertical stone terrace walls, the bottom of the wall both above and below the field will be taken as the boundary line.

(2) Tok means portion of a village which bears a distinct name.

(3) Chak means a patch of outlying isolated cultivated area in a village.

(4) Nayabad land means waste land broken up for cultivation after the last revision of maps and records, and shall include all land not assessed to land revenue or rent.

(5) Talaon or Shera means permanently irrigated land.

(6) Panchar or Shimar means imperfectly irrigated land.

(7) Upraon means dried terraced land "up land", first class (Awwal) and second class (Doyam).

(8) Ijran means inferior terraced land cultivated intermittently.

(9) Katil or khil means unterraced inferior land cultivated intermittently.

(10) Khata means a parcel or parcels of land held by one or more persons under the one tenure.

(11) Nali in Almora and Naini Tal and nali or patha in (Garhwal) means a measure of land in which two seers of wheat is sown, standardized at 12×20 yards=240 sq. yds.

(12) Bisi=20 Nalis or 4,800 sq. yards.

(13) £ 1/6 Nalis -1 Acre.

(14) Mana=$\frac{1}{4}$ Nali.

(15) Anna=1/16th of Nali.

CHAPTER II

Resurvey, Map Correction and Area Extraction

3.(*a*) The rules for the survey Officer, Patwaris and Surveyors are given in the Manual for Survey of Villages. These shall be followed as far as possible in the resurvey of the area, regard being had particularly to the following instructions.

(*b*) A survey of all the cultivated area shall be undertaken in the districts Naini Tal and Almora. In Nani Tal the maps will be prepared on the scale at which these are in existence for different areas. In district Almora maps will ordinarily be prepared on a scale of 32″-1 mile, but where necessary, the Record Officer may get maps prepared on the scale of 64″-1 mile. In Garhwal District, map correction will be done on the existing survey maps, but where the Record Officer may consider it necessary, complete re-survey may be undertaken. The measure to be used shall be Gunter's Chain of 66 feet or 22 yards. The resurvey shall be carried out where large blocks are concerned by methods of triangulation except in areas where only map correction is to be carried out. The intersection of fileld boundaries, pattis, water courses, houses, etc., shall be noted on the skelcton map (khaka) so as to provide fixed points for future use.

(*c*) The preparation of the map, the writing of the Khasra and Khewat Khasra slips and classification of land shall proceed simultaneously and shall be done by the amins.

(*d*) The area of the field shall be extracted by means of area comb and shall be recorded in the Khewat Khasra in Form "A" in acres and decimals and also in Nalis and Annas. In case of map correction the areas of fields which have not undergone any change shall be copied out from the previous mun-takhib and converted into acres and decimals also.

(*e*) Village sites shall be indicated, but not surveyed. The area of all *pukka* houses and cow sheds standing within fields shall however be shown separately in brackets under the field number.

(*f*) When a village is completely resurveyed the map shall be re-numbered throughout without reference to the old series of numbers according to the rules prescribed in the Survey of Villages Manual.

(*g*) The unit of survey for the purpose of preparing the maps shall be the field as defined in rule 2 (1).

(*h*) All encroachments over land belonging to Government or other Local Bodies, Public Works Department, Forest Department or any other Departments shall be clearly marked on the map.

(*i*) Guls or water channels whether for irrigation or other purposes and paths or roads near cultivation shall be properly marked on the map.

(*j*) Terrace walls shall be shown in their position by dotted lines

4. When fields on the border of a village are in dispute, these shall be entered in the dispute list but pending the orders of the Assistant Record Officer shall be shown in the village which appears to be in possession of them.

5. *Standard of Work*—The standard of work for resurvey in hill districts shalll be not below 75 acres per month including khanapuri and not below 125 plots per day including khanapuri in case of map correction.

CHAPTER III

Record writing in the field

6. The records shall be prepared by the survey amins assisted by the patwari of the village, where available.

7. (*a*) The khewat khasra shall be written up and soil classification entered as soon as the area has been resurveyed or the map correction carried out and the field areas finally computed and passed.

(*b*) There will be no regular soil classification and the existing soils will be repeated except in the case of dry land which has been converted into irrigated "Talaon". In case of Nayabad land the soil shall be the same as of the adjoining land unless the Assistant Record Officer orders otherwise.

8. In writing the khewat khasra the amin and the patwari shall be guided by the following rules. The form of khewat khasra (Form A) shall be as follows :

(1) Number of field in map (*a*) New, (*b*) Old.

(2) Name of Tok.

(3) Area (*a*) in acres and decimals, (*b*) Nalis and Annas.

(4) Number of khata in the phant.

(5) Name of Hissedar with parentage and residence.

(6) Number of Khata muntakhib.

(7) Name of khaikar with parentage, residence, rent and term of cultivation.

(8) Name of Sirtan with parentage, residence and rent, if any.

(9) Cropped area.

Crop sown area } Irrigated. Unirrigated.

(10) Uncultivated area.
Class Area.

(11) Class of soil.

(12) Remarks.

9. On the first page of the khewat khasra the amin or patwari shall write the name of the village with the name of the patti, pargana and tahsil to which it belongs and also his name with the name of the Inspector of Survey, Naib Tahsildar of the circle. He shall also show the year of survey and the dates of beginning and completing the khanapuri.

10. The patwari or amin should, in order to avoid unnecessary trouble to the villagers, see with the aid of his old map and muntakhib every evening what hissedars, khaikars and sirtans will be required to attend next day and shall give them notice to do so. Only those whose presence is absolutely necessary from day-to-day should be required to attend.

11. The patwari or amin shall make every khewat khasra entry in ink (unless directed by these rules to make it provisionally in pencil). New entries shall be made in red ink. All cuttings and over writing shall be signed and dated. After it is completed he shall read it aloud so that all who are present may hear. Every endeavour shall be made to procure the attendance of all concerned but the work shall not be delayed in the unavoidable absence of cultivators.

12. Column 1 and 2.—The patwai or amin shall write up the khewat khasra in sequence of the new numbers. Corresponding old plot number shall be noted against each new number in the sub-column prescribed for this purpose. In column 2 shall be recorded the name of the Tok, if any.

13. Column 3.—Where the area is-recalculated, it shall first be entered in pencil and inked after it has been passed by the Inspector of Survey, Naib Tahsildar. Where the village has been entirely resurveyed, the column shall be left blank till the areas are finally computed by means of area comb. Where there have been no changes in the areas in nalis the area will be converted into acres and decimals and recorded under column 3 (*a*) . In other cases where area extraction has been done in acres and decimals by means of an area comb the equivalent area in basis, nalis and annas shall be calculated and entered in column 3 (*b*).

14. Column 4.—Entries in this column shall be made in pencil from the closing phant but the final entries shall be made after the preparation of new phant.

15. Column 5.—Name of the hissedar with parentage and residence shall be entered according to the closing phant.

16. Column 6.—Number of khata of the closing muntakhib should be entered in this column in pencil but when the new muntakhib is prepared finally it shall be entered in ink in this column.

17. Column 7.—Entries of khaikars shall be made according to the closing muntakhib. No new person shall be recorded as khaikar without specific orders of the Assistant Record Officer.

18. Column 8.—Name of sirtan with parentage, residence and rent shall be recorded. The term of cultivation shall also be recorded in this column. In case of dispute as to the rent payable the patwari or amin shall record the dispute on the dispute list, noting the rent payable in the previous year as well as the number of the entry of dispute list in this column.

19. Column 9.—The crops sown shall be recorded under these columns with details of irrigated and unirrigated area. Crops sown in kharif, rabi and zaaid shall be entered one below the other on different lines opposite the same plot.

20. Column 10.—The class of uncultivated area such as parti jadid, parti qadim, jangal, jhari, abadi, etc., shall be noted in this column with the area of each class opposite it.

NOTE.—The uncultivated land may be of the following classes :

A—Culturable land—

(i) New fallow, (ii) old fallow, (iii) Culturable waste—(*a*) forests classed or administered as forest under any legal enactment dealing with forest, (*b*) other forests—(1) of timber trees, (2) of other trees, shrubs, bushes etc. (*c*) permanent pastures and other grazing lands, (*d*) thatching grass and bamboo bushes, and (e) other culturable waste, (iv) groves other than those included in holdings—(*a*) Calmi, (*b*) Others.

B—Barren—

(i) covered by water, (ii) sites, roads buildings and other lands put to non-agricultural uses, (iii) grave-yards and cremation grounds other than those included in holdings, (iv) otherwise barren, e. g. hills.

21. Column—11—The entry of class of soil shall be made as directed in rule 3(c).

22. Column 12—In this column shall be noted the following facts against the plot concerned :—

(*a*) Number and kind of trees standing over the cultivated area. In case of trees on boundries of fields, when both the fields do not belong to one and the same muntakhib khata, the trees shall be noted against the first plot with a note that it is on the boundry of fields numbers so and so. Ownership of trees shall not be shown unless recorded previoulsy.

(*b*) The name of the mortgagee, if any, with parentage and residence shall be shown against the plot concerned on the basis of 'Girwi Nama" or mortgage deed. No oral mortgage shall be recognized but shall be noted in the dispute list.

(*c*) When a proprietor wishes to transfer his land the amins will insist on a written statement to this effect and will make entries in the records in accordance with the written statement which will be verified by the Assistant Record Officer at or before attestation. Private partitions, if agreed upon by all the co-sharers of the khata will also be given effect to by the amins, which will also be verified by the Assistant Record Officer at or before attestation.

(*d*) In partially khalsa villages only old Gunth will remain as Gunth and all new cultivations whether extensions or other chaks will be shown as khalsa.

(*e*) Malguzari land, Nazul land, Bhotia Paraos and Camping grounds etc. will be shown by the amins in the khata owned by the State under Sirtani tenure of the individuals concerned.

23. When all the entries in the khewat khasra have been completed the amin or patwari shall draw up, at the end, a Goshwara showing the total area of the plots under each khata of the phant, the total cultivated area excluding the area sown twice (Dofasli), unclutivated area of each kind and also details of area under each class of soil. The total area of each khata of the phant shall be tallied with the phant concerned.

24. A disputes list (Form B) shall be maintained in the following Form---

(1) New Khasra Number.

(2) Name of Objector.

(3) Name of opposite party.

(4) Summary of the dispute with statements of parties.

(5) Order of officer settling the dispute.

Each dispute must be entered in the list as it comes to light. In column 1 the area shall be entered as denominator of the new Khasra number. In column 4 shall be recorded a brief note of the point in duspute and of the statements of parties. The summary of the dispute shall be signed and dated by the patwari or amin and the Head Amin (field Inspector). Column 5 shall be left blank for the orders of the officer who decides the dispute.

CHAPTER IV

Area Extraction and Preparation of Fard Mutabiqat

25. In case of resurvey in districts of Almora and Nainital the area will be calculated by means of area comb in acres and decimals.

26. In case of map correction the areas of only those plots which involve a change shall be extracted by area comb and the areas of the remaining plots which have not undergone, any change shall be recorded according to the previous entries unless there is any marked difference between the area recorded previously and found on the spot. The area of such plots shall be worked out on the spot and entered under the orders of the Assistant Record Officer.

27. Immediately after renumbering and area extraction has been completed, the amin will proceed to prepare a list of comparative old and new numbers (previously known as the Fard Mutabiqat) in sequence of new numbers in the following form :

Form B

Old No.	Area	New No.	Area
1	2	3	4

28. This list shall not be prepared separately but will be shown in the columns already existing therefore, in the Khasra. As old and new areas are not likely to correspond (because the previous measurement was by Bickett's method of Dori Paimaish and the present one is by plane table survey) the column of area opposite old survey number may be left blank where it is impossible to fill it.

29. In case of new extensions which have no corresponding old number, the previous number and area will be shown as Zero.

30. The page totals and village totals of the Khasara will be checked in the office at Sadar. The field Inspector or Head Amin will check 75 per cent of the entries of new plots and verify them from the relevant records.

31. The survey Naib Tahsildar will check 40 per cent of checked plots and 10 per cent of unchecked plots on the spot as well as in the office.

CHAPTER V

Preparation and distribution of khewat-khasra slips

32. The khewat khasra slips (Form D) in duplicate shall be prepared with the aid of carbon paper in the following form. Where the land is held by a Sirtan it shall be prepared in triplicate.

Khewat Khasra.

Village.

Patti.

Pargana.

Zila.

Khata Number of the Phant.

(1) Name of Tok,

(2) No. of field in map. (a) New, (b) Old,

(3) Area in acres and Decimals (a) New, (b) Old,

(4) Area in Nalis and Annas (a) New, (b) Old,

(5) Name of hissedar with parentage and residence,

(6) Name of khaikar with parentage and residence,

(7) Name of Sirtan with parentage, residence term of cultivation and rent,

(8) Class of soil,

(9) Remarks.

33. The khata number of phant shall be entered in pencil in the first instance from the closing phant but the final number shall be entered in ink when the new phant has been prepared.

34. There shall be a separate slip for each khaikar and Hissedar for each khata of the phant and a separate slip for the Sirtan in respect of the land held by him.

35. In the remarks column shall be entered all the remarks found in the corresponding column of the khasra.

36. On each slip shall be entered the dispute relating to it as entered in the dispute list.

37. The khewat khasra slips shall be arranged in groups alphabetically within different khatas of the phant. The total of khewat khasra slips must be tallied with those of phants and discrepancies in areas, if any, shall be reconciled.

38. When the khewat-khasra slips are under preparation the Assistant Record Officer shall draw up a programme for their distribution and attestation. The prompt and systematic distribution of the slips is a matter which requires the careful attention of the Assistant Record Officer. The Field Inspectors should see that the slips are distributed to all concerned with promptitute and the distribution is completed by a date to be fixed by the Assistant Record Officer, who shall take serious notice of failure on the part of officials concerned to comply with orders. The recipients written receipt shall be obtained for slips delivered on a list in the following form:

(1) Serial number, (2) Name of Hissedar, Khaiker or Sirtan, (3) Number of slips delivered, (4) Signature or thumb impression of the recipient.

CHAPTER VI

39. The Assistant Record Officer shall issue notice through the patwari fixing the place and time at which parties should attend and produce their slips for attestation. The date being fixed so that it falls not less than 15 days after that by which the distribution of slips is completed.

40. Attestation shall be conducted by the Assistant Record Officer at centres chosen so that the majority of the interested parties shall not be compelled to travel over an inconvenient distance to attend.

41. Various methods of actual attestation have been adopted from time to time and much must be left to the discretion of the individual officer. The following points must, however, be regarded as essential :—

(i) The disputed slips should be collected personally by the Assistant Record Officer. But the office copy throughout should be the copy attested, and on it the Assistant Record Officer will record his orders. When orders have been passed the disputed slips first issued to them will be returned to the party concerned.

(ii) Each individual (or group of joint khaikars, sirtans or hissedars) must be separately questioned to see that he fully understands the entries and be given full opportunity to state any objections to the slips.

(iii) If a slip is admitted by the parties to be correct, they should be required to sign or thumb mark it ; and the Assistant Record Officer should sign the endorsement of attestation.

(iv) If a slip is disputed, the Assistant Record Officer should endeavour to bring the parties to an agreement, and if successfull, should record the result on the slip, getting the parties to sign or thumb mark the slip, the endorsement of attestation being then signed by the Assistant Record Officer.

(v) If the dispute cannot be settled by agreement, a separate case must be instituted and the Assistant Record Officer may require the objector to file a written statement of his objections either at once or within a period to be fixed by him. Such a case should be decided on the spot if all the evidence is immediately available, otherwise a postponement must be allowed, the date being fixed there and then, if possible.

(vi) If no change is made in the slips as originally written, an endorsement to that effect must be made in order to prevent unauthorized alterations later.

(vii) All alterations duly made must be attested by the Assistant Record Officer.

(viii) Orders communicated by the Assistant Record Officer must be given effect to as they are binding upon revenue courts until set aside in appeal.

CHAPTER VII

Preparation of Phants and Muntakhibs

42. Phants and Muntakhibs shall be prepared in the form prevailing in the district with the addition of a column showing area in acres and decimals also.

CHAPTER VIII

Final arrangement and fairing of records

43. When attested slips are received in office, they shall be checked and so arranged and scrutinized that before the fairing of records starts no question is left undecided. When during attestation changes have been made, e. g. the classification of a holding, the slips will be rearranged in the order in which they will be entered in the fair record.

44. It may happen that the orders of the Assistant Record Officer on some cases are received in the Office after the bulk of the slips have been received. In such cases, care shall be taken to see that apart from any specific alterations ordered, all other consequential alterations are made at the same time.

45. When the arrangement of the attested slips is complete, the slips shall be utilized for fairing the complete records.

46. The records to be prepared are :—

(1) A fair khewat-khasra in Form A.

(2) Fard Mutabiqat in form B.

(3) Muntakhibs.

(4) Phants.

47. As each record is faired, it shall be tested to such an extent as the Record Officer by General or special order may prescribe. No suspicious or doubtful entries shall be allowed to remain. Any such entries shall be corrected under the signature of the Assistant Record Officer and a list of corrections similarly signed shall be attached to the record when it is bound.

48. Each record when complete shall be signed by the Assistant Record Officer.

49. A final report shall also be prepared showing the following.

(i) Was the former map merely corrected and renumbered, or was a complete new survey made ?

(ii) Year of map correction or resurvey.

(iii) Name of Assistant Record Officer signing the corrected or new maps.

(iv) The year for which the khewat khasra was attested.

(v) Name of Assistant Record Officer who attested the khewat khasra.

50. The faired records of each mauza and the final report referred to in rule 49 shall be bound together in a volume, in a pocket of which shall be placed a paper copy or a trace of the new or corrected map, signed by the Assistant Record Officer.

51. A copy of the attested map and a paper copy of trace of the new or corrected map shall be supplied to the tahsil for record.

52. Each patwari shall be supplied with a copy of the attested khewat khasra and a copy of the phant and muntakhib. He shall also be supplied with two cloth copies of the map,if copies have been mechanically reproduced, otherwise, he shall be supplied with two clean traces of the fair map, one for record and the other for his own use, In all, three sets of the tahsil head-quarters on account of large distances in the hills fair records will be prepared, the extra copy will remained.

53. The original map prepared as a result of a new survey or map correction under these rules, shall be sent to the office of the Director of Land Records for safe custody. The remaining copies of the mechanically reproduced maps shall be disposed of as follows :

Two blue prints shall be sent to the office of the Director of Land Reocrds with the original map for future reproduction, if requirod, a cloth copy shall be deposited with the volume of fair records in the collector's record room. Three cloth copies shall be sent to the tahshil for issue to the patwaris for purposes of correction after the first similar copy has been in use for ten years.

54. The rough khewat khasra shall be made over to the collector after the fair khewat khasra has been prepared, and shall be retained by him for three years.

CHAPTER IX

55. Reports and Returns—Every amin, field inspctor and survey naib tahsildar shall maintain a diary in the form prescribed by the Record Officer. The amins shall submit their diaries fortnightly to the survey Naib Tahsildar through the field inspector. The diaries of the field inspector of Head Amin and the survey Naib Tahsildar shall be submitted to the Assistant Record Officer at the end of each fortnight.

56. The Assistant Record officer shall send a monthly statement of work in the first week of the succeeding month to the Record Officer in the form to be prescribed by the latter.

57. The Record Officer shall send a monthly progress statement to the Land Reforms Commissioner in the form given at the end of these rules.

58. The Assistant Record Officer under the General supervision of the Record Officer shall be directly responsible for the proper working of the office and the field staff and shall see that the programme of work drawn up by the Record Officer is strictly adhered to.

59. The Record Officer shall issue from time to time such instructions as may be found necessary for the efficient conduct operations. He shall be responsible to see that the work is carried out according to the programme withing the sanctioned limit which should not be exceeded without the previous sanction of Government.

संसदीय प्रदेश पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

तालिका

राजकीय अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता

योजना का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता (लाख रुपयों में) ऋण	प्रांट
१	२	३
क—सिंचाई विभाग की योजनायें—		
१—मांट ब्रांच डिवीजन में रबी पलेऊ चैनेल्स का निर्माण	४.००	..
२—लोअर डिवीजन आगरा नहर में रबी पलेऊ चैनेल्स का निर्माण	४.००	..
३—मांट ब्रांच का आदि से अन्त तक रीम डेलिंग ..	४.५०	..
४—वर्तमान सम्सा मसाक्सी और मझोली रिजर्वायरों की केपेसिटी में वृद्धि करना	५.००	..
५—बार परान में ताल तथा नहर का निर्माण	०.३०	..
६—उर्सान ताल से नहर का निर्माण	०.५०	..
७—सुनौरी ताल का निर्माण	०.२१	..
८—खतौता ताल	०.८०	..
९—बलुई ताल	३.६०	..
१०—खलीलाबाद में २० नलकूल	६.००	..
११—बांसगांव में २५ नलकूप ..	७.००	..
१२—सलेमपुर में २५ नलकूप	७.००	..
१३—गोंडा में १५ नलकूप	२.००	..
१४—७० राजकीय नलकूल	२५.००	..
१५—अपर डिवीजन आगरा नहर में रबी पलेऊ चैनेल्स का निर्माण	४.००	..
१६—हाथरस ब्रांच का आदि से अन्त तक रीमाडेलिंग ..	४.००	..
१७—फतेहपुर सीकरी ब्रांच का आदि से मील ४७/६ तक रीमाडेलिंग	२.५८८	..
१८—मन्डा डिस्ट्रीब्यूटरी ..	४.००	..
१९—मगर्धा माइनर	०.७२	..
२०—बिल्हार डिस्ट्रीब्यूटरी ..	४.००	..
२१—आम्सिन डिस्ट्रीब्यूटरी	१.६६	..
२२—पश्चिम रामगढ़ नहर	१.००	..

योजना का नाम	केंद्रीय सरकार द्वारा	स्वीकृत आर्थिक सहायता (लाख रुपयों में) ऋण	ग्रांट
१		२	३
२३—मझगवां बांध, गोंडा	.. ..	०.४०	..
२४—बेसू गंगी योजना	.. ..	२.३८	..
२५—२५ राजकीय नलकूप ककराला ग्रूप	..	७.२५	..
२६—बखेड़ा पम्प नहर, बस्ती	.. ..	४.००	..
२७—बनधोगदा सरोवर	.. ..	५.२३५	..
२८—गिरगिथी सरोवर	.. ..	१२.२५	..
२९—खैरमां सरोवर	.. ..	८.९२	..
३०—मुखलिसपुर पम्प नहर	.. ..	४.७५	..
३१—रामपुर नाला सरोवर	.. ..	६.००	..
३२—धानापुर डिस्ट्रीब्यूटरी	.. ..	३.३०	..
३३—बनारस में ५० नलकूप	.. ..	३.००	..
३४—मधुपुर डिस्ट्रीब्यूटरी	.. ..	०.७०	..
३५—हल्दी, तराई नहर	.. ..	१.३८	..
३६—मुगलसराय डिस्ट्रीब्यूटरी	.. ..	४.००	..
३७—पश्चिमी करमनासा नहर तथा तियारा रिमोडेलिंग	..	१.५०	..
३८—मांट ब्रांच में ९० फीडर नलकूपों का निर्माण	..	५४.००	..
३९—बढोत्तर पानी की निकासी की नालियों में सुधार	..	२०.००	..
क—सिंचाई विभाग की योजनाओं का योग	..	२३०.९४३	..
ख—नियोजन विभाग की निजी सिंचाई योजनायें:			
१—१०० सहकारी नलकूप	.. ..	१५.००	..
२—कुवों का गहरा भेदन (बोरिंग) द्वारा सुधार	..	१०.००	..
३—२०० रहटों का लगाया जाना (इंस्टालेशन)	..	५.००	..
४—टेहरी गढ़वाल में गुलों का निर्माण	.. ..	..	०.५०
ख—नियोजन विभाग की योजनाओं का योग	..	३०.००	०.५०

योजना का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता (लाख रुपयों में) ऋण	ग्रांट
१	२	३
ग—कृषि विभाग की योजनायें :		
१—उन्नतिशील दानेदार बीज की वृद्धि तथा वितरण ..	..	१७.७४
२—नगर के मल व कूड़े से मिलवां कम्पोस्ट खाद तैयार करना	५.००	०.२५
३—फसल प्रतियोगिता योजना	..	०.१३६५
४—सूचना (इन्फारमेशन) ब्यूरो	..	०.१७१५
५—पौधा संरक्षण सेवा	..	०.२५
ग—कृषि विभाग की योजनाओं का योग ..	५.००	१८.५४८
घ—मत्स्य विभाग की योजनायें :		
१—मत्स्य तालों का विकास तथा स्टाकिंग योजना ..	..	०.२३५
२—जिला झांसी के चुने हुये सरोवरों में मत्स्य पालन का विकास	..	०.१५१
घ—मत्स्य विभाग की योजनाओं का योग ..	..	०.३८६
क, ख, ग और घ का योग ..	२६५.९४३	१९.४३४

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १९० एल० ए०—१९५६—७९६ ।